हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

10 जुलाई, 1974

खण्ड 2, अंक 3

अधिकृत विवरण

विशय–सूची

बुधवार, 10 जुलाई, 1974

पृश्ठ संख्या

तारांकित प्र न एवं उतर	(3)1
नियम 45 के अधीन पटल पर रखा गया तारांकित प्र न एवं लिखित उतर	(3)41
वैयक्तिक स्वश्टीकरण चौधरी चांद राम द्वारा	(3)43
सरकारी संकल्पः–	
(1) संविधान (बतीसवां सं ाोधन) विधेयक, 1973 संम्बन्धी..	(3)45
(2) दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 में सं ाोधन सम्बन्धी...	(3)56
बहिर्गमन	(3)70
दी पंजाब इलैक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) हरियाणा अमैंडमैट बिल, 1974	(3)71
बैठक के समय में वृद्धि	(3)82
दी पंजाब इलैक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) हरियाणा अमैडमैट बिल, 1974 (पुनरारम्भ)	(3)82

बैठक के समय में वृद्धि	(3)88
दी पंजाब इलैक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) हरियाणा अमैडमैट बिल, 1974 (पुनरारम्भ)	(3)89
बैठक के समय में वृद्धि	(3)92
दी पंजाब इलैक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) हरियाणा अमैडमैट बिल, 1974 (पुनरारम्भ)	(3)92
बहिर्गमन	(3)93
दी पंजाब इलैक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) हरियाणा अमैडमैट बिल, 1974 (पुनरारम्भ)	(3)94

हरियाणा विधान सभा

बुधवार 10 जुलाई, 1974

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्ट्र 1, चंण्डीगढ में प्रातः 9ण्30 बजे हुई। अध्यक्ष (चौधरी सरूप सिंह) ने अध्यक्षता की

तारांकित प्र न एवं उतर

Amount for Sewerage Schemes

***797. Ch. Ram Lal Wadhwa**: Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state:-

(a) the total amount allocated to each the Municipal Committees in the State in connection with Sewerage Schemes in the years 1972 and 1973, separately; and

(b) the names of Municipal Committees which have utilized the said amount during the years referred to in part (a) above?

Mr. Speaker: Extension has been asked for answering t his question which I have granted. The letter received from the Hon. Minister in this connection is as under:-

अः सः पत्रांक 5431—क(2)—74/211167

बनारसी दास गुप्त

मंत्री,

सिंचाई एवं बिजली विभाग,

हरियाणा,

चण्डीगढ़

दिनांक जुलाई, 1974

विशयः– विधानसभा तारांकित प्र न सं0 797 जो चौधरी रामलाल वधवा, एम एल ए द्वारा पूछा गया है, के बारे में सूचना उपलब्ध करने सम्बन्धी

प्रिय श्री स्वरूप सिंह जी,

मैं आपको सूचित करता हूं कि तारांकित विधानसभा प्र न सं0 797 (जो कि सीवरेज स्कीमों के लिए दी गई ऋण रा ि ायें के बारे में श्री रामलाल वधवा एम एल ए द्वारा पूछा गया है) कमेटी (2) भााखा, हरियाणा सिविल सचिवालय के दिनांक 6–6–74 को प्राप्त हुआ था। इस प्र न का उतर विधान सभा अधिवे ान मे दिनांक 10–7–74 को देय है किन्तु इस प्र न का उत्तर देने सम्बन्धी जो सूचना वाछित है। वे अभी फील्ड कार्यालय से प्रतीक्षित है। अतः मेरे विचार मे इस प्र न का उत्तर दिनांक 10–7–74 को देना सम्भव न होगा। इन परिस्थितियों मे मै आभारी हूंगा यदि आप इस प्र न का उत्तर तैयार करने हेतु कम से कम 20 दिन की बढोतरी दे।

सादर,

आपका

हस्ताः

(बनारसी दास गुप्ता)

श्री स्वरूप सिंह,

अध्यक्ष,

हरियाणा विधान सभा,

चंण्डीगढ।

Acquisition of Land for Industrial Colonies

***754. Shri Dhaja Ram**: Will the Minister for Industries be pleased to state the names of the places in the State where land has been or is proposed to be acquired for Industrial Colonies during the years 1973-74 and 1974-75 together with the time by which the said land is proposed to be given to t he Industrialists?

Industries Minister (**Shri Harpal Singh**): Land for setting up an Industrial Development Colony has been acquired at Ambala Cantt. during the year 1973-74. It is expected that plots will be allotted to the Industrialists during 1974-75. In the year 1974-75, it is proposed to acquire land for Industrial purposes at Gohana, Jind, Jakhal, Dadri, Sonepat, Faridabad, Rewari, Bhiwani, Hissar, Gurgaon,

Smalkha and Karnal. Efforts will be made to make the plots available to the industrialists in the year 1975-76.

Ch. Phool Chand (**Mulhana**): May I know from the Hon. Minister whether there is any scheme to set up these colonies in rural areas also, if so by what time?

श्री हरपाल सिंह: स्पीकर साहब, रूरल एरिया के लिए कोई स्कीम नहीं है। जहां से कोई डिमाड आती है। इन्डस्टरी लगाने की वहां पर इन्डस्ट्रियल कालोनी बनाते है।

श्री अमर सिंह: आनरेबल मिनिस्टर साहब ने बताया है कि अम्बाला में लैड ऐक्वायर हो चुकी है। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेगें कि उस पर कितना पैसा खर्च किया जाएगा। ओर वह काम कब तक पूरा हो जायेगा?

श्री हरपाल सिंह: स्पीकर साहब, अम्बाला की लैंड ऐक्वायर हो चुकी है। और उसके लिए 5 लाख 80 हजार रूपए की पेमैन्ट भी कर दी गई है। ओर उनकी इंडस्ट्रियल डिवैलपमैट कारपोरे ान इस साल डिवैलप पर कही है।

श्री धजा राम: अभी मंत्री महोदय ने बताया कि जींद में 1974–75 में इंडस्टियल कालोनी के लिए जमीन ऐक्वायर की जा रही है। मै मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि वह कितनी एकड़ जमीन है ओर यह काम कब तक होने की संभावना है?

श्री हरपाल सिंह: स्पीकर साहब, इंडस्ट्रियल कालोनी के लिए कुछ 62 एकंड जमीन वहां ऐक्वायर की जा रही है। इस साल हम 25 एकड़ जमीन ऐक्वायर कर रहे है। ओर बाकी 37 एकड़ जमीन अगले ासल ऐक्वायर करेंगे।

श्री प्रेम सुख दास: क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेगें कि क्या सिरसा मे भी इंडस्ट्रियल कालोनी बनाने का विचार है?

श्री हरपाल सिंह: सिरसा में इडस्ट्रियल कालोनी बनाने पर कोई विचार नही है वैसें कालोनाईजे ान डिपार्टमैट की लैंड इंडस्ट्रीज के लिए वहां पर है।

मलिक सतराम दास बतरा: मंत्री महोदय ने जहां पर इंडस्ट्रियल कालोनी बनाने की बात कही है। वे तहसील या जिला लैवल के भाहर है क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेगें कि जो नोटिफाईड एरिया है ओर तहसील लैवल के है क्या वहां पर इंडस्ट्रियल कालोनी बनाई जाएगी?

श्री हरपाल सिंह: जहां से भी इंडस्टी लगाने की डिमांड आएगी उसको जरूर कंसीडर कर लिया जाएगा।

Shri Gulab Singh Jain: Will the Minister for Industries be pleased to state as to whether there is any proposal for the extension of the industrial estate, Hissar?

श्री हरपाल सिंह: स्पीकर साहब, हिसार मे इस साल लैंड ऐक्वायर कर रहे है।

चौधरी ि ाव राम वर्मा: क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेगें कि क्या नीलोखेडी में इंडस्ट्रियल कालोनी कायम करने का सरकार का इरादा है?

श्री हरपाल सिंह: स्पीकर साहब, नीलोखेडी में इंडस्ट्रियल एस्टेट है ओर कई प्लाट खाली पडे है। पहले यूटीलाईज करेगें बाद में अगर कोई डिमांड आएगी तो कंसीडर करेगे।

राव अभय सिंह: स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने बताया है कि रिवांडी में इंडस्ट्रियल कालोनी बना रहें है। क्या उसके लिए जमीन ऐक्वायर हो चुकी है?

श्री हरपाल सिंह: स्पीकर साहब, कागजात बन रहे है। इस साल जमीन ऐक्वायर कर लेगे।

चौधरी राम लाल वधवा: स्पीकर साहब, करनाल मे जो इंडस्टियल कालोनी है उसमें 4700 गज के प्लाट हैं। दो साल पहले लोगों ने पैसे जमा करा दिए थे लेकिन अब पोजै ान दिया जा रहा है। उन प्लाटों की मैंयरमैट आधे से कम है। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेगें कि कम रकबे की बाबत सरकार क्या गलत कर रही है।

श्री हरपाल सिंह: स्पीकर साहब, चौधरी राम लाल ने यह गलत कहा कि प्लाटों का रकबा आधे से कम है। हां कुछ फर्क जरूर पडता है। इसका कारण यह है कि जब रोड्ज वगैरह निकली तो कुछ प्लाटों का एरिया कम हो जाता है। अब हम मैयरमैट दोबारा करवा रहे है। और जितना मैयरमैट प्लाट ही प्राईम लेगें बाकि रिंफड कर देगें।

चौधरी मेहर चन्द: क्या आनरेबल मिनिस्टर महोदय बताने की कृपा करेगें कि क्या फतेहाबाद का भी नम्बर इंडस्ट्रियल कालोनी बनाने के लिए आएगा?

श्री हरपाल सिंह: फतेहाबाद के लोग अगर चाहेंगें तो जरूर कंसीडर करेंगे।

चोधरी मनफूल सिंह: स्पीकर साहब, झज्जर में 1963 में इंडस्ट्रियल एरिया कायम हो चुका था ओर वहां पर बोर्ड भी लगा था लेकिन आज तक उस पर कोई कार्यवाही नही की है। क्या सरकार इस पर गौर करेगी।

श्री हरपाल सिंह: स्पीकर साहब, ये ज्वायंट पंजाब की बात कर रहें है। 1966 के बाद तो हमने कोई कालोनी वहां पर नही बनाई।

राव दलीप सिंह: मंत्री महोदय बताने की कृपा करेगे कि क्या बैकवर्ड एरियाज की डिवैल्पमैट के लिए इंडस्टियल कालोनी

बनाने का कोई खास ध्यान नही रखा जएगा अगर रखा जाएगा तो क्या?

श्री हरपाल सिंह: यह क्वै न डिफरैट नेचर का है।

चौधरी पीर चन्द: स्पीकर साहब, बताया गया है कि हिसार में स्टील प्लांट लगाने जा रहे है। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेगें कि वह कब तक चालू करने का विचार है?

श्री हरपाल सिंह: स्पीकर साहब, वैसे तो यह क्वै न इससे अराइज नही होता। इसको जल्दी से जल्दी चालू करने की सोच रहे है। दिसम्बर में या जनवरी तक उसको चालू करने की जोच रहें है।

चौधरी फूल सिंह कटारिया: मंत्री महोदय बताने की कृपा करेगे कि क्या इंडस्ट्रियल कालोनिज के लिए जो जमीन ऐक्वायर कर रहे है उसमें हरिजानों को रिजर्व प्राईम पर प्लाट देने का सरकार का इरादा है।

श्री हरपाल सिंह:स्पीकर साहब, हरिजानों को हम किस तरह से प्रैसरैस दे सकते हैं इसके लिए एक कमेटी बनाकर विचार कर रहें हैं वैसें मे यह बता दूं कि अगर कोई हरिजन इंडस्टी लगाना चाहे तो हम उसको जरूर अलांट करेगे।

श्री अमर सिंह: मंत्री महोदय बताने की कृपा करेगे कि क्या हांसी मे इंडस्टियल एस्टेट बनाने का कोई विचार है।

श्री हरपाल सिंह: स्पीकर साहब, हांसी में कालोनाइजे ान वाले एरिया ऐक्वायर कर रहें है। इस साल जमीन को ऐक्वीजी ान हो जाएगी और वहां पर इंडस्टियली कालोनी बनायेंगे।

H.C.S. Officers

***779. Shri Amar Singh**: Will the Chief Minister be pleased to state the total number of H.C.S. Officers in the State at present together with the names of such Officers belonging to Scheduled Castes and the places of their present posting?

Chief Minister (**Ch. Bansi Lal**): A statement giving the requisite information is laid on the Table of the House.

STATEMENT

I-H.C.S. (**Executive Branch**)

(a) Total number of Officers in the H.C.C. (Executive Branch) Cadre 114

(b) Total number of H.C.S. officers belonging to Scheduled Castes in the said Cadre. 15

(c) Names of Scheduled Castes Officers and their present posting.

Sr. No.	Name of the Officer	Present posting
1	Shri M.L. Trighatia	Under Secretary Finance.

2	Sh. Hargo Lall	Under Secretary P.W.D. (Irrigation & Power).
3	Sh. Rattan Singh	Land Acquisition Officer, P.W.D. (B & R) Ambala.
4	Sh. S.C. Dhosiwal	General Manager, Haryana Roadways, Ambala.
5	Sh. S.L. Dhani (on the Select List for IAS)	Deputy Secretary, Health and Industries Departments.
6	Smt. B. Singh	On leave.
7	Sh. R.S. Kailay	Assistant Director, Consolidation of Holdings, Haryana, Rohtak.
8	Sh. Jagat Ram	Sub-Divisional Officer (Civil), Rohtak and also Distt, Food & supplies controller.
9	Sh. Dharam Vir	Secretary, Haryana Agro-Industries Corporation, Chandigarh.
10	Sh. Z.S. Khobra	General Managers, Industries, Haryana, Chandigar h.

11	Smt. Ved Kumari	Deputy Director, Industries, Haryana, Chandigarh.
12	Sh. Rajit Singh	General Manageer, Haryana Gurgaon.
13	Sh. V.N. Kadhayala	Administrator, Faridabad Complex Administrationm, Faridabad.
14	Sh. Mohinder Parkash Bidhan	Extra Assistant Commissioner (Urban Training Bhiwani).
15	Sh. Rangi Ram Bashwal	Extra Assistant Commissioner (Unter Training) Sonepat and Administrator Sonepat and Administrator, Sonepat Municipality (designation) in addition.

II-H.C.S. (Judicial Branch)

The number of H.C.S. (Judicial Branch) officers in the States and the number and names of such officers belonging to sheduled castes, and the places of their present is as under:-

(a) total number of officers in the H.C.S. (Judicial Branch) 64

(b) Number of officers belonging to scheduled castes. 5

(c) Names of officers belonging to scheduled castes and their places of posting:-

Sr.No.	Name	Present Posting
1	Sh. Hari Ram	Senior Sub Judge, Gurgaon.
2	Sh. Amar Singh Chalia	Sub Judge/Judicial Magistrate, Gohawana.
3	Sh. P.C. Nariala	Sub Judge/Judicial magistrate, Ballabgarh.
4	Sh. Kewal Singh	Sub Judge/Judicial Magistrate, Narnaul.
5	Sh. V.P. Chowdhry	Sub Judge/Judicial Magistrate, Jind.

श्री अमर सिंह: स्पीकर साहब, मुख्य मंत्री जीने बताया कि ऐक्जैक्टिव ब्रांच मे एच सी एस की कुल पोस्टस 114 मे 15 पोस्टें हरिजनों की हैं। ओर जुडि ियल साइड में 64 पोस्टों में 5 पोस्टों हरिजन की है। क्या मुख्य मंत्री महोदय बताने की कृपा करेगे कि इनि ियल रिकूमैट मे जो हरिजनों के लिए रिजर्वे ान है वह पूरी है।

चौधरी बंसीलाल: स्पीकर साहब, इनि ियल स्टेज में डायरैक्ट रिकूमैट जो है वह 20 परसैन्ट है ओर 114 पोस्टों मे जो

डायरैक्ट रिकूमैट के लिए वे 68 है इस हिसाब से 20 परसैन्ट का कोटा सही बनता है।

चौधरी प्रताप सिंह दौलता: स्पीकर साहब, ऐग्रीकल्चररिस्ट क्लास की आबादी 66 परसैन्ट है। और पिछले 85 साल से जुडि ियरी मे उसका रिप्रैजैन्टे ान 1.3 परसैन्ट है। वह परसैन्ट इन 85 सालों में 1.6 परसैन्ट नही हुआ क्या इसके बारे में भी गवर्नमैट गौर करेगी?

चौधरी बंसीलाल: स्पीकर साहब, कांस्टीच्यू ान उनके लिए रिजर्वे ान की इजाजत नही देता।

चौधरी प्रताप सिंह दौलता: स्पीकर साहब, अगर गवर्नमैट को सैटिस्फाई कर दिया जाए कि कांस्टीच्यू ान इजाजत देता है तो क्या सरकार गौर करेगी?

(कोई जवाब नही दिया गया)

Election to Gran Panchayats and Panchayat Samitis

***747. Ch. Shiv Ram Verma**: Will the Minister for Development be pleased to state:-

(a) the time by which to Gran Panchayats and Panchayat Samities are likely to be held; and

(b) whether there is any proposal under consideration of the Government to delimitate the areas of Panchayat Samities; if so, the time by which this work will be completed?

Development Minister (**Col. Maha Singh**):

(a) The elections to the Gram Panchayats and Panchayat Samities are liekly to be held after December, 1976 and February, 1978 when the tenure of the present members will expire respectively;

(b) Yes. It is difficult to say precisely how long it will take to complete this work.

Ch. Mehar Chand: May I know from the Hon. Minister if as a result of re-organization of Tehsils, the Blocks will also be reorganized, if so, when?

कर्नल महा सिंह: ब्लॉक्स रिआर्गेनाइज होगें जिन ब्लॉक्स पर असर पर पड रहा हैं ओर उस तमाम काम को हाथ मे ले रखा है। इसमें करीब 6, 8, 9 महीने लग जाएगें।

चौधरी ि ाव राम वर्मा: अध्यक्ष महोदय, क्या मिनिस्टर साहब यह बतलाने की कृपा करेगे कि जब पंचायत या पंचायत समितियों के इलैक ान की जो मियाद है। वह ऐक्ट में तरमीम होने के प चात पांच साल की बजाए अब तीन साल हो चुकी है। तो अब वह 75 या 76 तक कैसे जांएगी?

कर्नल महासिह: इसके बारे में हमने एडवोकेट जनरल से राय मांगी थी ओर उन्होनें हमें बताया कि जो हमारा मौजूदा ऐक्ट है। वह रिट्रास्पैक्टिव इफैक्ट से लागू नही है। इसलिए जो मैबर अब है वह पुराने ऐक्ट के मुताबिक पांच साल रहेगे।

श्री अमर सिंह: स्पीकर साहब, क्या मिनिस्टर साहब यह बतलाने की कृपा करेगे कि कुछ तहसील और डिस्ट्रिक्ट नए बनने के कारण कुछ गांव दूसरे ब्लॉकस में चले जाने गए है जैसे कि बरवाला के 18 गांव हांसी में है इनके बारे में सरकार ने कोई हल निकालने की कोि ा ा की है कि वे क्या करें

कर्नल महासिंह: अध्यक्ष महोदय, उनका हल निकाला जा रहा है। ऐसे 25 ब्लॉक्स है जिनकी रि–ऑर्गेनाइजेशन हुई आरे और 4 बताये हे।

चोधरी ि ाव राम वर्मा: स्पीकर साहब, कई ब्लाक इस ढंग से बने हुए है कि वह बहुत लम्बे चले गए है। ओर दूसरे ब्लाक्स के काफी नजदीक पहुंच गए है क्या सरकार ने उनको ठीक करने पर विचार करेगी?

कर्नल महा सिंह: स्पीकर साहब, अगर मैंबर्ज की तरफ से इस किस्म के सुझाव मिलेगे तो गवर्नमैट उन पर गौर करेगी।

Industrial Co-operative societies

***773. Sh. Om Parkash Garg**: Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state:-

(a) the total number of Industrial Co-operative Societies in district Kurukshetra at present;

(b) the financial position of each of the said societies at the end of the financial years 1972-73, separately; and

(c) the details of the Industries installed by each of the above said socieites so far?

State Minister for Co-operation and Local Government (Ch. Goverdhan Dass Chauhan):

(a) 246

(b) The time and labour involved in collecting the information about each society will not be commence with any possible benefit to be derived.

(c) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

List of Industrial Co-operative Societies and Industry Installed by each of the Societies.

Sr. No.	Name of the Society	Industry installed
1	2	3
1	The Sumalkhi Waste Yarns PCIS Ltd.	yarn.
2	Shahabad Cycle PCIS Ltd.	Cycle Parts.
3	The Pehowa Wood works PCIS Limited.	Wood-wroks.
4	The Throuli Rice &Oil PCIS Ltd.	Rice Husking

5	The Thanesar Furniture PCIS Ltd.	Furnitur.
6	The Shahabad Markanda Agri. Impl. PCIS Ltd.	Agriculture Implements.
7	The Agro. Engg. works PCIS Kurukshetra	Engineering.
8	The Mahabir Candle & Allied PCIS Ltd. Kurukshetra	Candle.
9	The Bombotra Agri. Imple. PCIS Ltd.	Agri. Implements.
10	The Thanesar Sarswati G/Milling. PCIS Ltd.	G/Milling.
11	The Yarn Brick Kiln PCIS Ltd.	Brick kiln
12	The Ladwa Hosiery PCIs Ltd.	Hosiery.
13	The Pehowa Janta Rice Huller PCIs Ltd.	Rice Husking
14	The Pehowa Vishwakarma Engg. PCIS Ltd.	Engineering.
15	The Shahbad Radio PCIS Ltd.	Radio.
16	The Pehowa Guru Nanak Rice & Milling PCIS	Rick husking.
17	The Shahabad Nireankari Agri. Impl. PCIs, Ltd.	AGri. Implements.

18	The Shahabad AGri. Imple. &Carpantery PCis Ltd.	Agri. Implements.
19	The Ismilbad Rice & Oil PCIS Ltd.	Rice Husking.
20	The Nalvi G/Milling PCIS Ltd.	G/Milling.
21	The Radur Wood Works PCIs Ltd.	Wood works.
22	The Shahabad Brick Kiln PCIS ltd.	Brick Kiln.
23	The Balahi Rice & Oil PCIS ltd.	Rice Husking
24	The Thanesar Vishvkarma Agri. Impl. & wood Words PCIS Ltd.	Wood Workds.
25	The Shahabad Printing Press PCIS Ltd.	Printing.
26	The Janta Agri. Impl. PCIS Ltd. Thol.	Agri. Implements.
27	The Mehra Rice & Oil PCIS Ltd.	Rice Husking.
28	The Landi Rice & Oil PCIs ltd.	Rice Husking.
29	The Ban Metal PCIS Ltd.	Metal.
30	The Pehowa Dessmsh Engg. PCIS Ltd.	Engineering.
31	The Hinga Kheri. Rice Huller PCIS Ltd.	Rice Husking.
32	The Ladwa Tractor workshop cum	Engineering.

	spare Parts PCIS Ltd.	
33	The jansa Rice Huller PCIS Ltd.	Rice Husking.
34	The Luxmi Brick PCIS Ltd.	Brick Kln.
35	The Janta Engg. Works PCIS Ltd. Pehowa.	Engineering.
36	The Pehowa Mathaura Agri. Impl. PCIS Ltd.	Agri. Implements.
37	The Pehowa Kissan Agro. Engg. works PCIS Ltd.	Engineering.
38	The Ismalabad Rice Huller PICS Ltd.	Rice Husking.
39	The Hira Multipurpose PCIS Ltd. Yari.	Engineering.
40	The Shahabad candle & allied Indi. PCIS Pehowa.	Candle.
41	The Zainpura Brick Kiln PCIS Ltd.	Brick Kiln.
42	The Luxmi Agri. Impl. PCIS Ltd.	Agri Implements.
43	The Puran Agri. Impl. PCIS Ltd. Shahabad.	Agri. Implements.
44	The Bhullur Agri. Impl. PCIS Ltd.	Agri. Implements.
45	The Sarswati Agri. Impl. PCIS Ltd.	Agri.

	Pehowa	Implements.
46	The Jai Durga Agri. Implements. PCIS Ltd.	Agri. Implements.
47	The Thol G/milling PCIS Ltd.	General Milling.
48	The Rawal Agri. Impl. & Tractor workshop PCIS. ltd. shahabad.	Agri. Implements.
49	The Dhiman Agri. Implements. PCIS Ltd.	Agri. Implements.
50	The Pehowa Cycle Parts PCIS.	Cycle Parts.
51	The Saraswati Rice & Oil PCIS. Ltd. Shahabad.	Rice Husking.
52	The Pehowa Iron & wood PCIS Ltd.	Black Smithy.
53	The Ladwa Agri. Implements. PCIs.	Agri. Implements.
54	The Shahabad Furniture PCIs. Ltd.	Furniture.
55	The Shahabad Tara Engg. PCIS. Ltd.	Engineering.
56	The Shahabad Agri. Implements. & Tractor workshop PCIS Ltd.	Agri. Implements.
57	The Bagthala Brick Kiln PCIS. Ltd.	Brick Kiln.
58	The Satya Carpentary PCIS Ltd.	Carpentary
59	The Ladwa Carpentary PCIS Ltd.	Carpentary.

60	The Tej Readymade Garment PCIS Ltd.	Readymade Garment.
61	The Luxmi Noshader PCIS Ltd.	Noshador.
62	The Airana Alan Brick PCIS Ltd.	Brick Kiln
63	The Gurpal Batteries PCIS Ltd. Shahabad	Battery charging.
64	The Rattangarh G/Milling PCIS Ltd.	General Milling.
65	The Mukesh Thread Ball PCIS Ltd. Shahabad.	Yarn.
66	The Pehowa Agri. Implements. wood-works PCIS ltd.	Wood works
67	The Modern Engg. goods. PCIS Ltd. Shahabad	Engineering.
68	The Suggu wood & steel works PCIS Ltd.	Blacksmithy.
69	The Kazal Bricks PCIS Ltd. Kathlahari.	Brick Kiln.
70	The Rishi Rice Mill PCIS Ltd. Pehowa.	Rice Husking.
71	The Behari Potters PCIS Ltd.	Pottery.
72	The Yarn Leather PCIS Ltd.	Leather
73	The Thaneshar Krishana Oil & Soap	Oil & soap.

	PCIS Ltd.	
74	The jalbehra shoe maker PCIS Ltd.	Shoe maker.
75	The Jotisar Leather PCIS Ltd.	Leather goods.
76	The Ismalad Leather PCIS Ltd.	Leather.
77	The gorjpur Gur & Khandsari PCIS Ltd.	Gur & Khsandsari.
78	The Bijarpur Lewather PCIS Ltd.	Leather.
79	The Umri Pottery PCIS Ltd.	Pottery.
80	The Morthala Leather PCIS Ltd.	Leather.
81	The Ladwa Oilman PCIS Ltd.	oil.
82	The Adhon Leather PCIS Ltd.	Leather.
83	The Jhanasa Leather PCIS Ltd.	Leather.
84	The Shahabad Leather PCIS Ltd.	Leather.
85	the Kurri Oilman PCIS Ltd.	Oil.
86	the Ban Oil & soap PCIS Ltd.	Oil & Soap.
87	The Thanesar Adrash Cereals & Pulses PCIS Ltd.	Cereals & Pulses.
88	The Lohra Leather PCIS Ltd.	Leather.
89	The Damli Leather PCIS Ltd.	Leather.

90	The Ajrana Kalan Gur & Khandsari PCIS Ltd.	Gur & Khsansari.
91	The New Modern Gur & Khandsari PCIS Ltd.	Gur & Khsansari.
92	The Bohavi Tanners PCIS Ltd.	training.
93	The Admadpur Leather PCIS Ltd.	Leather.
94	The Bubka Leather PCIS Ltd.	Leather.
95	The Arawar Gur & Khandsari PCIS Ltd.	Gur & Khandsari
96	The Kheri Dabdalan Leather PCIS Ltd.	Leather.
97	the Kharindwa Leather PCIS Ltd.	Leather.
98	The Ban Gur & Khandsari PCIS Ltd.	Gur & Khandsari
99	The Radai Krishana Palam Gur & Khandsari PCIS Ltd.	Palm Gur & Khandsari
100	the Sirsala Leather PCIS Ltd.	Leather.
101	The Jai Bharat soap & Allied PCIS Ltd. Pehowa	soap.
102	The Shiv Oil and soap PCIS Ltd. Dhurala	Soap.
103	the Sarai Sukhi Leather PCIS Ltd.	Leather.

104	The Bohavi Oilman PCIS Ltd.	Oil.
105	the Yara Gur & Khandsari PCIS Ltd.	Gurand Khandsari.
106	the Jhansa Miraji Leather PCIS Ltd.	Leather.
107	The Chunalheri Leather PCIS Ltd.	Leather.
108	The Shriefgarh Displaced persons and Multipurpose PCIS Ltd.	Engineering.
109	The Shahabad Handpounding of Rice PCIS Ltd.	Rice Husking.
110	The Radur Oil and soap PCIS Ltd.	Soap.
111	The Thaneser Modern shoe maker PCIS Ltd.	Shoe maker.
112	The Pipli Soap PCIS Ltd.	Soap.
113	The Thanser Leather PCIS Ltd.	Leather.
114	The Ganesh Gur & Khandsari PCIS Ltd.	Gur & Khandsari
115	The Narjrangarh Gur goods & Khandsari PCIS Ltd.	Khandsari.
116	The Ban Women Art and Crafts PCIS Ltd.	Handicrafts.
117	The Thanesar Adrash Women Art & Crafts PCIS Ltd.	Handicrafts.

118	The Hmri women Arts & Crafts PCIS Ltd.	Handicrafts.
119	The Thol women Arts & Crafts PCIS Ltd	Handicrafts.
120	The Kaithal Tanners PCIS Ltd	Training
121	The Fatepur Tanners PCIS Ltd	Training
122	The Pundri Leather PCIS Ltd	Leather.
123	Jajanpur Leather PCIS Ltd	Leather.
124	The Chuhar Majra Leather PCIS Ltd	Leather.
125	The Gharssi Leather PCIS Ltd	Leather.
126	The Jandola Om Leather PCIS Ltd	leather.
127	the Chuhar Majra Oil and Soap PCIS Ltd	Leather.
128	the Munerhari Gur & Khandsari PCIS Ltd.	Gur & Khandsari
129	The Menerhari Handpounding of Rice PCIS Ltd.	rice Husking.
130	the Fatepur Oil & Soap PCIS Ltd.	soap.
131	The Pabnaya Leather PCIS Ltd.	Leather.
132	The Vishwakarma Carpentary & Blacksmithy PCIS Ltd.	Carpentary and Blacksmithy.

133	The Jai Bharat Carpentary PCIS Ltd.	Carpentary.
134	The Model Carpentary PCIS Ltd. PUndri.	Carpentary.
135	The Jai Ganesh cereals and Pulses PCIS Ltd.	Cereals and Pulses.
136	The Pharal Gur and Khandsari PCIS Ltd.	Gur and Khandsari.
137	The Krishak Cereals and Pulses PCIS Ltd.	Cereals and Pulses.
138	The Teontha Gur and Khandsari PCIS Ltd.	Gur and Khandsari
139	The Dhand cereals and Pulses PCIS Ltd.	Cereals and Pulses.
140	the New Cereals and Pulses PCIS Ltd.	Cereals and Pulses.
141	The Manas Luxmi Leather PCIS Ltd.	Leather.
142	The Faranswala Leather PCIS Ltd.	Leather.
143	The Guhna Leather PCIS Ltd.	Leather.
144	The Ashoka Match PCIS Ltd. Kaithal	Matches.
145	The Harigarh Kingan Leather PCIS Ltd.	Leather.

146	the Padla Shoemaking PCIS Ltd.	Shoe Making.
147	The Sewan Oil and soap PCIS Ltd.	Oil and soap
148	The Khunsal Majra soap PCIS Ltd.	Soap.
149	the Padla Tanners PCIS Ltd.	Tanners.
150	The Deohra Leather PCIS Ltd.	leather.
151	The Harsola Gur PCIS Ltd.	Gur.
152	The Keorak Gur and Khandsari PCIS Ltd.	Gur and Khandsari
153	The Pai Gur and Khandsari PCIS Ltd.	Gur and Khandsari
154	The Kasan Leather PCIS Ltd.	Leather.
155	The Pai Bee Keeping PCIS Ltd.	Bee Keeping.
156	The Serhada leather PCIS Ltd.	Leather.
157	The Pai Leather PCIS Ltd.	Leather.
158	the Modern Leather PCIS Ltd.	Leather.
159	The Luxmi Agri. Blacksmithy PCIS Ltd. Kaithal	Blacksmithy.
160	The Carpentary & Blacksmithy PCIS Ltd. Keorak.	Blacksmithy.
161	the Kaithal Soap PCIS Ltd.	Soap

162	The harsola Leather PCIS Ltd.	Leather.
163	The Kisan Gur PCIS Ltd.	Gur.
164	The Deoban Gur PCIS Ltd.	Gur.
165	The Jakholi Leather PCIS Ltd.	Leather.
166	The Narar Leather PCIS Ltd.	Leather.
167	the National soap PCIS Ltd. Kaithal	Soap.
168	The Bhana Gur and Khandsari PCIS Ltd.	Gur and Khandsari
169	The Deoban Leather PCIS Ltd.	Leather.
170	The Jai Haryana Gur PCIS Ltd. Jakholi.	Gur.
171	The Kaithal Cereals and Pulses PCIS Ltd.	Cereals and pulses.
172	The Teek Leather PCIS Ltd.	Leather.
173	The Nankpuri Cereals and Pulses PCIS Ltd.	Cereals and Pulses
174	The Jai Leather PCIS Ltd. Dhand.	Leather.
175	The Kharkan Leather PCIS Ltd.	Leather.
176	the Rama Carpentary PCIS Ltd. PUndri.	Carpentary.
177	The Adrash Wood and Iron PCIS	Carpentary.

	Ltd. Teontha	
178	The Vishwakarma Iron and Wood works PCIS Ltd.	Carpentary.
179	the Prit Brick Kiln PCIS Ltd. Fatehpur.	Brick Kiln
180	The Luxmi wood and Iron PCIS Ltd. pundri.	Carpentary.
181	The Luxmi Brick Kiln PCIS Ltd. Bhenxi Majra.	Brick Kiln.
182	The Pabnawa Rice PCIS Ltd.	Rice Husking
183	The New General Milling PCIS Ltd. Phari.	General Milling
184	The Kaul Iron and woods PCIS Ltd.	Blacksmithy and carpentary.
185	The Pachal Iron and Wood PCIS Ltd.	Blacksmithy and carpentary.
186	The Electrical Engg. & Iron works PCIS Ltd. Fatehpur.	Engineering.
187	The kaul Rice & Oil PCIS Ltd.	Rice Husking.
188	The Dhand Krishi Yantra PCIS Ltd.	Agri Impl.
189	The Ajit Engg. PCIS Ltd. Kaithal	Engineering.
190	The Sewan Rice and Flau PCIS Ltd.	Rice Husking

191	The Novelty Engg. PCIS Ltd. Cheeka.	Engineering.
192	The Avon Wood Works PCIS Ltd. Kaithal	Wood works.
193	The Vishwakaram Engg. PCIS Ltd. Cheeka	Engineering.
194	The Kismat Engg. PCIS Ltd. cheeka	Engineering.
195	The Ravidas Ambedkar Leather PCIS Ltd. Cheeka.	Leather.
196	The Adarsh Porias brick kiln PCIS Ltd. Kharkan.	Brick Kiln
197	The Delite Multipurpose PCIS Ltd.	Engineering
198	the Mohinder Wood Works PCIS Ltd. Cheeka	Wood works.
199	the Guhla tractor Servicing Agri. PCIS Ltd.	Engineering.
200	The Kisan Rice and Oil PCIS Ltd.	rice husking.
201	the Babhar Agri implements PCIS Ltd.	Agri. implements.
202	the Vishwakarma Wood works PCIS Ltd. Cheeka.	Wood works.
203	The Cheeka Agonth Engg. PCIS Ltd.	Engineering.

204	The Kaithal Engg. PCIS Ltd.	Engineering.
205	The Luxmi Iron and Steel PCIS Ltd.	Carpentary.
206	The Cheeka Agri. and Impl. PCIS Ltd.	Agri implements.
207	The Cheeka Brick Kiln PCIS Ltd.	Brick Kiln.
208	The Kaithal Brick Kiln PCIS Ltd.	Brick Kiln.
209	The Haryana Printing Press PCIS Ltd.	printing
210	The Sharma Engg. PCIS Ltd. Kaithal	Engineering.
211	The kaithal Wire knitting PCIS Ltd.	Wirekenitting .
212	The Sherdha Rice and Oil PCIS Ltd.	Rice Husking.
213	The New Quality Ban Making PCIS Ltd.	Ban Making.
214	The Sudesh Ink and Stationery Goods PCIS Ltd. Kaithal	Ink and Stationary.
215	The Vishal Furniture PCIS Ltd. Kaithal	Furniture.
216	The Universal Furniture PCIS Ltd. Kaithal	Furniture.
217	The Keorak Oil PCIS Ltd.	Oil.
218	The Pawan Stationery Goods PCIS	Stationary.

	Ltd. kaithal	
219	The Mundhari Mahavir Rice and Flau PCIS Ltd.	Rice Husking.
220	The Delight Bakery PCIS Ltd.	Bakery.
221	The Kichana wood works PCIS Ltd.	wood works.
222	the Mundhari Rice and Oil PCIS Ltd.	rice husking.
223	The Naveen Engg. PCIS Ltd.	Engineering.
224	The kaithal vishwakaram Iron and Wood PCIS Ltd.	Blacksmithy and Carpentary.
225	The Cheeka Engg. PCIS Ltd.	Engineering.
226	The United Leather PCIS Ltd.	Leather.
227	The Adarash Iron & Steel Pcis Ltd.	Blacksmithy and Carpentary.
228	The Naveen Ban Making PCIS Ltd.	Ban Making.
229	The Kichana ban Making PCIS Ltd.	Ban Making
230	The Electrical and Mechanical Engg. PCIS Ltd.	Engineering.
231	the Guhla General Milling PCIS Ltd.	General Milling.
232	the Ganesh Iron and Steel PCIS Ltd. Pundri.	Black Smithy and Carpentary.

233	The Keorak Agri. Impl. PCIS Ltd.	Agri. Implements.
234	The Keorak Women Crafts PCIS Ltd.	handicrafts.
235	The Pabnava Women Crafts PCIS Ltd.	Handicrafts.
236	The Munheri Women Crafts PCIS Ltd.	Handicrafts.
237	The janta Radaur Weaving PCIS Ltd.	Weaving.
238	The Subash Weaving PCIS Ltd.	weaving.
239	The Jotisar Weaving PCIS Ltd.	Weaving.
240	The Naveen Handloom PCIS Ltd. Kaithal	Handloom.
241	The Subash Handloom PCIS Ltd. Kaithal	Handloom.
242	The Vasindoa Handloom PCIS Ltd. Kaithal	Handloom.
243	the Raj Handloom PCIS Ltd.	Handloom.
244	The Fatehpur Handloom PCIS Ltd.	handloom.
245	The Jogindra Handloom PCIS Ltd.	handloom.
246	The Sewan Handloom PCIS Ltd.	Handloom.

श्री ओम प्रका ा गर्ग: स्पीकर साहब, क्या मिनिस्टर साहब फंरमाएंगे कि जितनी सोसाइटीज बतलाई है। उनमें से कितनी सोसाइटीज जैनुअनली फंक ान कर रही है ओर कितनी वैसे ही बनी हुई है।

(कोई उतर नही दिया गया)

चौधरी फूल सिंह कटारिया: अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेगें कि इंडस्ट्रियल सोसाइटीज ओर जनरल सोसायटीज को सरकार एक करने का इरादा रखती है?

चोधरी गोवर्धन दास चौहान: स्पीकर साहब, ऐसा ही तो सरकार का कोई इरादा नही है।

Over Payment to Shri Bani Singh Truck clearner

***765. Ch. Dal Singh**: will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state:-

(a) whether it is a fact that Shri Bani Singh, Truck Clearner worked from 1st January, 1973 to 10th January, 1973 under Shri. Indraj Kohli, S.D.O. Irrigation Loharu Mechnical Division, Charkhi Dadri and was marked present upto 20th January 1973 and drew pay for 20 dayss;

(b) wheter it is a fact that the Clearner referred to in part (a) above joined his duties on 11th January 1973 at Rohtak in Sewani Mechanical divsion under Shri. Inderjit Bindra, XEN, and received 20 days pay from 11th January

1973 to 31st January 1973 ; and so, he received 40 days pay for January, 1973; and

(c) If so, whether any action has been taken or is proposed to be taken against the officials concerned and against Shri Bani Singh, Truck Cleaner who drew more pay and defracded the Government?

State Minister for Irrigation and Power (**Sardar Harmohinder Singh Chatha**):

(a) Yes.

(b) Yes.

(c) Excess amount paid to Shri Bani Singh has since been recovered from him and his services have been terminalted. Action is also being taken against the sectional Officer concerned who marked attendance of the Truck Clearner without actual verfication at site.

चौधरी दल सिंहः स्पीकर साहब, मैंने प्र न पूछा था कि एक ट्रक के कलीनर को 1 जनवरी, 1973 से 10 जनवरी, 1973 तक एक एस0डी0ओ0 के अधीन काम करने पर 10 जनवरी, 1973 की बजाए 20 जनवरी, 1973 तक उसकी प्रजैन्ट मार्क की गई और 20 दिनों का वेतन उसे दिया गया और वही कलीनर फिर 20 दिनों तक एक और अफसर के पास काम करता रहा और इस तरह उसको महीने में 40 दिनों का वेतन दिया गया। अब इन्होंने अपने जवाब में कहा है कि कलीनर को टरमीनेट कर दिया गया और एस0ओ0 के खिलाफ ऐक ान लिया जा रहा है तो मैं इनसे

पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार उस एस0डी0ओ0 के खिलाफ भी कोई ऐक ान लेना चाहती है जो कि सारी गलती का जिम्मेवार है ?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठाः स्पीकर साहब, हम इस बारे में इनक्वायरी कर रहे हैं। जो उसमें इनवाल्वड होगा, उसके खिलाफ ऐक ान लिया जाएगा।

Ch. Mehar Chand: May I know from the Hon. Minister whether the Government has at any stage tried to find out how Ch. Dal Singh is deeply interested in the affairs of Bhiwani district alone? (Laughter)

(No reply)

श्री अमर सिंहः स्पीकर साहब, जैसे मिनिस्टर साहब नेफरमाया कि इनक्वायरी हो रही है, तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि कौन इनक्वायरी कर रहा है और कब तक वह समाप्त हो जाएगी ?

सिंचाई एवं बिजली मंत्री (श्री बनारसी दास गुप्ता): अध्यक्ष महोदय, दसअसल यह बात हमारे नोटिस में तब आई जब यह प्र न पूछा गया। अब हम इस बात की इनक्वायरी कर रहे हैं। डिपार्टमैंटल इनक्वायरी कर रहे हैं और जो भी अफसर इसमें दोशी होगा उसको सजा दी जाएगी।

Hygienic Drinking Water in Villages

***806. Ch. Mehar Chand:** Wil the Minister for Irrigation and Power be pleased to state the maximum point of achievement reached upto May, 1968, and May, 1974, separately, in terms of number of villages in respect of the provision of hygienic drinking water in rural areas?

गृह एवं स्वास्थ्य राजय मंत्री (श्रीमती भारदा रानी): मई 1968 तक 203 गांवों में स्वच्छ पीने के पानी की सुविधा दी गई, तथा मई, 1974 तक 714 गांवों में स्वच्छ पीने के पानी की सुविधा प्रदान की गई।

Ch. Mehar Chand: May I know from the Hon. Minister whether the Government is considering the feasibility of linking adjacent villages to the existing water works for economising expenditure?

श्रीमती भारदा रानी: स्पीकर साहब, जहां पर इस प्रकार का इकौनोमाइजिंग एक्सपैंडीचर हो सकेगा, वहां पर हम फंडज की अवेलेबिलिटी को देखते हुए ऐसा करने पर विचार करेंगे।

चौधरी दल सिंह: स्पीकर साहब, यह हाइजिनिक ड्रिंकिंग वाटर को लेकर मैंने पहले भी प्रार्थना की थी कि जींद में इसकी कमी है। इसके अलावा जींद के अन्दर एक गांव है जजवान, उसके अन्दर मिल्क प्लांट का पानी जाता है जो कि लोगों के लिए बड़ा हानिकारक है। लोगों की सेहत को खराब करता है तो क्या सरकार इस बारे में कोई आव यक कदम उठाने का विचार रखती

है कि वह पानी वहां न जाए ? क्या सरकार इसकी पूरी कोि ा ा करेगी ?

सिंचाई एवं बिजली मंत्री (श्री बनारसी दास गुप्ता): अव य करेंगे और बहुत जल्द करेंगे।

श्री अमर सिंह: स्पीकर साहब, अभी मिनिस्टर साहिबा ने बतलाया कि मई, 1974 तक 714 गांव को पानी दिया गया है तो क्या वे बताने की कृपा करेंगी कि टोटल ऐसे कितने गांव हैं जिनका पानी खारा है ?

श्रीमती भाारदा रानी: स्पीकर साहब, ऐसे टोटल गांव 4180 हैं, लेकिन इन में से 714 गांवों को अच्छा पानी दिया जा सका है।

चौधरी राम लाल वधवा: स्पीकर साहब, क्या मंत्री महोदया यह बतलाने की कृपा करेंगी कि मई, 1974 से लेकर मार्च, 1975 तक, एक साल के अन्दर अन्दर और कितने गांवों को पानी दिया जा सकता है ?

श्रीमती भाारदा रानी: स्पीकर साहब, मार्च 1975 तक 100 और गांवों को पानी देने की व्यवस्था की जाएगी।

चौधरी फूल सिंह कटारिया: स्पीकर साहब, अभी मिनिस्टर महोदया न बताया कि 714 गांवों को अच्छा पानी दिया

जा सका है, तो क्या वह बतलाएंगी कि झज्जर में एक नाहड़ तहसील हैं उसके कितने गांवों को अच्छा पानी दिया गया है।

श्रीमती भारदा रानीः स्पीकर साहब, इसके लिए ये अलग से नोटिस दें तो हम बता देंगे। फिर भी मैं इनकी जानकारी के लिए राहतक जिला का बता देती हूं। रोहतक के 431 ऐसे गांव हैं जिन को अच्छे पानी की जरूरत है।

चौधरी मेहर चन्दः स्पीकर साहब, क्या मंत्री महोदया बताएंगी कि मीडियम वाटर वर्क्स की एवरेज कास्ट क्या होती है जोकि गांव में लगाया जाता है ?

श्रीमती भारदा रानीः स्पीकर साहब, हमारे पास जो फिग्र्ज हैं, उनके मुताबिक 714 गांव में इनको लगाने के लिए 1100 लाख रूपए का खर्चा आया है, अब एवरेज आप लगा लीजिए।

राव बंसी सिंहः स्पीकर साहब, क्या मंत्री महोदय यह बताएंगी कि जिला महेन्द्रगढ़ में ऐसे कितने गांव है जिनमें खारा पानी है और उनमें से कितनों को मीठा पानी मुहैया किया जा चुका है ?

श्रीमती भारदा रानीः स्पीकर साहब, महेन्द्रगढ़ जिले में 623 ऐसे गांव है जिनमें पानी खारा है। यह तो देखना पड़ेगा कि कितने गांवों को मीठा पानी दिया जा चुका है।

चौधरी दल सिंहः स्पीकर साहब, क्या मंत्री महोदया यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जहां जहां पर वाटर वर्क्स का काम हो चुका है वहां पर पानी किस हिसाब से दिया जाता है।

श्रीमती भाारदा रानीः स्पीकर साहब, जहां पर वाटर वर्क्स का काम पूरा हो चुका है वहां पर हम पहले 5 गैलन प्रति व्यक्ति के हिसाब से पानी देते थे, अब जो नई योजना है, उसके मुताबिक हम 10 गैलन प्रति व्यक्ति पानी देते हैं।

श्री अमर सिंहः जैसे मिनिस्टर साहब ने जवाब में बताया कि 4180 के करीब गांव ऐसे हैं जहां खारा पानी है क्या गवर्नमैंट के विचाराधीन कोई ऐसी प्रोपोजल है कि क्रै ा प्रोग्राम बनाकर गांवों में पानी दिया जाए ?

श्रीमती भाारदा रानीः जी हां। चाहते तो हम भी यही है।

चौधरी पीर चन्दः क्या मंत्री महोदया बताएंगी कि हिसार जो एक बहुत बड़ा भाहर है और वहां पानी की सप्लाई पूरी नहीं आती, क्या इसके लिए कोई और इन्तजाम किया जाएगा ?

श्रीमती भाारदा रानीः जहां–जहां इस प्रकार की परे ाानियां हैं, देख ली जाएंगी।

श्री जगजीत सिंह टिक्काः क्या मंत्री महोदया बताएंगी कि अम्बाला जिला की क्या पोजी ान है ? वहां पर कितने ऐसे गांव हैं, जहां पानी नहीं पहुंचा या कमी है ?

श्रीमती भाारदा रानीः अम्बाला में 554 ऐसे गांव हैं जिनमें पानी की कमी है लेकिन इनमें भी काफी गांवों को पानी दिया जा चुका है, मैं इसकी डिटेल बाद में बता दूंगी।

चौधरी फूल चन्द (मुलाना): अभी मिनिस्टर साहिबा ने बताया कि 554 गांवों को पानी देना है, तो जो आने वाली स्कीम है उसमें बराड़ा ब्लाक में कितने गांवों को पानी देने जा रहे हैं ?

श्रीमती भाारदा रानीः ब्लाक–वाइज फिग्र्ज मेरे पास नहीं है।

श्री हरि सिंहः क्या मंत्री महोदया, बताएंगी कि जिला करनाल में ऐसे कितने गांव हैं जिनमें पानी नहीं है ?

श्रीमती भाारदा रानीः 452 गांव है।

चौधरी राम लाल वधवाः क्या मंत्री महोदया बताएंगी कि वाटर वर्क्स वाइज कितने घंटे रोज पानी दिया जाता है ?

श्रीमती भाारदा रानीः यहां घंटों का सवाल नहीं है, गैलनों का सवाल है।

श्री बिहारी लाल बाल्मीकिः मंत्री महोदया बताएंगी कि होडल के इलाके, जिस में खारा पानी बहुत है, क्या वहां पर मीठा पानी देने की योजना है ?

श्रीमती भारदा रानीः जी हां, वहां पर भी मीठा पानी देने की योजना है।

श्री ओम प्रका ा गर्गः क्या मंत्री महोदय बताएंगी कि कुरूक्षेत्र जिला में कितने ऐसे गांव है, जिनमें खारा पानी है और उनमें से कितने गांवों को वाटर सप्लाई करने का इन्तजाम किया जा रहा है ?

श्रीमती भारदा रानीः कुरूक्षेत्र में 41 गांवों में खारा पानी है।

श्री अध्यक्षः आप सभी डिस्ट्रिक्टवाइज बता दें।

श्रीमती भारदा रानीः जहां पर पानी की जरूरत है, उन गांवों की संख्या जिलावार इस प्रकार हैः– अम्बाला में 554, भिवानी में 464, गुड़गांवा में 441, हिसार में 699, जींद में 276, करनाल में 46, कुरूक्षेत्र में 41, महेन्द्रगढ़ में 623 और सोनीपत में 246 है।

चौधरी अमर सिंहः जैसे मिनिस्टर साहिबा ने बताया कि हिसार में 699 गांवों में खरा पानी है और 31 दिसम्बर, 1974 तक सौ गांवों को पानी देने के बारे में भी इन्होंने बताया तो मैं

जानना चाहता हूं कि हिसार जिले के कितने गांव इस सौ की फिगर में भाामिल होंगे ?

श्री निहाल सिंहः स्पीकर साहब, हाउस में जब मिनिस्टर महोदय मौजूद हो, तो स्टेट मिनिस्टर की बजाए उनको ही जवाब देना चाहिए और ये तो लेडी स्टेट मिनिस्टर हैं, इसलिए मिनिस्टर साहब की और भी जिम्मेदारी हो जाती है। (हंसी)

Mr. Speaker: She is more active than the Minister ..... (Laughter) .....

श्री बनारसी दास गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, 180 स्कीमें ऐसी है, जिनमें वाटर सप्लाई का काम चल रहा है और अन्डर प्रोग्रैस है। गुड़गांव में 20 गांव है, महेन्द्रगढ़ में 16, हिसार में 28, भिवानी में 43, अम्बाला में 18, करनाल में 3, कुरूक्षेत्र में 8, जींद मे 14, रोहतक में 25 और सोनीपत में 5 गांव ऐसे है जिनमें कार्य अन्डर प्रोग्रैस है।

चौधरी मनफूल सिंहः अभी मिनिस्टर साहब ने बताया कि चार हजार से कुछ ज्यादा गांव हैं जिनमें क्रै ा प्रोग्राम के मुताबिक जल्दी पानी दिया जाएगा तो क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि कितना समय लग जाएगा ?

श्री बनारसी दास गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, ऐसा है कि जिन गांवों में वाटर सप्लाई करने की जरूरत है उनके लिए हमें साढ़े 75 करोड़ रूपए की जरूरत हे लेकिन हमें इस

पंचवर्शीय योजना के अन्दर केवल 29 करोड़ रूपया मिला है अब इस हिसाब से आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि 29 करोड़ रूपए में हम कितने गांवों में पानी दे सकते हैं और जो 29 करोड़ रूपया मिला है, उसमें भी पहले साल के लिए 1.44 करोड़ रूपए मिले हैं जिससे हम 100 गांवों में पीने के पानी की सुविधा प्रदान कर सकते हैं।

श्री गणपत रायः अभी मंत्री महोदया ने बतायसा था कि प्रति व्यक्ति को अब दस गैलन के हिसाब से पानी दिया जा रहा है। इस हिसाब से दादरी में पूरा पानी नहीं मिल रहा है तो क्या वहां पानी पूरा देने के लिए तैयार है ?

श्रीमती भाारदा रानीः जहां–जहां पानी की कमी होगी हम चैक करवाएंगे और कमी को पूरा करने की कोि ा ा करेंगे।

लाला रूलिया रामः अभी मिनिस्टर साहब ने बताया कि जिला करनाल के अन्दर भी 46 गांव में खारा पानी हैं तो क्या उनके लिए भी कोई कदम उठाया जा रहा है कि वहां पर भी मीठा पानी सप्लाई किया जाए ?

श्री बनारसी दास गुप्ताः यह तो इस प्रकार है कि जिन जिलों में ज्यादा गांवों में खारा पानी है वहां ज्यादा गांवों में काम भाुरू है और चूंकि करनाल जिले में ऐसे गांवों की संख्या कम है इसलिए वहां पर कम गांवों में काम भाुरू है।

श्री अमर सिंहः क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि जमालपुर और पपोसा गांवों में वाटर टैंक बने हुए हैं लेकिन पानी अभी तक नहीं दिया जा रहा है वह कब तक दे दिया जाएगा ?

श्री बनारसी दास गुप्ताः दो वि ोश गांव जिनका माननीय सदस्य ने जिकर किया उनके संबंध में मैं पूरा विवरण नहीं दे सकता। लेकिन मेरी नालेज में एक बात है कि बवानी खेड़ा कांस्टीच्यूएंसी में कुछ गांव ऐसे हैं जिन्होंने अपने भोयर अभी तक जमा नहीं करवाए। सरकार ने अपना काम भ्रुरू कर दिया है अगर माननीय सदस्य गांव वालों को कह कर भोयर जमा करवा देंगे तो हम वहां भी काम भ्रुरू करवा देंगे।

Mr. Speaker: There have been sufficient number of supplementries on this question. Next quetion, please.

Increasing of Water in Canals

***840. Smt. Lajja Rani:** Wil the Minister for Irrigation and Power be pleased to state:-

(a) whether there are any schemes under consideration of the Government to augment the water in the existing canals;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the time by which the said schemes are likely to be implemented and name of the canals which will be benefited under the above schemes?

State Minister for Irrigation and Power (Sardar Harmohinder Singh Chatha):

(a) Yes.

(b) A number of augmentation tube-well schemes are presently under consideration to augment the water in the canals.

(1) 100 augmentation tube-wells along Gurgaon Canal for an installed capacity of 160 cusecs.

(2) 150 tube-wells along Hansi Branch for an installed capacity of 260 cusecs.

(3) 50 tube-wells along Sirsa Branch with an installed capacity of 90 cusecs.

(4) 25 tube-wells along Kishangarh Link Channel for an installed capacity of 30 cusecs.

(c) These schemes are proposed to be implemented upto the end of the financial year, 1974-75, subject to the availability of funds. The existing WJC system, Gurgaon Canal System and Bhakra Canal System will be benefited by these schemes.

चौधरी ि ाव राम वर्मा: क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि जैसे आगुमैन्टे ान ट्यूबवैल्ज की बात उन्होंने बताई उनके कारण से किसानों के ट्यूवबैलों में पानी कम हो गया है और कई बन्द हो गए हैं। क्या किसानों के ट्यूबवैलों का पानी जारी रखने के लिए सरकार कोई कदम उठाएगी ?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठाः इस बात को हमने ऐग्जामिन करवाया है और रिपोर्ट भी हमारे पास आ गई है। हम कोि ा ा करेंगे कि किसी जमींदार का नुक्सान न होने दिया जाए।

चौधरी राम लाल वधवाः मंत्री महोदय ने अभी बताया कि रिपोर्ट आ गई है तो क्या उसमें दिया हुआ है कि प्राइवेट ट्यूबवैलों को पानी दिया जाएगा ?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठाः मैंने कहा है कि वह रिपोर्ट आ गई है। That report is being exained. जितनी देर ऐग्जामिन न करें मैं कुछ नहीं कह सकता।

चौधरी दल सिंहः क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि आप जो नया पानी पैदा कर रहे है तो उसमें से वस्टर्न जमुना कनाल में कितने क्यूसिक पानी देंगे ?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठाः जो हम नया पानी पैदा कर रहे हैं, उसके लिए हम कोि ा ा कर रहे हैं कि वह सारे हरियाणा में डिस्ट्रिब्यूट किया जाए। हम चाहते हैं कि यह सारे हरियाणा का पानी है इसलिए इसकी डिस्ट्रिब्यून सारे हरियाणा में एक जैसी हो।

चौधरी दल सिंहः स्पीकर साहब, मैंने पूछा है कि वह पानी किस भाहर से डिस्ट्रिब्यूट होगा, उसमें से वैस्टर्न जमना को

कितना मिलेगा और भाखड़ा कैनाल को कितना मिलेगा ? What will be that proportion? Some measurement must be there.

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठाः स्पीकर साहब, भाखड़ा सिस्टम में पहले ही पानी ज्यादा है और जमुना सिस्टम में कम पानी है। हम कोि ा ा कर रहे हैं कि जमना सिस्टम को भाखड़ा सिस्टम के बराबर किया जाए।

चौधरी मनफूल सिंहः जो आपका ऑग्मैंटे ान ट्यूबवैल्ज का प्रोग्राम है उसे टेल्ज पर पानी नहीं पहुंचता इसका क्या कारण है ?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठाः ऑग्मैंटे ान ट्यूबवैल्ज का फंक ान तो नहरों में पानी डालने के लिए होता है, बाकी टेल पर पानी पहुंचाने का काम इरीगे ान का है।

चौधरी राम लाल वधवाः क्या वजीर साहब बताएंगे कि जो रिपोर्ट कैनाल ऑग्मैंटे ान के सिलसिले में आई है वह सरकार के पास कब पहुंची और उस को एग्जामिन करने के लिए कितना अर्सा लगेगा ?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठाः स्पीकर साहब, रिपोर्ट आई को कुछ ही दिन हुए हैं और हम उसको एकटिवली एग्जामिन कर रहे हैं और बहुत जल्दी ही उस पर विचार किया जाएगा।

लाला रूलिया रामः तीन महीने हुए हमें चीफ इंजीनियर श्री मल्होत्रा से लैटर आया था कि आप जिला करनाल के बारे में हमें रिपोर्ट दे कि वहां पर वाटर लैवल कम हुआ है कि नहीं। हम ने उनको अपनी रिपोर्ट भेज दी थी, मैं यह निवेदन करूंगा कि उन्होंने उसके बारे में क्या रिपोर्ट दी है वह हमें बताया जाए ?

सिंचाई एवं बिजली मंत्री (श्री बनारसी दास गुप्ता): अध्यक्ष महोदया बात ऐसे है कि इस प्रकार की ि ाकायतें हमें मिल रही थीं कि सरकार द्वारा जो ऑग्मैंटे ान ट्यूबवैल लगाए गए हैं या डायरैक्ट इरीगे ान ट्यूबवैल लगाए हैं, उन से प्राइवेट ट्यूबवैल्ज पर असर हुआ है। इस बात की तफती ा करवाने के लिए हमने एक बहुत हाई रैंक के इंजीनियर को इस काम पर लगाया और उन्होंने अपनी पूरी टीम के साथ इस बात की इनवैस्टीगे ान की है और बड़ी लम्बी चौड़ी रिपोर्ट उन्होंने सरकार को अभी पिछले दिनों ही भेजी है और हम उस रिपोर्ट को ऐग्जामिन करवा रहे हैं। लेकिन मैं एक बात स्पश्ट करना चाहता हूं कि जहां तक मैंने उस रिपोर्ट को देखा है मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि जितनी ि ाकायतें की जाती है कि ऑग्मैंटे ान ट्यूबवैल लगाने से प्राइवेट ट्यूबवैल पर असर पड़ा है दरअसल उतनी बात नहीं है। हां कुछ एरियाज में असर हुआ है, खास तौर से नरवाना ब्रांच के साथ–साथ जो ट्यूबवैल लगे हैं, उनका कुछ असर हुआ है। लेकिन जो प्राइवेट ट्यूबवैलज में पानी कम हुआ है, उसके और भी कारण हैं। एक तो पिछले कई वर्शों

से नहीं हो रही इसलिए कुओं के पानी का लेवल नीचे चला गया है। ऐसी मिसालें भी हैं कई जगह सरकार ने जहां डीप ट्यूबवैल नहीं लगाए, वहां भी पानी नीचे चला गया। इसके इलावा नहरों की लाईनिंग होने से, ड्रेनों को बदला जाने से और फलड को कंट्रोल करने से भी असर पड़ा है।

चौधरी चांद रामः स्पीकर साहब मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि जब यह रिपोर्ट सदन में रखी जाए तो उस पर डिस्क ान होनी चाहिए क्योंकि यह बहुत इम्पोर्टैंट मामला है।

Mr. Speaker: This question Hour and the Hon. Minister is replying to the question. I will decide that matter at the proper time.

श्री बनारसी दास गुप्ताः स्पीकर साहब, जब भी वह मौका आएगा हमारे जो अपोजी ान के नेता हैं हम उनको भी कानफीडैंस में लेंगे और सबके साथ बैठ कर उसको डिस्कस करेंगे।

श्री अमर सिंहः वजीर साहब ने फरमाया था कि वैस्टर्न जमना का पानी भाखड़ा सिस्टम के बराबर कर देंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि वैस्टर्न जमना में कितना पानी कम है और भाखड़ा कैनाल में कितना ज्यादा पानी है ?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठाः इस वक्त 40 और 60 की रे ाो है।

Electric Generation

***845. Ch. Pokar Ram Godara:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to State the steps, if any taken or proposed to be taken by the Government to increase the installed capacity for generating the electricity?

State Minister for Irrigation and Power (Sardar Harmohinder Singh Chatha): A statement containing the requisite information is laid on the Table of the House.

STATEMENT

The Haryana State Electricity Board has undertaken the following projects to increase its installed capacity:-

Installed Capacity

1. Faridabad Thermal extension Project. 2x60 M.W.

2. Panipat Thermal Power Plant Stage-I. 2x110 M.W.

In addition Haryana has share of 212 M.W. in the installed capacity of Beas Project Unit-I.

The Haryana State Electricity Board has proposed the following projects to increased its installed capacity further:-

1	Faridabad Thermal extension unit-III	60 M.W.
2	Panipat Thermal Power Plant	2x110 M.W.

	Stage-II	
3	Beas unit-I Stage-II (Haryana's Share)	105 M.W.
4	Beas unit-II (Haryana's share)	40 M.W.

Production of Cotton

***851. Sh. Behari Lal Balmiki:** Will the Minister for Agriculture be pleased to state:-

(a) the total number of bales of cotton produced in the State during the year 1968-69 and 1973-74, separately; and

(b) the target of production of cotton fixed for the year 1974-75?

कृशि मंत्री (चौधरी भजन लाल):

	वर्श	कपास की पैदावार (गांठे लाखों में)
(क)	1968—69	3.37
	1973—74	4.50
(ख)	1974—75	4.70

Restriction on Bringing Wheat from Ballabgarh to N.I.T Faridabad

***858. Sh. K.N. Galatl :** Will the Minister for Social Welfare and Taxation be pleased to state:-

(a) whether there is any restriction on the free movement of wheat between Ballabgarh and N.I.T. Faridabad; and

(b) if so, when this restriection is likely to be removed ?

Social Welfare and Taxation Minister (Shri Shyam Chand):

(a) Yes, N.I.T. Faridabad falls in 5 mile belt area and according to the Inter Zonal Wheat and Wheat products (Movment Control) Order, 1973, movement of wheat to any place in the 5 mile belt area from any place outside that arca is restricted.

(b) This restriction will continue till Haryana remains a Single State Wheat Zone.

श्री के0 एन0 गुलाटी : स्पीकर साहिब क्या आनरेबल मिनिस्टर साहिब बताने की कृपा करेंगे एरिया की क्या डैफीनी ान है?

Sh. Shyam Chand : That I have already explained, Sir.

श्री के0 एन0 गुलाटी : स्पीकर साहब, मै होम मिनिस्टर साहब से और फूड मिनिस्टर साहब स प्रर्थाना करूंगा कि

फरीदाबाद और बल्लभगढ़ के बीच मे गेहूँ के आने जाने पर पाबन्दी नही होनी चहिए।

Mr. Speaker : The Hon, Member connot be allowed to put questions to two Ministers at a time.

Shri Shyam Chand: Sir, I will explain. The Hon. Member wants that there should be no restrction on the movement of wheat from Faridabad to Ballabhgarh and vice-versa. In Faridabad Mandi, arrival this year is 4800 quintals and out of that 4410 quintals have been purchased by the consumers in Faridabad itself.

श्री के0 एन0 गुलाटी: क्या वजीर साहब बताएगे कि फरीदाबाद टाऊनि ाप मे गंदम के क्या रेट है और बल्लभगढ़ मे क्या रेट है?

Shri Shyam Chand: I need a separate notice for that.

Brakish Water in the State

***869 Malikjk Sat Ram Das Batra : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state:-**

(a) whether it is a fact that tubewiells were installed by the farmers in the areas where the water is brackish; and

(b) the steps taken or proposed to be taken by the Government to help such farmers in obtaining sweet water by digging deep tubewells?

State Minister for Irrigation and Power (Sardar Harmohinder Singh Chatha):

(a) Yes.

(b) the farmers of such areas are helped by exploring the deeeper aquifers for sweet water through Trial Bore Scheme by the Department of Agricultulture.

Tubewell Connections

***882. Chaudhri Ram Parshad:** Will the Minister for Irrigation and power be pleased to state the total number of tubewell connections given in the Bawal Constitueney during the period from the 1st January, 1973 to the 31st Murch, 1974 ?

State Minister for Irrigation and Power (Sardar Harmohinder Singh Chatha): The above information is not avable, as the statisties of trative units i.e. sub- sub diviseon and division wise and not constitueny tubewells were energised in this under Rewri Division and 1.1992 tubewells were energised in this Diveision during the period 1st January, 1973 to 31st March, 1947.

चौधरी राम प्रसादः क्या वजीर साहब बताएंगे कि ऐसे कितने टयूबबैल्ज बाकी है, जिनकी कनैक ान्ज अभी तक नही दिए गए और देने बाकी है?

सरदार हरमोहिन्दर सिंह चठ्टाः हमारे पास कास्टीच्यूऐसी बाइज इस बारे मे इनफर्मे ान नही है सबडिविनवाइज है जोकि हमारे बिजली के होते है।

चौधरी फूल सिंह कटारिया: क्या वजीर साहब बताएंगे कि तहसील झज्जर मे कितने कनैक ान देने बाकी है?

सरदार हरमोहिन्दर सिंह चठ्टा: मैने पहले ही अर्ज किया है कि हमारे पास सरकल और डिवीजन और सब डिविजन वाइज इनफर्मे ान होती है तहसील वाइज नही होती है।

Canals

***889. Chaudhri Phul Singh Kataria:** Will the Minister for Irrigtion and Power be pleased to State the time by which the folwing canals are likely to become perennial :-

(i) Jui Canal;

(ii) Jhajjar Lift Scheme;

(iii) Indira Canal ; and

(iv) Chakravarty Canal ?

State Minister for Irrigation and Power (Sardar Harmohinder Singh Chatha):

(i) Jui Canal has already been made perennial from 28-1-1993.

(ii) Jhajjar Lift Scheme, Indrea Gandhi Canal System and B.N.

(iii) Chakravarty Canal System are likely to be made pernnial, on

(iv) the avalabiity of Haryana ‘ s share in the surplus Ravi- Beas waters.

Electric Power

***871 Camrade Ram Kishan Azad:** Will the Minister for Irriga tion and Power be p;eased to state :-

(a) the total units of electric power generated or recived by the State in the years 1967-68 and 1972-73 and 1973-74 separately;

(b) the names of the sources frome which the electrec power is being generated or received by the State alongwith the quantity thereof;

(c) the total estimated demand of the consumers at present in the State; and

(d) the manner in which the Goverment proposes to fill up the gap, if and ?

State Minister for Irrigation and power (Sardar Harmohider Singh Chatha):

(a), (b), (c) and (d)

A Statement containing the requisite information is laid on the Table of the House.

Statement

(a) The year- wise total units of electricity genoratod/received are as under:-

Year	Units generated/recelved in lakh kwh
1967-68	6065.08
1972-73	16336.71
1973-74	18783.70 (Provisional)

(b)The average daily availabilyt of power at poresent from var5ious sources is as under:-

(i)	Bhakar Management Board:	2.7 Milion Units.
(ii)	Delhi Electric Supply Undertaking.	1.1 Million Units.
(iii)	Basarpur	0.2 Million Units.
(iv)	Ranapartap Atomic Power Plant.	0.3 Million Units.
(v)	Own generation	0.3 Million Units.
	TOTAL	4.6 Million Units.

(C) 7.0 Million Units per day.

(d) By restricting the Gonsumption of various Gategories of consumers.

Land for Industrial Units

***873. Shri Hari Singh:** Will the Minster for Industries be Pleased to State:-

(a) the districtwise total area of land developed for Industrial purposes in the State from May, 1969 to 31st Murch, 1974; and

(b) whether the Govrnment has set up or intends to set up industrial develo pment colonies in the State; if so, the names of the places where such colonies are likely to be set up?

industries Minester (Shri Harpal Singh):

(a) A statement is placed on the Table ot the house.

(b) Yes. It is proposed to acquire land for industrial purposes and establish Industrial Development Colonies at Gohana, Jind, Jakhal, Dadri, Sosepat, Faridabad , Raware, Bhiwani, Hisar, Gurgaon, Samalkha and Karnal.

Statement

	District Rohtak	
	By the Industries Department	63.45 acres
	District Sonepat	
(i)	By the industries Department	1.27 acres.
(ii)	By the Director.	198.00 acres.

	Urband Estates	
(iii)	By the Haryana Industrial Development Corporation	36.00 acras.
	District karnal	
	By the industries Dipartment	9.44 acras.
	District Ambala.	
(i)	By the industries Department	68.06 acras.
(ii)	By the Director. Urban Estated	394.89 acres.
(iii)	By the Haryana Industrial Development Corporation	21.00 acres.
	District Gurgaon	
(i)	By the director, Urban Estates	1374.61 acres.
(ii)	by Haryana indurial Development Corporation	50.00 acres.

	district Bhiwani.	
	By the Director, Urban Estates.	178.61 acres.

चौधरी दल सिंहः जींद मे जो इंडस्ट्रियल कालोनी बनाई जा रही है उसके लिए जमीन ऐक्वायर कर ली गई है या करनी बाकी है और अगर कर ली है तो कितनी की है?

श्री हरपाल सिंहः मैने पहले भी ऐक्सप्लेन किया है कि 62 एकड़ जमीन एक्वायर करने को प्रोपोजल है और इस सालह 25 एकड़ एक्वायर कर रहे है। सैक ान 4 की कार्य वाही हो चुकी है और सैक ान 6 की होनी बाकी है जो होने वाली है।

श्री हरि सिंहः क्या बजीर साहब बताएंगे कि सम्भालका मे कब तक जमीन ऐक्वायर करने का काम भुरू किया जाएगाय और कितनी लैड ऐक्वावर की जाएगी?

श्री हरपाल सिंहः वहा पर 25 एकड़ लैड ऐक्वायर करने की प्रोपीजल है और इसी साल कर रहे है।

श्री अमर सिंहः हांसी मे कितनी लैड ऐक्वायर की जानी है और उस बारे मे सैक ान 4 और 6 की कार्यवाही हो चुकी है या नही हुई है?

श्री हरपाल सिंहः हांसी की कुछ जमीन ऐक्वायर्ड है जो कालेनीजे ान डिपार्टमैंट वालों ने कर रखी है और वह मंडी के साथ–साथ इंडस्ट्रियल कालोनी के लिए भी ऐक्वायर कर रहे है जो कि कम से कम 25 एकड़ होगी।

श्री हरि सिंहः क्या वजीर साहब बताएंगे कि करनाल जिला मे सब से कम लैड क्यों ऐक्वायर की गई है?

श्री हरपाल सिंहः जितनी डिमांड हो, उसके मुताबिक ही एक्वायर करते है। करनाल वालों का एग्रीकल्चर की तरफ ज्यादाा ध्यान है और इंडस्ट्री तरफ कम है।

चौधरी दल सिंहः क्या वजीर साहब बताएंगे कि जींद मे इंडस्ट्रियल कालोनी तो बना दी लेकिन वहां कंस्ट्रक ान का काम कब तक भुरू किया जाएगा?

श्री हरपाल सिंहः इस बारे मे प्रोपोजल यह है कि अगले साल तक प्लाट्स डिवैल्प करके दे देगे।

चौधरी अमीर चन्द कक्कड़ः क्या भााहबाद मे भी कोई ऐसी कलोनी बनाने की तज वीज है?

श्री हरपाल सिंहः अभी तक तो कोई नही है।

चौधरी पीर चन्दः क्या वजीर साहब, बताएंगे कि यह जो कालोनीज बनाई जा रही है, इसमे हरिजनों के लिए भी कोई प्लाट्स का रिजर्व कोटा रखा गया है?

श्री हरपाल सिंहः स्पीकर साहब, इसमे ऐसा है कि अलाटमैंट करते वक्त दो बातों का ख्याल रखते है एक अवेलोबिलिटी और दूसरे टैकनीकल फीजिबिलिटी। अगर कोई हरिजन ऐसी इन्डस्ट्री लगाना चाहे जो टैक्नीकली फीजिबल होती उसकी प्रैफैस देगे।

राव अभय सिंहः क्या दारूहेड़ा मे भी कोई ऐसी कालोनी बनाने की तजबीज है?

श्री हरपाल सिंहः वहां टाउन ऐंड कन्ट्री प्लाइनिंग वाले काफी जमीन, कोई 200 एकड़ के करीब इंडस्ट्रियल परजिज के लिए एक्वायर कर रहे है।

Soll Testing Laboratories

***874. Chaudhri Brij Lal:** Will the Minister for Agriculture be pleased to state-

(a) the total number of soilj testing labratories in the State as on 1st May, 1968 and as on 1st May, 1974, separately;

(b) the number of soilj tests carried in the labratories mentioned in part (a) above, during the year 1967-68,1968-69,1969-70,1970-71,1971-72,1972-73, and 1973-74, separately;and

(c) whether the Govenment inteds to open more soil testing laboratories during 1974-75, if so. the names of the places where such laboratories are likely to be set up?

कृशि मन्त्री (चौधरी भजन लाल):

(क) कतथा (ख) सूची विधान–सभा पटल पर रखी जाती है। (ग) हां, अम्बाला तथा नारलौल मे।

सूची

(क) क 1 मई, 1968 तक भून्य

1 मई, 1947 तक 22

(ख)

वर्श	वि लेशण सैपलों की संख्या
1967–68	
1968–69	
1969–70	51,845
1970–71	50,010
1971–72	57,591
1972–73	53,674
1973–74	56,615

चौधरी बृज लालः क्या वजीर साहब बताएंगे कि सरकार सब डिविजनल लेव पर ऐसी लेबॉरेट्रीज खोलने का इरादा रखती है और जिला हिसार मे हर सब–डिवीजनल नेचल पर इनको खोलेगी ताकि लोगों को ज्यादा सहूलियतें मिल सकें?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, सरकार वैसे हर सब–डिवीजनल हैड क्वार्टर पर ऐसी लेबॉरेट्रीज खोलने का विचार रखती है और स्टैट मे हम ने 26 जगह पर यह लेबॉरेट्रीज खोली हुई है जोकि तीन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटभ की है, एक मार्कीटिग फैडे ान की और 22 ऐग्रीकल्चर डिमार्टमैंट की तरफ से है और यह हिसार मे तीन जगह सिरसा, फतेहाबाद और हांसी मे खोली जा चूकी है।

श्री जगजीत सिंह टिक्काः क्या वजीर साहब बताएंगे कि अम्बाला जिला मे इन 26 मे से कितनी है और कहां कहां पर है?

चौधरी भजन लालः अम्बाला जिला मे दो जगह जगाधरी और नारायणगढ़ मे है।

श्री ओम प्रका ा गर्गः क्या वजीर साहब बताएंगे कि जिला कुरूक्षेत्र मे भी कही इस चीज का प्रबन्ध किया गया है?

चौधरी भजन लालः कुरूक्षेत्र मे दो जगह थानेसर और कैथल मे भी खोल चुके है।

Production of Foodgrains

*__876. Sh. Prem Sukh Dass:__ Will the Minister for Agriculture be pleased to State:-

(a) the total production of foodgrain in the State in the years 1968-69,1969-70,1970-71,1971-72,1972-73,and1973-74, separately;

(b) the total area of land in the State where foodgrain was produced in the years mentioned in part (a) above; and

(c) whether more area oif land is likely to be brought under culti vation for the production of foodgrain in the year 1974-75; if so, the approximate area thereof?

कृशि मंत्री (चौधरी भजन लाल):

(ए)

(बी) सूचना विधान सभा पटल पर रखी जाती है।

(सी) हां, वर्श 1974–75 के लिए खाद्यान्नो क अधीन क्षेत्र 39,90,000 हैक्टेयर हो जाएगा जबकि वर्श 1973–74 मे 39,24,000 हैक्टेयर थां। इस प्रकार वर्श 1974–75 मे 66,000 हैक्टेयर क्षेत्र अधिक हो जाएगा।

विवरण

(ए) इन वर्शा के खाद्यान्नो का उत्पादन निम्न प्रकार से है:–

वर्श	उत्पादन 000 टनो मे
1968–69	2764
1969–70	4626
1970–71	4771
1971–72	4543
1972–73	4002
1973–74	3797
(अनुमानित)	
(बी) इन वर्शो मे खाद्यान्नों का क्षेत्र इस प्रकार है:–	
वर्श	क्षेत्र,000 हैक्टेयर में
1968–69	3117
1969–70	3866
1970–71	3867
1971–72	3954

1972—73	3924
1973—74	3924
(अनुमानित)	

Production of Cotton

***878.Rao Abhai Singh:** Will the Minister for Agriculture be be pleased to State:-

(a) the total quantity of contton produced in the State in the years 1968-69, 1969-70, 1970-71, 1971-72, 1972-73, and 1973-74, separately;

(b) the total area of land in the State whee cotton was produced in the years mentioned in prat (a) obove, separately; and

(c) whether more area is likely to be brought under cutivation for the production of cotton during the year 1974-75; if so the approximate area thereof?

कृशि मंत्री (चौधरी भजन लाल):

(क)तथा (ख) सदन के लिए ब्यौरा प्रस्तुत है।

(ग) वर्श 1974—75 में वर्श 1973—74 की अपेक्षा कपास उत्पादन क्षेत्र में कोई वृद्वि की आ ाा नही।

विवरणिका

(क) राज्य में विभिन्न वर्शों में कपास का उत्पादन निम्न प्रकार से है:–

वर्श	उत्पादन 000 गांठें
1968–69	337.0
1969–70	340.0
1970–71	353.0
1971–72	439.0
1972–73	423.0
1973–74	450.0
(अनुमानित)	
(बी) इन वर्शो मे खाद्यान्नों का क्षेत्र इस प्रकार है:–	
वर्श	क्षेत्र 000 हैक्टेयर में
1968–69	212.0

1969–70	194.0
1970–71	194.0
1971–72	242.0
1972–73	257.0
1973–74	260.0
(अनुमानित)	

श्री अमर सिंहः क्या वजीर साहब बताएंगे जैसा कि उन्होंने फरमाया है कि साल 1974–75 मे वृद्धि की कोई आ ाा नहीं है इसका क्या कारण है ? क्या पानी की वजह से है या खाद की कमी की वजह से आ ाा नहीं है ?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, कपास के नीचे पिछले साल 2 लाख 60 हजार हैक्टेयर एरिया था और इस साल भी इतना ही रहेगा और इतनी काटन बोई गई है क्योंकि पानी और बिजली की कमी की वजह से ज्यादा सोईंग नहीं हो पाई है। वैसे ख्याल यह था कि ज्यादा सोईंग कराई जाए लेकिन पानी और बिजली की कमी के कारण ऐसा नहीं करा पाए। इसलिये पिछले साल जितना एरिया काटन के नीचे था, उतना ही इस साल रहेगा।

श्री हरि सिंहः क्या वजीर साहब बताएंगे कि कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

चौधरी भजन लालः पैदावार बढ़ाने के लिए किसान को अच्छे बीज देते हैं खाद देते हैं और काटन के ऊपर स्प्रे भी कराते हैं। स्प्रे करने के लिए पिछले साल सबसिडी भी दी थी जो कि साढ़े पांच लाख के करीब थी। किसानों को स्प्रे वगैरा करने के लिए लोन भी दिया जो कि साढे तेईस लाख के करीब था। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक की तरफ से भी एक प्रोजैक्ट सैन्क ान हुआ है और उसके तहत 18 करोड़ 65 लाख रूपया किसानों की बहबूदी के लिए खर्च किया जाएगा। किसानों को लोन दिया जाएगा। बीज बनाने के लिए प्लांट लगा रहे हैं ताकि किसानों को अच्छा बीज बनाकर काटन का दें जिससे पैदावार में बढ़ोतरी हो सके।

मलिक सतराम दास बतराः क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि हमारे पड़ोसी राज्य मे प्रोड्यूस के क्या आकंडे है और हमारी स्टेट के क्या है? अगर उस के मुकाबले मैं हमारे आकंडे कम है तो क्या इसकी वजह वह हो सकती है कि हमने जमीदारों को पानी और खाद कम दिया?

चौधरी भजन लालः दूसरे प्रदे ा के बारे में मै कुछ नही कह सकता। जहां तक हमारे प्रदे ा का ताल्लुक है, जब हरियाणा बना थाा तो हमारी एवरेज इल्ड 183 के0 जी0 पर हैक्टेयर रूई की थी और आज 1973–74 पर हैक्टेयर 312 के0 जी0 हो गई, यानी तकरीबन डबल इजाफा किया है पैदावार पढ़ाने मै।

चौधरी दल सिंहः क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि पैदावार बढ़ाने के लिए किसानों की सवसिडी या लोन भी देते है। अगर देते है तो कितनी सबसिडी या लोन किस–किस जिले को कितना–कितना दिया है?

चौधरी भजन लालः जहां तक सबसिडी का तल्लुक है, जो इलाका कॉटन का है उस को सबसिडी दी जाती है और वह है डिस्ट्रिक्ट हिसार। जिला जींद और कैथल का भी कुछ एरिया है लेकिन यहां पर कपास कम पैदा होती है। कॉटन का ज्यादा एरिया हिसार डिस्ट्रिक्ट मे है और इस इलाके को हमने सबसिडी दी है जो कि साढे पांच लाख रूपये है।

श्री प्रेम सुख दासः इस साल कितनी सबसिडी दे रहे है?

चौधरी भजन लालः इस साल सबसिडी देने का प्रोग्राम नही है, अलबता लोन हम जरूर किसनों को देगें।

चौधरी बृज लालः स्पीकर साहब, सी0 सी0 आई0 के रेट्स बहुत कम है। क्या मंत्री महोदय सी0 सी0 आई के रेट्स को बढाने की कृपा करेगें।

चौधरीह भजन लालः जहा तक सी0 सी0 आई0 का ताल्लुक है और रेट बढ़ाने का तालुक है इस पर सी0 सी0 आई0 मे मीटिंग करके रेट बढ़ाने की बात की जा सकती है। इस पर हम विचार करेंगे और उन के साथ मिटिंग करने के बाद ही कुछ बता

सकैंगें कि बढ़ाएंगे या नही। लेकिन जो कुछ पोसिबल होगा वह करने की कोि ा ा करेंगे।

चौधरी ि ाव राम वर्मा: क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि इसके क्या कारण है कि हर साल पैदावार घटती जा रही है और प्रोजैक्ट बढ़ाते जा रहे है। अगर ऐसा ही होता रहा तो लोगों का पूरा कैसे पड़ेगा, मंहगाई कैसे कम होगी?

चौधरी भजन लाल: यह सवाल कपास की पैदावार के बारे मे है, इसके बारे में मै हर साल के आंकड़े बताना चाहूंगा।

1966–67 में 2 लाख 88 हजार गांठे,

1967–68 में 3 लाख 74 हजार गांठे,

1968–69 में 3 लाख 37 हजार गांठे,

1969–70 में 3 लाख 44 हजार गांठे,

1970–71 में 3 लाख 35 हजार गांठे,

1971–72 में 4 लाख 39 हजार गांठे,

1972–73 में 4 लाख 23 हजार गांठे,

1973–74 में 4लाख 50 हजार गांठे, और

1974–75 में 4 लाख 70 हजार गांठे, होने का अन्दाजा है।

श्री ओम प्रका ा गर्ग: स्पीकर साहब जैसे दवाईयों का स्प्रे किया जाता है, उसी प्रकार क्या मंत्री महोदय कि खादे कमी को पूरा करने के लिए खाद का स्प्रे करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है?

चौधरी भजन लाल: गर्ग साहब, ने अच्छा प्वायट कहा कि क्यौकि कुछ फसलें ऐसी है, जिनपर खाद का स्प्रे हो जाए तो पैदावार मे इजाफा हो सकता है। इसके बारे मे हमने किसनों को कहा है कि कुछ फसर्ले ऐसी है जिन पर खाद का स्प्रे करना चाहिए। इस समय समय पर किसनों को इस के मे बताते रहते है।

लाल रूलिया राम: जैसा कि मंत्री महोदय ने बताया कि खाद का स्प्रे करना चाहिए जिससे खाद में इजाफा हो जाए। मै मंत्री महोदय से जानना चांहूगा कि क्या गवर्नमैंट के पास या मंत्री महोदय के दिमाग मे कोई ऐसी चीज अन्दर कंसीड्रे ान है जिसके आधार पर खाद की कीमत कम हो सके और स्टेट मे पुरानी कीमत पर खाद मिल सके? आज खाद 103 रूपय कट्टा हो गई है। क्या पुराने रेट पर खाद देने की कोई प्रपोजल है?

चौधरी भजन लाल: ऐसी कोई प्रोपोजल सरकार के विचारधीन नही है जिसके मुताबिक खाद पुराने रेट पर दे क्योंकि खाद के जो रेट बढ़े है वे भारत सरकार ने बढ़ाए है और खाद बाहर मे मंहगे भाव में मिलती है। जब बाहर से ही मंहगे भाव पर मिले तो आगे भी मंहगे भाव पर देने के लिए मजबूर हैं।

अलबता यह बात जरूर है कि हमने इस सम्बध में भारत सरकार से प्रर्थाना की है कि खाद के दाम बढ़ाने के साथ–साथ किसान के अनाज भी मंहगा बिकना चाहिए।

राव बंसी सिंहः क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि इस साल के लिए जितनी खाद मिली है उस की डिस्ट्रिब्यू ान का पूरा प्रबन्ध कर लिया है स्टेट के अन्दर या नही?

चौधरी भजन लालः यह सवाल इससे उत्पन्न नहीं होता लेकिन फिर भी मै जानकारी के लिए बता देता हूं कि रब्बी की फसल के लिए हमने खाद की डिमांड 7 लाख टन की थी लेकिन भारत सरकार ने हमें साढ़े तीन लाख टन के करीब दी है। इसी तरह खरीफ की फसल ककके लिए इसमे 4 लाख टन खाद मांगी थी और भारत सरकार न अभी तक डेढ़ लाख टन दी है। हम पूरी कोि ा ा करते है कि हमें भारत सरकार ज्यादा खाद दे। भारत सरकार हरियाणा सरकार की हर तरह से पूरी सहायता करती है। जितनी भी खाद बाहर से आती है, कोटे के मुताबिक हमें पूरी मिलती है लेकिन खाद के कोटे में कमी होने के कई कारण हो सकते है। अगर बाहर से खाद ही कम आए तो हमें भी कम ही मिलेगी। लेकिन हम पूरी कोि ा ा करते है कि किसान को पूरी खाद दी जाए।

श्री हरि सिंहः क्या मंत्री महोदय कि ब्लैक लेवल पर या तहसील लेवल पर सरकार की तरफ से ऐग्रीकल्चर डिपार्टमैंट में कौन–कौन से अधिकारी है जो किसान की पैदावार बढ़ाने में मदद करते है और वे क्या मदद करते है?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, मैने कल भी सदन में हाउस को बताया था कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अधिकारी हमें बहुत कुछ बताते है। एग्रीकल्चर डिपार्टमैंट के अधिकारी और इंस्पैक्ट सब को–ऑडीने ान करके एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटभ् के साथ मिलकर किसानों को जानकारी देते है और किसानों की सहायता करते है। खरीफ की फसल के समय हमने तकरीबन एक हजार गांवो में किसानों की सहायता करते है। खरीफ की फसल के समय हमने तकरीबन एक हजार गांवों में किसानों को हमने डैमास्ट्रे ान करते बताया कि कैसे खाद डालनी चाहिए, कैसे फसल बोनी चाहिए और इस तरह से साल भी कम्पेन चलाने की कोि ा ा कर रहे है ताकि किसान को पूरी जानकारी दी जा सके। इस यूनिवर्सिटी से हमारे किसानों को पूरी फायदा होना चाहिए और सारी जानकारी किसानों तक पहुंचाने की पूरी कोि ा ा की है।

चौधरी दल सिंहः क्या मिनिस्टिर साहब ने नोटिस मे ऐसी बात है कि जो प्राइवेट डीलर्ज को खाद मिलती है वे खाद के कट्टो से खाद निकालकर नमक मिला देते है और किसानों

को नुक्सान होता है? क्या सरकार इस हेराफेरी पर चैक रखती है?

चौधरी भजन लाल़ः इसके बारे मे हमने भारत सरकार को कई बार लिखा है, मुख्य मंत्री साहब ने भी कई बार चिट्ठी लिखी है कि पाईवेट डीलर्ज के पास जो खाद आती है, उसमें ि ाकायत आती है। इम इस को चैक भी करवाते है लेकिन इसमें प्रांतीय सरकार का इतना हाथ नही है। प्रान्तीय सरकार को जो कोटा मिलता है, वह भारत सरकार अलाट करती है। जो प्राइवेट डीलज को मिलता है, उसमे इस किस्म की भार्त है जिसके तरह भारत सरकार इसको बन्द नही कर सकती। हम ने खूब कहा है कि प्राईवेट डीलर्ज की बजाए सरकार को खाद दी जाए ताकि किसान को ठीक भाव पर और प्योर खाद मिल सके।

चौधरी मेहर चन्दः क्या मंत्री महोदय बताएंगें कि सबसिडाइजड बैसिज पर खाद देने की कोई योजना सरकार के विचारधीन है?

चौधरी भजन लालः ऐसी कोई योजना नही है।

श्री अमर सिंहः जैसे कि बताया गया कि बहुत सारे प्राईवेट डीलर्ज यूरिया खाद मे नमक मिलाते है, जिसके वजह से एक कट्टे मे तकरीबन 10–12 किलो खाद कम होती क्या यह बात मंत्री महोदय क नोटिस में है?

चौधरी भजन लालः इस सम्बध मे कुछ ि ाकायते हमारे पास आई है और हमने चैकिग भी करवाई है। जहां तक को आप्रैटिव सोसायटी और मार्कीटिग सोसायटीज का ताल्लुक है, हम उन से कहते है कि री–बैगिंग करवा कर के किसान को खाद दी जाए। हमने री–बैगिंग करवाने की कोि ा ा की । कुछ जगहों पर से प्राईवेट तौर पर ि ाकायते आई और जिस की बिना पर चैक किया गया और केस रजिस्टर किये गए और चालान किए गए है और काफी मात्रा मैं खाद ले जाते हुए पकड़ी भी है।

श्री जगजीत सिंह टिक्काः स्पीकर साहब, चार–पांच साल पहले खाद की डिस्ट्रिब्यू ान को आप्रेटिव के जरिए होती थी। क्या मंत्री महोदय, दोबारा उनको देने की कोि ा ा करेगे?

चौधरी भजन लालः प्राईवेट कोर्ट को प्रांतीय सरकार बाट नही सकती क्योंकि बीच में भारत सरकार आती है। हमने भारत सरकार को लिखा भी है कि जो प्राईवेट डीलर्ज है, इन को बीच मे से निकालना चाहिए और सारी खाद खुद प्रातीय सरकार को देनी चाहिए। भारत सरकार जो भी आदे ा देगी, उसके मुताबिक हम आगे कार्यवाही करेगे।

चौधरी ि ाव राम वर्माः स्पीकर साहब, खाद का भाव बढ़ाने के एक दिन पहले मार्कीटिंग सोसायटीज के पास जो खाद हुआ था, उसको कुछ आदमियों ने मिलकर इधर–उधर कर दिया। क्या मंत्री महोदय के पास इस किस्म की कोई ि ाकायते आई है

और यदि आई है तो क्या वे इसकी इनक्वायरी करवाने के लिए तैयार है?

Mr. Speaker: Question Hour is over please.

नियम 45 के अधीन पटल पर रखा गया तारांकित प्र न का लिखित उतर

Sales of Stamps

***798 Chaudhri Ram Lal Wadhwa:** Will the Minister for Revenue be pleased to State-

(a) the total amount realised from the sale of stmps in the State during the years 1972 and 1973, siparately; and

(b) the total number of sale deeds registered, district-wise in respect of agricultural lands and residential houses during the years 1972 and 1973, separately?

राजस्व मंत्री (पंडित चिंरजी लाल भार्मा):

(ए)	बर्श	रूपये–पैसे	
	1972–73	5765653462	
	1973–74	6219185793	

(बी)	कृशि सम्बन्धि भूमि पजीकृत किए हुए दस्तावेजों की संख्या	रिहाय ाी मकानों सम्बन्धी रजिस्टर्ड किए गए बसीकों की संख्या	
1972	47780	23339	7179
1973	44802	20064	64866

जिलावार ब्यौरा अनुबन्ध ए पर है।

वर्श 1972				वर्श 1973		
जिला	कृशि सम्बन्धित भूमि पंजीकृति किए संख्या	रिहायसी मकानों सम्बन्धी रजिस्टर्ड की वासिका की संख्या	योग	कृशि सम्बन्धित भूमि पंजीकृत किए हुए दस्तावेजों की संख्या	रिहाय ी मकानों सम्बन्धी रजिस्टर्ड किए गए वसीकों की संख्या	योग
1	2	3	4	5	6	7
हिसार	12799	6817	19616	12264	5908	18172
रोहतक	4503	4118	8621	4219	3913	8132
गुड़गावा	7533	2342	9875	6829	2172	9001

करनाल	2838	2390	5228	2445	1357	3802
अम्बाला	5895	2622	8517	6225	2705	8930
जींद	1244	929	2173	1093	555	1668
महेंद्रगढ़	1950	440	2390	1925	4739	2384
सोनीपत	1674	1428	3102	1708	1309	3017
भिवानी	2189	832	3021	1866	577	2423
कुरूक्षेत्र	7155	1421	8576	6228	1109	7337
कुल	47780	23339	71119	44802	20064	64866

वैयक्ति स्पश्ठीकरण–चौधरी चांद राम द्वारा

चौधरी चांद रामः स्पीकर साहब, मे पर्सनल ऐक्सप्लेने ान देना चाहता है।

श्री अध्यक्षः आप पर्सनल ऐक्सप्लेने ान किस प्वांयट पर देना चाहते है?

चौधरी चांद रामः कल मेरे बारे में सी0 एम0 साहब ने कुछ कहा था और एक अन्य मैम्बर साहब ने भी कुछ कहा था। अगर आप इजाजत दे तो मे अपनी पांजी ान क्लीयर कर दूं। में किसी प्रोवोक करने के लिए एक भाब्द भी पर्सनल नही कहूंगा।

श्री अध्यक्षः क्या आप उस वक्त हाउस में नही बैठे थे?

चौधरी चांद रामः जो नही। मै तो वाक–आउट कर गया था। (विध्न)

श्री अध्यक्षः आपका पर्सनल ऐक्सप्लेने ान किस प्वांयट के मुताल्लिक है?

चौधरी चांद रामः आज अखबार में कुछ मेरे बारे मे आया है और मैने उसे पढ़ा है, मै उसके बारे मे अपनी सही स्थिति हाउस के सामने रखूंगा। मै कोई भी ऐसा लफज इस्तेमाल नहीं करूंगा जिससे कोई उतेजित हो।

Mr. Speaker: Let me first know on what point the hon. Member wants to give his personal explanation.

चौधरी चांद रामः स्पीकर साहब अखबार मे आया है कि जहां यह कहा गया कि मैने अपनी पहली पत्नी को मारकर कुएं मे डाला और मेरी जो दूसरी पत्नी है, वह 14 वर्श से कम उमर की थी, जब मेरी उससे भाादी हुई। इसके बारे मे मै कहना चाहता हूं।

Mr. Speaker: Yes. you can.

चौधरी चांद रामः स्पीकर साहब, मेरी पहली पत्नी की मौत सन् 1941–42 मे, आज से 33–34 साल पहले हुई थी, जबकि मै 12 वीं जमात में पढ़ता था। इस लिए यह बात सर्वथा निराधार है, बे–बुनियाद है कि मैने या मेरे परिवार के किसी आदमी ने उसको मारा। एक तो मेरी अर्ज यह है।

मुख्य मंत्रीह (चौधरी बंसी लाल): वह कैसे मरी थी, यह भी तो ऐक्सलेने ान दे दो?

चौधरी चांद रामः कैसे मरी इसके बारे में मैं क्या कह सकता हूं?

चौधरी बंसी लालः स्पीकर साहब, अगर इन्होने नही मारी तो कैसे मरी यह भी तो ये बताएं? (विध्न)

Mr. Speaker: I Connot force an Hon. Member bo say anything.

चौधरी चांद रामः स्पीकर साहब, न तो मैं कोई डाक्टर हूं और न मै गांव में हाजिर था। मै तो उस वक्त कालेजह मे पढ़

रहा था जब वह मेरी। मुझे आज तक मालूम नही कि वह कैसे मरी। अब मै कैसे बता दूं कि वह कैसे मरी?

चौधरी बंसी लालः स्पीकर साहब, यह तो बहुत अच्छा ऐक्सप्लेने ान है। जिस आदमी की बीवी मर जाए वह चाहे दस हजार मील पर क्या न बैठा हो, उसके बाद चालीस साल तक या बीस साल तक वह जिन्दा है, उसके यह नही पता कि मेरी बीवी कैसे मरी?

चौधरी चांद रामः स्पीकर साहब, इसके साथ ही अखबार में आया है कि यहां यह कहा गया कि मैने जुडि ायल इन्कवायरी की मांग क्यों नही की? स्पीपकर साहब, मै तो यह कहता हूं कि जुडि ायल इनक्वायरी ऐक्सैप्ट करने से यदि मैने डिनाई किया हो तब तो मै कसूरबार है। अगर मेरे ऊपर इल्जाम लगे हो, जैसे चीफ मिनिस्टर साहब पर लगते है और कहा जाता है कि जुडि ायल इनक्वायरी करनी चाहिए और मैने इनकी तरह जुडि ायल इनक्वायरी मानने से इनकार किया हो तब तो मै दोशी हूं।

Mr. Speaker: order please. Nothing more.

चौधरी चांद रामः स्पीकर साहब, फिर वह कहा गया कि मेरी दूसरी वाईफ ना बालिग थी। स्पीकर साहब, यह सन् 48 की बात है। कोर्ट में मामला ले जाया गया यह बात तो चीफ मिनिस्टर साहब ने कही लेकिन वे यह बताना भूल गए कि कोर्ट से वह

मामकला खारिज भी हुआ क्योंकि मुकदमा करने वाले यह साबित नहीं कर सके कि वह नाबालिग थी। अब इससे ज्यादा मै क्या कहूं।

श्री अध्यक्षः ठीक है। It is alright

चौधरी चांद रामः स्पीकर साहब

चौधरी बंसी लालः स्पीकर साहब, ये भाब्द ऐक्सपंज किए जाएं।

Mr. Speaker: These words are expunged. (Interruptions)

चौधरी बंसी लालः स्पीकर साहब, ये कारण नही बता सके कि इनकी वाईफ कैसे मरी? He is so much unconcerned about his wife that he does not know how she died.

चौधरी बंसी लालः स्पीकर साहब,

Mr. Speaker: order please. please resume your seat. You have finished your personal explanation. thereafter you connot go on speaking.

Chaudhri partap Singh Daulta: Mr. Speaker Sir, last sentence of the personal explanation. That should be expunged.

Mr. Speaker: The last sentence is expunged.

सरकारी संकल्प

(1) सविधान (बत्तीसवां सं ोधन) विधेयक, 1973 सम्बन्धी

Home Minister (Sh. K.L. Poswal): Sir I beg to move-

That this House ratifies the amendments to the constipution of India falling within the purview of the proviso to clause (2) of Article 368 there of propesed to be made by the Conitiution (thirty- second Amendment) Bill, 1973, as passed by the two Houses of the parliament.

Mr. Speaker: Motion moved-

That this House ratifies the amendments to the constipution of India falling within the purview of the proviso to clause (2) of Article 368 there of propesed to be made by the Conitiution (thirty- second Amendment) Bill, 1973, as passed by the two Houses of the parliament.

चौधरी प्रताप सिंह दौलता (बेरी): जनाबे स्पीकर साहब, मैं इस प्रस्ताव की,इस अमैडमैड की जो कांस्टीच्यु ान मे हुई है, और जो एप्र्वल टू थर्ड मजोरिटी आफ लेजिस्लेचर्ज से ली जाती है उसके मातहत जो प्रोसीजर है, उसकी हिमाचल करने के लिए मै खड़ा हुआ है और इसलिए नही कि उसकी कोई खास जरूरत है बाल्कि इसलिए कि अभी–अभी मैने एक सवाल की तरफ, एक फैक्ट की तरफ चीफ मिनिस्टर साहब की तवज्जो दिलाई भी उसका जावब फौरन ही इस ऐक्ट मे है। स्पीकर साहब, यह बड़ा बु नियादी मसला है और बड़ा दिलचस्प मसला है, अगर हाउस

पांच मिनट के लिए भी इसकी तरफ पुरा ध्यान दे तो अच्छा रहे। यह कांस्टीच्यु ान में अमैडैंट करने को कानून बनाकर जरूरत कैसे पडी, इसका एक कारण है। आन्ध्र मे तेलंगाना का जो ऐरिया है, उस तेलंगाना के ऐरिया के लिए कुछ नौकरियां रिजवर्ड थी और वह रिजर्वे ान थी रीजन की बिना पर, आबादी की बिना पर कि आप फलां हल्के के आदमी है, इसलिए उस रैजीडेस की बिना पर आपको मुलाजिमत में यह हकूक हासिल है। उसी के मातहत एकमैडीकल कालेज की सर्विस जो तेलंगाना की लड़की को मिली तो उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट मे रिट हुई और सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया कि ऐक्सेप्ट लीगल माइन्योरिटीज, जिसके मायने है, रिलीजियस माइन्योरिटीज, लिग्विस्टिक माइन्योरिटीज और बैकवर्ड क्लासिज और ि ाडयूल्ड क्लासिज, रीजन के बिना पर कोई रिजर्वे ान नही हो सकती और 1957 का जो एक्ट था जिसके मातहत वे सविसिज मिलाकर दी थी तेलंगाना के एरिया को वे सारी की सारी रूक गई। बड़ी डिफिकल्टी उस स्टेट मे हुई, फिर से स्टेट को सैप्रेट करने की ऐजीटे ान चली। उस एजीटे ान को दबाने के लिए और स्टैट को इक्ट्टा रखने के लिए यह अमैडमैट लानी पड़ी और अमैडमैट उसी आर्टिकल के मातहत आई जिसके मातहत सुप्रीम कोर्ट का फुल बैच बैठा और उन्होने होल्ड किया कि जितनी भी आर्टिकल के मातहत अमैडमैटस है वे गुड है। तो इसमें यह लौजिक की बात मै करता हूं। लोजिक यह है कि पहले भाुरू मे जिस वक्त आपनी कास्टीच्युऐंटी असैम्बली के बाद ऐक्ट बना, रीजर्वे ान सिर्फ वही हो सकती थी,

जो सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड की, लेकिन अब एक तरफ इस ऐक्ट की बिना पर कोई रीजन पिछड़ा हुआ है, कोई तहसील पिछड़ी हुई है, बिदइन हरियाणा कोई और पार्ट पिछड़ा हुआ है उसकी रिजर्वे ान स्टैट गवर्नमैट स्ट्रेटअवे कर सकती है। इस ऐक्ट के पास होने के बाद कोई डिफिकल्टी नही है। मुझे मालूम है कि 81 मैवर्ज जो इस हाउस के है, वे सब बडे इन्साफ पसन्द है, 81 के 81 मै कोई पर्सनल बात नही कहना चाहता। दूसरी बात, स्पीकर साहब आपकी मारफत मै यह कहना है चाहता हूं कि डैमोकेसी कायमयाब हो नही सकती जब तक वह लौजिक जो इस ऐक्ट मे है, वह सामने न रखा जाए। इस ऐक्ट का लोजिक यह है कि डैमोकेसी में हकूमत लोगों की हकूमत है, लोगों से चलाई जाती है, और लोगों के लिए चलाई जाती है। लोगों की हकूमत कब बने जबकि इनको ऐग्जैक्टिव में, जुडि ियरी में और लेजिसलेचर में तमाम आबदी के मुताबिक रिप्रैजैटे ान मिले। अगर हरिजन पिछडे गया, उसको सर्विस नही मिलती, अगर बैकवर्ड को सर्विस नही मिलती, अगर 66–67 परसैट आबादी को, एग्रीकल्चरिस्टस को डेढ़ परमैट नौकरी मिलती है then democtatic principles fail वह डैमोकेसी चल नही सकती जिसमे ऐसे लोगो को जिनकी आबादी को 66 फिसदी हो, मगर मुलाजिमत जिनका हिस्सा डेढ़ या पोने दो फीसदी हो, वह डैमोकेसी फेल है, क्यौकि that demoeracy is not by the people.not for the people not of the people. मै अर्ज करना चाहता हूं खास तौर पर सी0 एम0 साहब से मै फिर कहता हूं कि हमारे किसी नॉन–ऐग्रीकल्चरिस्ट भाई ने गुलाब सिंह जैन

ने गुप्ता साहब ने वे नौक–रिया नही छिनी। None is to be blamed for our dificiency is service and for that none is to be blamed except the historcat background और आजादी मिलने के बाद कांस्टीच्यु ान मे जो यह डिफायन हुआ, डैमोक्रेसी की जो डेफिने ान है, लौजिक है वह इस ऐक्ट के बीहाइड है। मै चीफ मिनिस्टर साहब से अदब से कहता हूं कि आप अपने एडवोकेट जनरल से पूछ लें अपनी एल0 आर0 की ब्रांच से पूछा ले सुप्रीम कोर्ट ने यह होल्ड किया कि कांस्टीच्यु ान मे अमैंडमैट करने की जरूरत नही है। मैडीकल कालेज के ऐडिमि ान के बारे में जो फैसला हो चुका है।वह केस भी आंध्र का ही है। सप्रीम कोर्ट के पांच जजीज यह होल्ड कर चुके है कि स्टैट गवर्नमैंट को यह आख्तियार है कि कोई भी इकोनोमिक ग्रुप डिक्लेयर करके, इस बात की ज्यादा तफसील लेना चाहते है तो जब पंडित गोविन्द बल्लभ पंत होम मिनिस्टर थे, उसकी तकरीर आप पढ़ ले, उससे काफी लाइट मिलेगी। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने यह होल्ड कर दिया कि न किसी असैबली औरा न पालियामैट के सामने कोई डिफिकल्टी है, कोई स्टैट गवर्नमैंट डिक्लेयर कर सकती है कि जिसको जमीन पर होल्डिग 25 बीघे से कम है, और अपने हाथ से का त करता है, जो जाट भाहर मे आबाद है, उसको मै कंसे ान देने के हक मे नही हूं, अमीर हरिजन जो भाहर मे रहता है, उसको कंसै ान दैने के हक में भी नही हूं, लेकिन मै अदब से अर्ज करता हूं इस हाउस के 81 मैबर्ज ने एक दिन फैसला करना होगा कि इन जमीदारों को मुलाजामत मे कैसे लिया जाए, कैसे

इनका काम चले। ये सारी सुबारडिनेट सार्विस में 1.3 फीसदी और ऐग्र्जक्टिव मे पीने दो परसैट के करीब है। 66 फीसदी आबादी के लिए 66 फीसदी रिजर्व न कीजिए जो यूनियनिस्ट डेज मे था। उनको 33 परमैट रिजर्व करे, 50 परसैट डिक्लेयर करके, जो 25 बीघों से कम जमीदारों है, जो हाथ से का ात करता है उसके लड़के को सर्विसीज की सहूलियत देनी होगी। यह रिजर्वे ान बिल्कुल लीगल है, बिल्कुल कानूनन है। कांस्टीच्यू ान इसके रास्ते में बिल्कुल हायल नही होता है। यह एक लौजिक है इस बिल का। अब रीजन भी हो सकता है इकोनोमिक यूपिंग जो स्टैट करती है, वे भी हो सकती है। पूरानी इन्टुपैटे ान है कि कास्टीच्यू ान में ि ाडयुल्ड कास्टम, ि ाडयुल्ड ट्राइब्ज और माइनोरेटीज के सिवाए किसी के लिए रिजवे ान नही है, यह लीगज पांजी ान नही है। एक बात और कहना चाहता हूं सी0 एम0 साहब की मेहरबानी से या बेमेहरवानी से उन्होने आपनी अपनी इलमियत के मुताबिक यह फरमाया कि यह जो जूडि ियरी मे 66 परसैट आबादी की डैफि ोसी है, उसका कारण यह है कि कास्टिच्यु ान रास्तो मे हैं। यह बात नही है। मै बड़े अदब से अर्ज करूंगा, उसका कारण यह है कि जो लोगा सब्रॉडोनेट जुडि ियर को भर्ती करते है, उनमें इस सी0 एम0 साहब के आने से पहले भी कोई नही था। इससे पहले जब आपका हाईकोर्ट बना है, अब तक जो रिकरूट करते है–रिकूट करती है, फूल कोर्ट जब से आपका हाईकोर्ट बना है, अब तक जो रिकरूट करते है–रिकूट करती है, फुलह कोर्ट आफ दी हाई

कोर्ट, उसमे उनको भर्ती करने वाला कोई नही था। इसलिए आज तक एक भी भर्ती न हो सका, रिप्रैजैन्ट ान उनको नही मिल सकी। कम्पीटी ान में कोई एकाध आ गया वरना नही आया। जहां। जहां तक जुडि ियरी का ताल्कुक है, उसमे तो गर्वमैंट इतनी जल्दी न कर सके, क्यौकि वह तो दूसरे के इख्तियारात मे है। मेरी अर्ज यह है कि हाई कोर्ट जो कुछ कर सकती थी, वह कर दिया और कुछ हरिजनों और 66 परमैट आबादी के लिए आप कुछ कर सकते है, जिससे के उनको बैच मे रिप्रैजैन्टो ान मिले सके वह दिलाइए (विध्न) हरिजनों को भी पूरी नही मिलती है, हरिजन तो जुडि ियर मे है ही नहीं मै अर्ज करूगां अगर डैमोकेसी चलाती है, तो कामरेड लैलन का प्रिसिपल अपनाना ही पड़ेगा। सरकारी मुलाजमत तो पीपल मेलानी ही पड़ेगी। आम वजीज तो आते जाते ही रहते है। सैकेटरी की चलती है, बड़ी इम्पोटैट चीज है। मै बड़े अदव रोइस बिल की हिमायत करता हूं। यह बिल लौजिक बिल है। इस तरह से स्टैट इकट्ठीह भी रहेगी। चौधरी राम लाल जी बहुत जल्दी खड़े ही रहे है, तो मै उनसे अर्ज करता हूं कि वे पंडित पंत ने जो जनसंघ को जबाब दिया है वह पढ़ ले, वह काफी इन्ट्रैस्टिग है। मै इस बिल की पुरजोर हिमायत करता हूं।

चौधरी दल सिंह (जींद) : अध्यक्ष महोदय सविधान मे 32 वी बार तरमीम करके जो बिल लोकसभाा ने पास किया है, उसकी रैटिफिके ान के लिए सरकार ने यह प्रस्ताव पे ा किया

है। बार–बार सविधान तरमीम करने की जरूरत महसूस क्यो हुई ? इसके बड़े भारी कारण है। जहां कही ज्यादती हो, जहा कोई गैर इनासाफी हो, वहां तरमीम होती है। यह तरमीम आन्ध्र प्रदे ा से सम्बन्ध रखती है। स्टैट रि–आगेनाइजे ान कमी ान ने हिन्दुस्तान मे सूबो का उस वक्त यह ढांचा बना दिया। उस उक्त यह सिफारि ा की थी कि तेलंगाना अलग प्रांत बनाया जाए, लेकिन वहां के लोगों को स्वर्गीय पंडित जवाहर लाल नेहरू ने आव वासन दिया कि अगर पांच साल तक तरक्की न हो सकी तो इस प्रांत के, इस रीजन के लोगों चाहें तो फिर से तेलंगाना अलग प्रांत बना सकते है। स्पीकर साहब, आपको जानकर हैरानी होगी कि 23–24 साल तक हालांकि सैन्टर मे भी कांग्रेस की सरकार थी, आंध्र प्रदे ा मे कांग्रेस की सरकार थी, परन्तु उस रीजन की कोई तरक्की नही हो सकी। परिणाम क्या हुंआ कि तेलंगाना के लोगों ने आन्दोलन किया और यह आन्दोलन इतना भारी आन्दोलन हुआ कि उसे करोड़ो की सम्पति नश्ट की गई और उसके बहुत से भाईयो की जाने गई। जब सरकार ने यह गलती महसूस की तो सविधान के अन्दर पांच प्वांयट फार्मूला के तहत फिर तरमीम लाई गई। यह तरमीम सन् 1972 मे लाई गई। उस वक्त भी लोकसभा के 90 प्रति ात सदस्यों ने यह बात कही थी कि संविधान में तरमीम करना इस समस्या का कोई इलाज नही है। समस्या का इलाज वही है, जो इनसाफ है लेकिन सरकार अपनी मन–मर्जी चलाती है। सविधान में तरमीम की गई और उसके एक साल बाद सन् 1973 के अन्दरा दुबारा आंध्र प्रदे ा के लोगों की तरफ से

आंध्र प्रदे ा के लोगों के ही खिलाफ आन्दोलन किया गया। एक प्रांत के दो रीजन है– एक आंध्र रीजन और दूसरा तेलंगाना रीजन। पहली बार तेलंगाना वालो ने आंन्दोलन हुआ कि करोड़ों रूपय की सम्पति नश्ट की गई, काफी लोगों की जाने गई फिर जब सरकार मजबूर हुई, कोई इलाज नही कर तो 6 प्यांवट फार्मूल लाई। फाईव प्यांवट फार्मूला के तहत सिर्फ तेलंगाना रीजन था इसके तहत 21 जिलो के लिए मुल्की रूल्ज बनाए जा रहे है और आन्दोलन खत्म होने के बाद वहां पर जो वजारत बनाई, वह उन लोगो की बनाई जो लोग बंटवारा करना चाहते है। जो लोग आंध्र प्रदे ा को दो हिस्सों मे बांटना चाहते है उनकी वजरत बनी। जिन लोगों ने कुर्बानी की, उनको किसी को लिया नही गया। यह बात फिर भी चलने वाली नही है और सबसे भयानक गलती जो सरकार ने की वह है कि वहां जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रब्यूनल बनाया गया है, वह 6 प्वांयट फार्मूला के तहत बनाया गया है। उसके अख्तियारात को हाईकोर्ट मे चैलेंज नही किया जा सकता, न ही लेजिस्लेचर/असैम्बली उसके अख्तियारात में कोई हस्तेक्षेप कर सकती है। तोये ऐसी बातें है, अनहोनी बातें है, जो कास्टीच्यू ान के खिलाफ स्वयं जाती है। इस तरह संविधान के अन्दर बार–बार तरमीम करके दे ा को तबाही के रास्ते पर ही ले जाया जा सकता है। जुडि ियरी के अख्तियारात खत्म कर दिए, कोई बात नहीं। ये सरकार को चलाना चाहते है, लेकिन मैं कह सकता हूं मैं कोई बड़ा ज्योतिशी तो नही हूं, मेरे अपने ख्यालात है, सरकार ने यह तरमीम कर दी और लोकसभा के पास कर दी

इसके बावजूद भी तेलंगाना और आंध्र प्रदे ा अलग–अलग प्रांत बनेगे, इसमे कोई भाक की बात नही है। ये गैर इन्साफी करते रहे लेकिन अब दे ा वरदा त करने वाला नही है। जब दे ा मे जागृति है, आजाद दे ा कहलाता है तो मै ज्यादा न कहते हुए इतना ही कहूंगा, बे ाक यह पार्लियामैट ने पास कर दिया और यहां भी हमारी आवाज बहुत मायने नही रखती, लेकिन जो यह फैसला किया है, तरमीम की है, यह तरमीम ठीक नहीं है, यह तरमीम गलत है।

चौधरी राम लाल बधवा (करनाल): स्पीकर साहब, कांस्टीच्यू ान थर्टी सैकिण्ड अमैडमैट बिल, 1973 ऐज पास्ड बाई दी बोथ हाउसिज आफ पालियामैंट, रैटीफाई होने के लिए, सदन में प्रस्तुत है। इससे पहले कि मै इस बिल के बारे में कुछ फैक्टस और मैरिट्स पर बोलूं मै दो बातें सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं। सबसे पहली बात यह है कि हरियाणा का सदन तो कम से कम इस बिल का जो समर्थन है, वह नही कर करता, क्यौकि जहां तक हरियाणा और तेलंगाना का सम्बन्ध है, दोनो ही एक जैसे हालात मे से गुजरे है। जब पजांब इकट्ठाा था, और हरियाणा उसका एक हिस्सा था, तब हरियाणा के लोगों ने पंजाब से अलाहिदा होने के लिए जदो–जहद की थी क्योंकि वे सारी बातें जो तेलंगाना के अन्दर दोहराई गई, वही बाते पंजाब के अन्दर भी की गई थी।

सिंचाई एवं बिजली मन्त्री (श्री बनारसी दास गुप्त): आपने तो उस समय विरोध किया था।

चौधरी राम लाल वधवा : मै थोड़ी देर में उस बात पर भी आऊंगा। मै दो बातें आपसे कह रहा था्

चौधरी ि ाव राम वर्मा : मैं तो हक में था।

श्री बनारसी दास गुप्त : लेकिन जनसंघ तो हक में नही था।

चौधरी ि ाव राम वर्मा : आप कांग्रेसी भी तो इसके खिलाफ थे।

श्री बनारसी दास गुप्त : नही, मै उस वक्त इसके हक में था (व्यवधान)

चौधरी राम लाल वधवा : तो स्पीकर साहब, मैं यह कह रहा था कि कम से कम हरियाणा असैबली तो किसी भी हालत में अमैडमैट को रैटीफाई नही कर सकती। पंजाब के अन्दर भी हरियाणा के लोगों को संतुश्ट करने के लिए रिजनल कमोटियां बनी थी। तेलंगाना के अन्दर भी रिजनल कमोटिया बनी है। पंजाब के अन्दर भी हरियाणा के लोगों को नौकरियां और ि ाक्षा देने के लिए कुछ इसी प्रकार के साधन उपकलब्ध किए गए थे जिस तरिकों से आंध्र प्रदे ा के अन्दर तेलंगाना के लोगों को देने के लिए जो मुल्की रूल्ज की जगह जो छह सूत्री फार्मूला कहा जा

रहा है, उसके लिखे है। पंजाब के अन्दर रहते हुए भी हरियाणा के लोग, असै तक जो काग्रेस सरकार ने उनके लिए इसी प्रकार की रीजनल कमेटिया और दूसरे साधन उपलब्ध किए क्या उनसे संतुश्ट हुए ? नही हो सके। इसी तरीके से तेलंगाना के लोग भी संतुश्ट नही हुए। इसके पीछे कारण है। कारण यह है कि चाहे कितने भी कानून उनको सैटीस्फाई करने के लिए बनाए जाए, लेकिन एक ही जगह पर रहने वाले डिपरैट एरियाज के जो लोगे है, उन की अपनी कुछ मु ाकलात उनकी अपनी कुछ कठिनाइयां होती है। और वह कठिनाइयां उस एरिया की डिवैल्पमैट के बारे मे होती है। बजट का हिस्सा कितना किस पर लगना चाहिए, उसके लिए और फिर बजट अलोकेट होने के बाद भी उसके अन्दर कितने साधन उपलब्ध होने चहिए, इस इस बात पर जाकर झगड़ा होता है। इस वजह से एक एरिया के लोग दूसरे एरिया के लोगों से संतुश्ट नही होते। यही कारण है हरियाणा का पंजाब से अला–हिदा होने का। यही आवाज आंध्र से अलग होने की तेलंगाना के लोगों की है। स्पी– कर साहब, तेलंगाना के लोगों ने हरियाणा से भी बढ़कर इसके लिए जदो–जहद की है। वहां पर गोलियां चली है। जो पालियामैंट की डिवेटस मुझे दी गई है, मैने वह सारी पढ़ी है। उसके एक बात का जिकर है। मुल्की रूल्ज सुप्रीम कोर्ट ने रिजैक्ट कर दिए। उसके बाद वहां पर एजीटे ान खड़ी हुई। उस एजीटे ान के ऊपर लोगों के अपने विचार थे। सरकार उन पर रेफ्रैडम करा सकती थी। सरकार लोगों से इस बारे में पूछाा सकती थी। वहां की

मिनिस्ट्री तोड़ने के बाद नए इर्लक ान में इस प्वांयट को लोगों के अन्दर सामने रख सकती थी, लेकिन मैने सारी डिबेटस को पढ़ा है सरकार की तरफ से जो भी राज्य सभा में या लोकसभा के अन्दर बोला गया, वह सिर्फ एक ही बात थी कि लोगों ने इस छः सूत्री फामूले को जो यह कांस्टीच्यू ानल अमैडमैंट के जरिए यहा ला रहे है, उसको स्वीकार किया है। जनता से पूछे बिना, जो भी इस कांग्रेस भाासन को सुविधाजनक होता है, लोगों की डिवैल्पमैट को न देखते हुए लोगों की भावनाओं को न समझते हुए, बल्कि अपनी पोलिटिकल फैसेलिटी को देखते हुए, यह सरकार कदम उठाती है, ताकि किसी तरह से सरकार आपने हाथ में रखी जा सकेथ्क– आंध्र प्रदे ा के अन्दर। किस तरह से आंध्र प्रदे ा के अन्दर हकूमत कांग्रेस की रह पाए, इस चीज को पोलिटिकल तौर पर सोचकर डिसीजन करके यहां पर लाया जाता है। मै आपको द्वारा हरियाणा असैबली के लोगों से यह कहना चाहूंगा कि कम से कम आप तो इसको रैटीफाई न करो। आप जिन दु वारियों से गुजरे है उन्ही में वे है। आपने कितने जदो–जहद से हरियाणा पंजाब से अलाहिदा करवाया। क्या आप इस बात को स्वीकार करेगे, अगर यह सरकार आपसे यह कहे कि हरियाणा को पंजाब से फिर मिला दिया जाए और कांस्टीच्यू ानल अमैंडमैंट करके आर्टीकल 370 में एक 5–6 सुत्री फार्मूला और जोड़ दिया इससे आपका सारा संकट खत्म हो जाएगा। क्या आप इससे संतुश्ट हो जायैंगे ? कभी नही हो सकते। तेलंगाना के लोगों ने जो जदों जहद की थी, उसको सही तरीके से और ठीक ढंग से

समझने की आव यकता है। उन लोगों को भी भाायद आंध्र से अलाहिदा होने की कोई आव यकता न पड़ती लेकिन उनकी अपनी कुछ डिफिकल्टीज है। इसके साथ ही जहां तक हरियाणा सरकार का और हरियाणा असैबली का सम्बन्ध है चाहे हरियाणा सरकार और अपोजी ान का कुछ मतभेद रहा है, लेकिन हरियाणा सरकार यह कहती है कि यहा पर इतनी डिवैल्पमैट इसलिए हुई क्यौंकि हरियाणा पंजाब से अलहिदा हुआ। जब हमारे यहा की सककार और हरियाणा विधान सभा यह कह सकती है कि पंजाब के अन्दर रहते हुए हरियाणा डिवैल्पमैंट नही कर सका और अब पिछले 6–7 सालौं में हमारी सरकार का और सदन का यह अनुभव है कि वह तथा–कथित डिवैल्पमैट हरियाणा के अन्दर हुई है तो आज हम किस मुह से तेलंगाना के लोगों को इसी बात पर मजबुर कर सकते है और इस रैटीफिके ान का समर्थन कर कि वह आध्र के अन्दर ही रहे। इसके अलावा जो दूसरी बात में सदन के सामने रखना चाहता हूं उसके लिए अभी आनरेबल मैवर दौलता साहब भी इ ाारा कर रह थे। मैने उस प्वांयट को पहले ही नोट किया हुआ है। जहां तक जनसंघ की पालिसी का ताल्लुक हैं, जनसघ एक बात पर हमे ाा वि वास रखता है और वह मै कहना चाहता हूं। सारे दे ा की एक आर्थिक समस्याएं हल हो सकती है इसके लिए जोन बनाए जाएं पर दृढ है। स्पीकर साहब, जो लोग एतहाद की बात कहते है, मै उनसे एक बात पूछना चाहता हूं। आज भी हमारे सविधान के अन्दर जहां कि तेलंगाना के लोगों एक ही स्टैट के अन्दर दूसरी स्टैट मांगते है, और कोई

चीज नही मागंते, महाराश्ट्र की तरह गुजरात की तरह, हरियाणा की तरह या पंजाब की तरह। इस सविधान के अन्दर ही उसी तरीके की एक और स्टेट मांगते है। उनके लिए दीक्षित जी और पंत जी यह कहते है कि दे ा के एतहाद के लिए उन्हें आंध्र के साथ रहना चाहिए। इसी सविधान के अन्दर जम्मू–क मीर के लिए अलहिदा प्रावीजन मौजूद है, जिसके लिए जनसंघ बड़ी देर से यह कहता चला आ रहा है कि संविधान की धारा 370 को सविधान से निकाला जाए। स्पीकर साहब, मै कोई, पुरानी बात नही करता, मै 1947 की बात करता हूं।

Mr. Speaker : Please confine your speech to theis Resolution.

चौधरी राम लाल वधवा : जो कुछ कांस्टीच्यू ान में अमैडमेंट हुई और जो कुछ लोक सभा में या पार्लियामैट में आया है, मै उससे बिल्कुल भी बाहर नही जांऊंगा। स्पीकर साहब, आज जम्मू–क मीर को भारतवर्श के अन्दर विलप नहीं किया जाता बल्कि उसके लिए 370 धारा अलग रखी जाती है। स्पीकर साहब, मै 1947 की ही बात सदन के सामने रखना चाहता हू¯।

Revenue Minster (Pandit Chiranji Lal Sharma) : On point of order, Sir Is the Hood. Member within his rights in throwing beaps of abuses on persons. responsible persons, who are not persent in the House ?

Mr. Speaker : No reflections please.

चौधरी राम लाल वधवा : ऐसप र्ान कहा है ? मै तो रैफरैन्स दे रहा है। कल तो आप कहेगें कि लोकसभा या राज्यसभा के किसी मिनिस्टर का भी रैफरैन्स नही दे सकते क्यौकि वह यहां पर नही बैठा है।

Mr. Speaker : This should be expunged. You cannot pass any remarks about a person, who is not present in the House.

चौधरी राम लाल वधवा : स्पीकर साहब, आज भी ऐसी बात हो रही है कि जम्मू–क मीर को उसी तरीके से इस दे ा से अलग रखा जाए जैसे कि यह पहले था। अलग रखने की ही बात नही, कुछ और भी है। 1947 के अन्दर जम्मू क मीर के और अपने दे ा के नेताओं के अन्दर बातचीत चल रही है। उसके बारे मै प्रैस कांफेस हुई थी उस प्रैस कांफैस में प्रधान मंत्री से एक कवै चन किया गया कि यह जो प्रैस कान्फैस में प्रधान मंत्री मे कहा था कि जम्मू क मीर को दे ा से अलग करने की बात हो रही, लेकिन जम्मू क मीर को कितनी और ज्यादा से ज्यादा आटोनोमी दी जा सकती है उस पर हम विचार कर रहे है। स्पीकर साहब, मै आपके द्वारा सदन के सामने यह से कहना चाहता हूं कि एक तरफ तो भारतीय सरकार एक प्रांत को जिसको पहले ही कुछ स्पैं ाल आख्तियारात विधान के अन्दर मिले है, उसकी अलहिदा स्टेटस और उसको कितनी ज्यादा आटोनोमी दी जा सकती है, इसके लिए बात– चीत चल रही है।

गृह मंत्री (श्री के0 एल0 पीसवाल) : अभी से क्यों कयास आराईयां कर रहो हो, हो तो जाने दीजिए।

चौधरी राम लाल वधवा : स्पीकर साहब, कितनी विडम्बना की बात है कि भारत सरकार का हर जगह पोलिटीकल तौर पर सोचने का नजरिया है और जिस तरिके से कोई बात ठीक बैठती है उसी तरीके से वहा लागू कर देती है। इस अमैडमैंट बिल के विशय में जो बात कहना चाहता हूं वह यह है कि इस अमैडमैट को लाने की आव कता क्यों पड़ी? स्पीकर साहब, पिछले 25 साल से इस सरकार ने तेलंगाना के लोगों की तरफ ध्यान नही दिया, उनकी डिवैल्पमैट की तरफ ध्यान नही दिया और इसका नतीजा यह निकला कि एक विचित्र स्थिति खड़ी हो गई और अब उन लोगों को सन्तुश्ट करने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए यह अमैडमैंट लोकसभा और राज्यसभा के अन्दर लाया नही है। स्पीकर साहब, इसके अन्दर बहुत लम्बी चौड़ी क्लाजिज है, मै उनको पढना नही चाहता। इसमें दा बाते मुख्य कही गई है, एक नौकरी की बात कही गई है और दूसरी ि ाक्षा की बात कही गई है। अध्यक्ष महोदय 27 साल के भाासन के बाद भी और तक रीजन एक ही पार्टी के सता मे रहने के बावजूद आज भी लोगों के अन्दर इस प्रकार से अलहिदा–अलहिदा चीजें मांगने की, अलहिदा अलहिदा–तरिके से सोचने की अलहिदा–अलहिदा तरीकों से नौकरियों और ि ाक्षा के अन्दर हकूक मांगने की मनोवृति कायम है यह सरकार पिछले 26 साल में भी समानाधिकार लोगों

को नही दे सकी और न ही लोगों के अन्दर समान तरीके सोचने की मनोवृति पैदा कर सकी, लेकिन लफूजी तौर पर पन्त जी और दीक्षित जी अपने भाशणों में इन्टेग्रे ान की बात करते है। स्पीकर साहब सही मायनो मे और नेक नीयति से जो पिछड़े वर्ग है, उनको सरकार अगर उपर लाना चाहती है तो एक ही तरीका है कि रिजर्वे ान को खत्म करके जिन आदमियों की आम आमदनी 500,400या 300 रूपय है, इसके बारे में एक कोड बनाए कि उनको फलां सुविधा दी जाएगी, इतने परमैट नौकरी उन लोगों को दी जाएगी तथा अन्य सहूलियतें दी जाएंगी। आज होता क्या है अमीरों के बच्चें कावैन्ट स्कूल्ज में पढतें है। वही बच्चे दे ा के भाासन में ऊपर आते है, दे ा की राजनीति पर उनका कंट्रोल होता है उनको सारे सुख और सारी सुविधाएं मिलती है। गरीब बच्चों को ठीक प्रकार की ि ाक्षा आज नही मिल सकती और अगर मिलती भी है तो ि ाक्षा प्राप्ति वक्त किताबों और कापियों क लिए पैसा नही होता। आज समाजवाद और सो ालिज्म का नारा लगाया जाता है। मै कहता हूं कि समाजवाद है कहॉ? आज गरीब समाप्त होता जा रहा है बरोजगारी बढ़ती जा रही है, अमीर और अमीर होता जा रह है। गरीब को नौकारीयां नही मिलती, ठीक प्रकार से ि ाक्षा नही मिलती। स्पीकर साहब, मै आपकी मारफत कहना चाहता हूं, कि गरीबों को और सुविधाएं दी जाए और इन सुविधाएं उपलब्ध है, अगर सरकार वाकई ऊपर उठाना चाहती है, तो उन को और सुविधाएं दी जाए और इन सुविधाओं को देने में एरिया वाईज सोचने की बात नही होनी चाहिए, डिस्ट्रिक्ट

वाईज सोचने की बात नही होनी चाहिए, प्राप्त वाईज सोचने की बात नही होनी चाहिए कम्युनिटी वाईज सोचने की बात नही होनी चाहिए। इसका एक ही आधार होना चाहिए। कि जो गरीब है, जो पिछड़े हुए है जिनकी आमदनी कम है, इनको दे ा के अन्दर ऊपर उठाने के लिए साधन उपलब्ध किए जाएं। उनके लिए कोई कानून बनाया जाए कि उनको ये सुविधाएं दी जाएंगी। स्पीकर साहब, विधान के द्वारा जो कुछ हमने इस दे ा के लिए स्वीकार किया है, वह विधान क्या कहता है यह देखने वालो की बात है। आज यह कहा जाता है कि हम हर चीज मे अमैडमैंट कर देगें जो सो ालिजम के रास्ते में खड़ी होती है, सरकार के लिए संकट खड़ा होता है, तो सरकार उसको हटाने के लिए कोई तरीका अपना लेती है। विधान के अन्दर, जिन लोगों ने विधान बनाया मै उनके आर्टिकल 14 की और आपका ध्यान आकर्शित करना चाहता हूं आर्टिकल 14 का पार्ट 3 जो फडामैटल राइट्स के बारे में है, उसमे लिखा है—

Right to equality

Equality before Low.

“The State shall not denty to any person equality before the law of the equal protection of the laws withen the territotty of india.

स्पीकर साहब, हमारे जो अमैडमैंटह है क्या वह इस आर्टिकल 14 के अनुरूप है? कहने को चाहे कुछ भी इन्टरपर्टे ान

कर दीजिए कि हम इस आर्टिकल को किसी प्रकार बदल नही रहे है, इसके अगेन्सट कोई बात नही है लेकिन स्पीकर साहब, विधान के लफ्जो को लेकर लफ्जो जंग करने को कोई आव यकता नही, विधान की भावना को देखना पड़ेगा। यह जो धारा 14 फंडामैन्टल राइट्स के बारे मे है और जो प्रत्येक नागरिक को एक बुनियादी हक देती है, वह उसकी स्पिरिट, उसकी भावना के अगेन्सट तो नही जाती । इसी तरह स्पीकर साहब, एक तरफ इक्विलिटी आफ अपरचुनिटी इन एम्पलाएमैट है और दूसरी तरफ आंध्रं के एक्–एक डिस्ट्रिक्ट के लिए सरकार ि ाक्षा और नौकरी का प्रोविजन कर रही है। स्पीकर साहब, मै आपका ध्यान आर्टिकल 16 की और आकर्शित करना चाहता हूं। आर्टिकल साहब, मै आपका ध्यान आर्टिकल 16 जो है वह भी फंडामैन्टल राइट्स की तरह है इविलिटी आफ आपरचुनिटी इन एम्पलाएमैट। इनकी सव क्लाज है इसमे लिए है:–

There shall be equality of opportuty for all citizens in matters relating to employment or appintment to any office under the state

स्पीकर साहब इन आर्टिकल 16 मेजो यह कहा गया है कि नौकरीयों के बारे मे किसी के साथ भेदभाव नही किया जाएगा, नौकरी के मामले मे सब के बारे मे किसी ने साथ भेदभाव नही किया जा जाएगा, नौकारी के मामले में सब को समानाधिकार होगो। क्या अर्टिकल 16 की जो स्पिरिट है, जो उसकी भावना है उसको देखते हुए यह जो 32 और 33 अमन्डिंग बिल हमारे सामने

रैटिफिके ान के लिए प्रस्तुत है उसकी भवना के अनुरूप है? मैं कहता हूं कि किसी भी हालत में नही। स्पीकर साहब, अन्त में मै आर्टिकल 13 जो इन्ही फन्डार्मन्टल राइट्स कर हिस्सा है उसकी और आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। आर्टिकल 13 कहताः—

Laws inconsistent with or in derogation of the fundamental rights. All laws in force in the ferritory of india mmediately before commencement of this Constition. in so far as they are inconsistent with the provisions of this part, shall to the extent of such inconsistentcy be void

स्पीकर साहब, एक बात मै यहा इस हाउस में निि चत रूप से कह सकता हूं कि मुल्की रूल्ज सुप्रीट कोर्ट ने उठाकर रख दिए और अब यह हमारे सामनें 32 और 33 अमैडिंग बिल लाकर रैटीफिके ान करवाना चाहते है। स्पीकर साहब यह सरकार क्या करती है कि पहले कानून बनाती है जब उड़ जाता है। इस सरकार ने तो लोगों के साथ मजाक बना रखा है, ऐसा करके यह सरकार लोगों के साथ माजाक करती है। सरकार का हर जगह पर अलग—अलग नजरिया होता है, जिस तरीके से कही कोई बात ठीक जंचती हो, उसे सरकार लागू कर देती है। तो स्पीकार साहब, मै कहना चाहूंगा कि क्या सरकारने कभी तलंगाना के लोगों का विचार किया, कभी उन पर नजर की गई कि उन लोगों की क्या हालत है? स्पीकार साहब, उनकी तरक्की की तरफ कोई ध्यान नही दिया और अब उसका नतीजा हमारे सामने है कि एक विचित्र स्थिति पैदा हो गई और वहां के लोगों को खु ा

करने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए यह अमैडमैंट लोक सभा और राज्य सभा में लाया गया है और दे ा भर की तमाम विधान सभाओं रैटीफिके ान करवाई जा रही है स्पीकर साहब, एक तरफ तो ये कहते है कि एम्पलायमैंट मे इक्विलिटी आफ अपरचुनिटी है और दूसरी तरफ सरकार आंध्र के एक–एक जिले के लिए हर प्रकार की सुविधाएं चाहे ि ाक्षा हो, चाहे नौकरियों हो, का बन्दोबस्त करने जा रही है। स्पीकर साहब, मै बड़े अदव के साथ इस हाउस को यह कहना चाहूंगा कि आंध्र के लोग भी उसी तकलीफों मे से गुजर रहे है, जिन तकलीफों से गुजफर कर हरियाणा प्रांत पंजाब से अलग हुआ। स्पीकर साहब, मै अन्त मे एक ही बात कहना चहूंगा कि यह जी अमैडिंग बिल की क्लाजिज है, वह बड़ी पैचीदा है, झगड़ पैदा करने वाली क्लाजिज है, इससे कोई लाभ नही होने वाला है। स्पीकर साहब, नौकरियों के अन्दर क्या हुआ है कि इन्होने एक ट्रीब्यूनल बना दिया एक नौकरी मिल गई, दूसरी को नही मिली तो जिसको नही मिली वह ट्रीब्यूनल के पास अपील करता है, अगर कोई किसी काम से उलक्षान डालनी हो तो ऐसा कहा जाता है कि इस पर कमटियां बना दी जाएं फिर कमेटिया उसकी इनक्वायरी करेंगी और उस पर ऐक ान क्या होना है, बस यू ही बर्फ खाने मे वह रिपार्ट पड़ी रहेगी। यह जो तरीका रखा गया है, अगर इस के बाबजूद तलंगाना के लोगों को नौकरियों के अन्दर भेद–भाव हुआ तो व ट्रीब्यूनल के पास जाऐंगा, जिसको नौकरी न मिले वह ट्रिब्यूनल के पास एक ान करेगा, उसके बारे पता नही, एक साल लग जाए, दो

साल लग जाए, ट्रिब्यूनल उसका फैसला देगा। सरकार उसको मानेगी नहीं। फिरर वह हाई कोर्ट और सुंप्रिम कोर्ट के अन्दर जाएगा और अगर ट्रिब्यूनल ने फैसला दूसरे के खिलाफ दिया तो वह दूसरा फिर होई कोर्ट सुप्रिम कोर्ट से स्टे आर्डर ले आएगा। स्पीकर साहब, ऐसा करके तलंगाना के लोागों के हाथ मे सरकार ने एक झुनझुना सा बनाकर दे दिया है, इसके सिवाए और कुछ नही किया है इन भाब्दों के साथ मै इस हाउस मे अभी जेरेगोर है, किसी भी हालत मे अनुमोदन न करें, इसका समर्थन न करे, इस स्वीकृति न दी जाए, इसको रैटीफाई न किया जाए। इसके साथ–साथ स्पीकर साहब, मै आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। जय हिन्द।

गृह मंत्री (श्री के0 एल0 पोसवाल): स्पीकर साहब, यह फार्मल सा रैजोल्यू ान था जिसको पार्लियामैंट के दोनो हाउस पहले ही पास कर चुके है, अब यह रैटीफीके ान के लिए हमारे पास आया है। यह सभी को मालूम है कि आन्ध्र प्रदे ा के लीडरों ने मिलकर एक फार्मला बनाया इकट्ठा रहने के लिए लेकिन मेरे भाई ने तो यहां पर मोती–चौके वाला भाशण ही भुरू कर दिया। का मीर की बात कही। इस पर ऐसी तो बोलने वाली बात थी नही क्योंकि इस को पहले ही दोनों हउसिज के पास कर दिया गया है, और अब यहां से रैटीफाई होना है। दौलता साहब इस बात को अच्छी प्रकार जानते है क्यौंकि वेतो लीगल माइंडिग आदमी है। मै समझता हूं कि इस ऐसी कोई बोलने वाली बात नही

थी लेकिन जनसंध के भाइयों को युं ही परे ाानी हो रही है इनको परे ानियां का तो मेरे पास कोई इलाज नही है। कभी ये कहते है कि ये तो अलग–अलग होना चाहिए, कभी ये कहते है कि इनको इकट्ठा होना चाहिए। जम्मू के बारे कहते है कि इसको अलग करवाओं। कहते है क मीर मे क्या होगा? इन का तो कुछ पता ही नही लगता। इसलिए मै ज्यादा न कहता हुआ स्पीकर साहब अन्त मे आपसे रिक्वैस्ट करूंगा कि इस बिल की रेटिफाई किया जाए, स्वीकृति दी जाए।

Mr.Speaker : Question is-

That this House ratifies the amedments to the Consitiution of India falling within the purview of the proviso to clause (2) of Article 368 thereof, proposed to be made by the Constitution (Thirty-second Amendmenty Bill, 1973 passed by the twq houses of partament.

The motion was corried.

(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973, में सं ाोधन सम्बन्धी

Home Minister (Shri K.L. Poswal): Sir, I beg to move-

THAT WHERAS according to the proisions of seetions 108,109 and 110 of the Code of Crimnal Proedure, 1973 the Power to take cognizance of the proceeding retaing to breach of peace and securty measues vests with the judicial Magistrates of the first class;

AND WHEREAS it appears expedint to this Assmbly that in the interest of the speedy disposal of such preocedings it is desirable that the power under the aforesaid provisions should be vested in the Executive Magistrates;

NOW THEREFORE in pursuance of section 478 of the Code of Criminal Proccedure, 1973 this Assembly requies that power to dispose of cases under the proviseons of sections 108,109 and 110 should be visted in the Executive Magistrates and resoves accordingly.

Mr. Speaker: Motion moved-

THAT WHERAS according to the proisions of seetions 108,109 and 110 of the Code of Crimnal Proedure, 1973 the Power to take cognizance of the proceeding retaing to breach of peace and securty measues vests with the judicial Magistrates of the first class;

AND WHEREAS it appears expedint to this Assmbly that in the interest of the speedy disposal of such preocedings it is desirable that the power under the aforesaid provisions should be vested in the Executive Magistrates;

NOW THEREFORE in pursuance of section 478 of the Code of Criminal Proccedure, 1973 this Assembly requies that power to dispose of cases under the proviseons of sections 108,109 and 110 should be visted in the Executive Magistrates and resoves accordingly.

चौधरी प्रताप सिंह दौलता (बेरी): जनावें स्पीकर साहब, मै इस रैजोल्यू ान की मुखालफित के लिए खड़ा हुआ हूं। यह

जो एक चैप्टर सी0 आर0 पी0 सी0 मेह जवाब फौजदारी मैं दिया हुआ है, सिक्योरिटी प्रोसीडिग्ज का भ्रारू में अग्रेजों के जमाने में ड्राफ्ट हुआ। उस वक्त कभी भी यह ख्याल नही था कि यह चैप्टर भी ऐसा चैप्टर होगा जहां ऐ और बी सब्जैक्ट मे से न होकर खुद स्टेट एक तरफ गई और सब्जैक्ट दूसरी तरफ गया। जिस जमाने में यह औरजनली ड्राफ्ट हुआ, उस जमाने के हालात, से ाल, एकोनोमीक, इफ्तसादी और समाजी बिल्कुल मुख्तलिफ थे। कभी गवर्नमैंट का यह ख्याल नहीं था कि पाबकन्दिया लगानी पडेंगी, तो उस वक्त यह सब्जैक्ट के लिए था। उस वक्त अपोजी ान एक थी। अब 107–151 जो इस नए बिल मे भी वही है, जो कि पुराने में थी अगर गलती नही करता तो 108,109 और 110, तीन और सैक ान्ज है ये तो पहले ही एग्जैक्टिव के पास है।

मुझे आपने एक मोहतरिम बुजुर्ग की स्पीच याद आती है, जो बड़े भारी वकील भी थे, और बड़े साफ गो भी थे, उसका नाम है था ठाकुर दास भार्गव। उन्होने एक वार्निग दी थी, जो आज हम देख रहे है। 107 और 151 जी ए और बी की पीस रखने के लिए सब्जैक्ट मे है। जो इस सैक्सन मे है, वह कान्ट्रोल रखने के लिए बना था उसे स्टेट गवर्नमैंट्स ने यूज करना भ्रारू कर दिया है पोलिटीकल परपजिज के लिए और पोलिटीकल एजीटे ान्ज दबाने के लिए। तो यह बड़ी बदकिस्मती की बात है कि उसमे भी पहल हमनेही की और यह बैटरमैट लैवी के जमाने मे सरदार प्रताप सिंह ने 107 को सबसे पहले किसान

सभा के वर्करो को गिरफ्तार करने, उसके जेल मे रखने और उनकी जमानतें तीन–तीन, चार–चार दिन तक न होने के लिए युज किया। यह वह वक्त था, जब ठाकुर दास भार्गव जी ने पालियामैट मे होम मिनिस्टर के मातहत बड़ा भारी प्रोटैस्ट किया था कि यह 107–151 बादल को पकड़ने के लिए नही है:–

Mr. Speaker: This resolution does not deal with Sections 107/151 Cr. P.C.

चौधरी प्रताप सिंह दौलतः स्पीकर साहब, मै आपको अर्ज किए देता है। (विध्न) मै यह कह रहा है हूं कि किस तरह 107 ऐब्यूज हुई? 108,109 और 110 का मुझे कोई एतराज नही कि यह एग्र्जक्टिव मैजिस्ट्रेट के पास जाए। इन्हे जिससे चाहे उस से करवाए। मैं 108 और 109 के बारे मे अर्ज कर रहा हूं और अपनी आर्गमैंट के जवाब मे 107 को कोट कर रहा हूं। 107 पहले ही है। दी हाईकोर्ट के जज और दोनों इतफाक से हरियाणा के है। एक जस्टिस गुरनाम सिंह और दूसरे जस्टिस तेबातिलया तो दोनों की जजमैट मौजूद है और उन्होने जजमैट मे होल्ड किया है कि हरियाणा गवर्नमैट 107–151 को जिस परपज के लिए इस्तेमाल कर रही है यह परपज 107–151 का नही है। अब कहते है–

Security for Good behaviour from persons dissminating saditious matterrs

चांद राम जी कल जो एक कागजी पकड़े फिर रहे थे, अगर इस कागजी के साथ ये आते and this was to be produced

before the magistrate. तो मेरी अर्ज यह है कि दोनो चीजें सीरियस है, इसमें हमे ाा गवर्नमैंट पार्टी होगी स्पीकर साहब, इससे सबजैक्ट का इंट्रैस्ट नही होगा। इस कागजी को छपाने से हमे ाा Secrity for good behaviour from suspected persons.(At this stage Deputy Speaker occupied the Chair) जो इस साइड पर बैठे है, ये तो सारे ही सस्पैक्टिड परसन्ज है, तो मै अर्ज करता हूं कि कांग्रेस के जमाने मे डैमोकेसी कुछ बच सकती है, क्यौकि इनकी आर्गनाइजै ान मजबूत है। इनकी लीडर एक बड़े भारी डैमोकेट की लड़की है। एक बड़े डैमोनेट की बेटी हकूमत कर रही है। मै गल्त बात नही करता लेकिन कल को अगर कोई फासिस्ट आ जाए तो? कोई गांरटी है या कोई ठेका है कि हमे ाा काग्रेस ही पावर मे रहेगी? कल को अगर जनसंघ पंजाब या हरियाणा में पावर मे आ जाती है या कल को फासिस्ट ि ाव सेना बम्बई मे आ जाती है और वह हरियाणा की मिसाल लेकर–कम्युनिस्ट तो बिलीव ही नही करते 107–151 में। कम्युनिस्ट तो रीलीव करेंगे कभी इस मुल्क कों। तो बहन जी मै अर्ज कर रहा था (विघ्न) कि 107–151 का ऐब्जूज अंग्रेजों ने कभी नही किया यानी ऐजीटे ान चली लेकिन उन्होने इसको कभी ऐब्यूज नही किया। अंग्रेजों ने सबसे पहले एक्ट पास किया, सबसे पहले रैजोल्यू ान पास किया, स्ट्रैस किया। एक फैसला मैने ऐसा पढ़ा और पढ़कर जब मैने कोर्ट मे कोट किया तो मै भी हंसा और बैच भी हंसा। उस समय कोका ऐजीटै ान चल रही थी हाईकोर्ट के जज ने फांसी की सजा सिर्फ एकस्ट्रा जुडि ियल कन्फै ान पर रखी। अग्रेजों ने

बहुत ज्यादातियां की, लेकिन 107–151 का उन्होने कभी भी पोलिटीकल यूज नही किया। अंग्रेजो के जमाने मे भी ठाकुर दास जैसे आदमी के साथ यह बड़े दुःख के साथ कहता हूं कि इस मुल्क की आजादी के बाद 107–151 को सिर्फ बादल को पकड़ने के लिए, देवीलाल को पकड़ने के लिए दूसरी चीजों को पकड़ने के लिए जो इस्तेमाल हुआ है यह डैमोकेसी स्प्रिट के खिलाफ है। दूसरी जो मैं अर्ज करना चाहता हूं वह यह है कि कास्टीब्यु ान ने डिक्लेयर किया कि हम जुडि ियरी को एग्जैक्टिव से सैप्रेट करेंगे यह जिस डायरैक ान मे जा रहा है, एक–एक सैक ान रोज एग्जैक्टिव मैजिस्ट्रेटों को देते हुए, यह हाईकोर्ट के कांस्टीच्यु ान के उस चैप्टर में जोकि जुडि ियर को ऐग्जैक्टिव से अलग करता है, उसकी मुनाफी है। यह मेरी दूसरी आर्ग्यूमैट थी। तीसरी आर्ग्यूमैंट मेरी यह है कि जो रीजन दिया है वह तो बिल्कुल ही गलत है। रीजन दिया है कि जल्दी हो जाए। हम में से बहुत सारे बकील है। डिप्टी स्पीकर साहब, स्टेट मे किसी भी एग्र्जक्टिव मैजिस्ट्रेट को फुरसत नही है कि वह जुडि ियल काम को अटैड करे। हर वक्त वह टैलीफोन अटैड करता रहता है। कभी एक तरफ से कभी दूसरी तरफ से और तीसरी तरफ से। एग्जैक्टिव मैजिस्ट्रेट का हमने और तजुर्बा करके देखा। हमने अर्बन रैट रिस्ट्रक ान मे पावर्ज दी एस0 डी0 ओज0 को जो ऐग्जीक्टिव में आते है, और जो अर्जिया उनके पास गई वे डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्डर पर ज्यों की त्यों पड़ी हुई है, क्यौंकि उनको फुरसत ही नही है। उनको तो गेहूं की वसूली पर लगा रखा है

और कभी उनको मिनिस्टर साहब बुला लेते है। अगर यह किसी कारण उनके पास न जा सकें तो इनकी जवाबतलबी हो जाती है। तो आप ही बताएं कि यह काम करने के लिए उनके पास फुर्सत कहां है? डिप्टी स्पीकर साहब , मै ज्यादा टाईम न लेता हुआ एक सुजै ान देता हूं कि जो हैबीचुअलज है, कोई एतराज नहीं वह किसी से करा ले। 108—109 अगर यह एग्जैक्टिव को दी गई तो उनका ऐब्यूज होगा और यह जुडि ायर वाली खत्म हो जाएगी। ऐसा करने से दूसरे भी हमारी नकल करेंगे। कल को जब डैमोकेटिक हकूमत नही रहेगी और फासिस्ट किसी तरह अगर पावर मे आ गए तो वे इसका बुरी तरह यूज करेगे। और मुझे डर यह है कि जहां मद्रास मे सा किसी दूसरी स्टैट मे इस किस्म की पावर स्टैट्स लेगी तो हरियाणा को कोट करेगी कि हरियाणा ने यह नेक काम पहले ही कर रखा है इसलिए हम भी कर दें। हम ऐसी बात मे क्यों आएं जबकि गवर्नमैंट की ऐब्सील्यूट मैजॉरिटी है, गवर्नमैंट के पास सब कुछ है, गवर्नमैंट के पास इंदिरा जैसी लीडर है, बंसी लाल जैसे डायनैमिक लीडर है तो क्या एग्जैक्टिव इन मैजिस्ट्रेटों का सहारा लेते है? मै समझ नही सका कि वट इज लाजिक बिहाईड इट? मै इन भाब्दों के साथ होम मिनिस्टर साहब से कहूंगा कि वह हरियाणा को जो हर चीज मे आगे है, डिवैल्पमैंट में आगे है, डायनमिजिम में आगे है, वह कम से कम इन बुरी बातों मे आगे न आए ताकि और स्टैट्स हमसे यह बुरा सबक न सीखें।

चौधरी चांद राम (अनुसूचित जाति): डिप्टी स्पीकर साहब, दौलता साहब ने इस बारे में बहुत सारी बातें बता दी है और समझता हूं कि इससे ज्यादा कहना मुनासिब भी नही है सिवाए इसके कि हम अपना विरोध और नाराजगी इस बात पर जाहिर करें जैसे पार्लियामैंट मे भी होता है और यहां भी ऐसा हो जाता है। प्रजातन्त्र राज में एक अपोजी ान वाले की जो आवाज हो उसको दबोचा जाए और उसकी कोई मान्यता न हो यह कहां तक ठीक है? अगर ये हम कुछ बोलने नही देंगे तो फिर कह देगे कि अयोजी ान न तो गैर जिम्मेदारी की बात कह दी। कल जब दौलता साहब ने कहा था कि चीफ मिनिस्टर के लड़के का रिवासा कांड में कोई साथ नही है तब तो उनको बड़ा महत्व दे रहे थे, लेकिन आज क्या कहेंगे? (विध्न) कल सिवाए जनसंघ और वी0 के0 डी0 सभी ने चीफ मिनिस्टर को स्पोर्ट किया, लेकिन आज आप दौलता साहब को क्या कहेगें? (विघ्न)

गृह मंत्री (श्री के0 एल0 पोसवाल): आप बैठेंन तो हम कुछ कहेंगे।

चौधरी चांद राम: डिप्टी स्पीकर साहिबा, इस प्रस्ताव में यह दलील दी गई है कि चूंकि स्पीडी डिस्पोजल करनी है इसलिए यह पावर फर्स्ट क्लास के एग्जैक्टिव मैजिस्ट्रेट कोदी जाए। तो इसका जवाब भी दौलत साहब ने अच्छा दिया। आप देखते है कि एग्जैक्टिव मैजिस्ट्रेट के पास कितने काम होते है। कभी उसे मिनिस्टर साहब के पास जाना होता है, कभी उसे गेंहू

की वसूली के लिए जाना होता है और अगर किसी समय वह मिनिस्टर साहब के पास न जा पाए ता उसकी जवाबतलबी हो जाती है कि क्यों नहीं आए। जब ऐसी बातें हों तो उसके ऊपर यह और बोझा क्यों डाला जा रहा है? सरकार समझती है कि इस तरीकों से अपोजी ान को दबोचा जा सकता है और सरकार समझती है कि अगर हम इन अफसरों को यह पावर दे देगें तो हमारी मनमानी से काम होगा। तो यह बताएं कि ऐसे हालात मे जबकि मुल्क मे जम्हूरियत हो यह रूलिंग पार्टी का कर्तव्य होना चाहिए कि वह विरोधियों की आवाज पनपते दे। डैमोकेसी में ऐसी पाबन्दियां नही होनी चाहिएं कि आप की ऐडमिनिस्ट्रे ान मे जो खामियां है, कोई उनको भी प्वांयट आउट न कर सके। लेकिन मै समझता हूं कि इस तरह के बिल लाकर यह अपोजी ान की आवाज को दबाना चाहते है। पहले जुडि ियरी को एग्जैक्टिव से इसलिए अलग किया गया था कि एग्जैक्टिव जुडि ियर पर प्रभाव न डाल सके। लेकिन अब यह उसको उलटा करने जा रहे है ताकि जब यह चाहे कहूदें कि हमें इन आदमियों पर भाक है इनको गिरफ्तार कर लिया जाए, इस तरीके से अपने विरोधियों को कुचलने के लिए यह फिर से एग्जैक्टिव को पावर देना चाहते है। कुछ दिन हुए एक बाल्मीकि एक्स0 एम0 एल0 ए0 को गिरफ्तार किया गया 107–151 में और उससे 50 हजार की जमानत मांगी गई। उस ने कहा कि मै हरिजन एक्स0 एम0 एल0 ए0 हूं, मेरे पास मकान है पैसे नही है, लेकिन उस की जमानत नही मानी गई। इसलिए हमे बड़ा भारी

खतरा है कि इस अख्तियार का मिसयूज होगा। मै अपनी गाड़ी पर जा रहा था तो मेरे पीछे तीन सी0 आई0 डी0 वाले मोटर साईकिल पर पीछा कर रहे थे?

सिंचाई तथा बिजाली मंत्री (श्री बनारसी दास गुप्त): वह तो आप की हिफाजत के लिए होगे।

चौधरी चांद रामः हिफाजत के लिए नही, आप मुझे मरवाना चाहते है। आप ने सब तरह से हम हियूमीलेट करना है। डिप्टी स्पीकर साहिबा, आप हैरान होंगी कि मेरी लड़की की भाादी मे भी इन्होंने सी0 आई0 डी0 भेज रखी थी ताकि वह यह देखे कि वहां पर कौन–कौन आया है, इससे ज्यादा और क्या हिमूमिलिए ान हो सकती है, इससे घटिया और छोटी बातें और क्या हो सकती है?

उपाध्यक्षाः आप कृपया रैजोल्यू ान पर ही बोलें।

चौधरी चांद रामः डिप्टी स्पीकर साहिबा, इनको पास कारें है, पब्लिक रिले ान्ज का महकमा है और इनके पास इधर–उधर जाने के लिए ट्रक और ट्रांसपोर्ट के सारे साधन है, लेकिन हमारे पास कुछ भी नही है और लोकतन्त्र में हमे इतना भी हक नहीं कि हम कोई लुक्ताचीनी की बात कह सके। अगर हम कहेंगे तो यह फौरन कहेंगे कि यह तो साहब इंटरफियरैस है, इससे अमन को खतरा है इसलिए इसको गिरफ्तार कर लो, और इस लिए यह जुडि ाियरी से पावर छीन कर एग्जैक्टिव को दे रहे

है। यह जुडि ियर से पावर छीन कर इसलिए देना चाहते है कि अपोजी ान की आवाज बन्द की जा सके। डिप्टी स्पीकर साहिबा, वायलैस को रोकने के िलए गवर्नमैंट के पास आर्मी है, पुलिस है, आर्मड पुलिस है, यह अच्छी चीज है, होनी चाहिए ताकि वायलैस नही, लेकिन यह तो नॉन–वाय– लैंस वालों को भी दबाने वाला कोई तरीका नही छोड़ते

Deputy Speaker: I would request the hoon Member that he should s[eaker on the Resolution. He should not say anything of the type that he did not get time.

चौधरी चांद रामः मै तो डिप्टी स्पीकर साहिबा इसकी बैकग्राऊंड दे रहा हूं कि इन दफात का किस तरह मिसयूज किया जाएगा। जो प्रजातन्त्र भाासन का ढंग है उसमें

उपाध्यक्षाः चौधरी साहब, मै आपको फिर बताना चाहती हूं कि आपको उतना ही टाईम दिया जाता है जितना कि उधर वालो को दिया जाता है और ट्रेजरी बैचिज वालो के साथ कोई रियासत नही की जाती।

चौधरी चांद रामः डिप्टी स्पीकर साहिबा, आपने मुझे कल 15 मिनट की इजाजत दी थी, लेकिन इस मिनट बीच मे वैसे ही प्वांयट आफ आर्डर मे चले गए और मै पांच मिनट भी नही बोल पाया। रूल्ज मे लिखा है कि एक मैयर किसी दूसरे मैयर पर ऐसप ान नही कर सकता लेकिन यहां पर तो जो सदन के नेता है, वह खुद ही दूसरो पर ऐसपर ान करते है, यह तो जंगल

के राज वाली बात है ठीक है कि आप को इस वक्त मै जारिटी मिल गई है लेकिन यह टाईम बदलता रहता है, मै आपकी यह चेतावनी देता हूं आप गुजरात की तरफ देख लीजिए। मेहरवानी करके आप जम्हमिनिस्ट्ररियत को पनपने दीजिए ताकि लोग आपको आपकी खामिया बता सके और आप ऐडमीनिस्ट्रे ान मे दुरूस्ती कर सके। आप वह बात करे कि जो प्रजातन्त्र के अनुकूल हो। आज जो आपका सब बड़ा चीफ मिनिस्टर है वह जब यह कहता है कि मै यह करूंग मै वह करूंग उसमे आप सावधान हो जाए। गुप्ता जी ने कहा था कि एजीटे ान देहली मे जाकर करते है। मुख्य मंत्री साहब भी यही कहते है। मै उनको बताना चाहता हूं कि अगर ऐसे ही हालात रहे तो यहां पर भी एजीटें ान होगी। जैसे आप हालात पैदा कर रहे है, यह प्रजातन्त्र के अनुकूल नही है।

चौधरी फूल चन्द (मुलाना–एस0 सी0): डिप्टी स्पीकर साहिब, सदन मे एक रैजील्यू ान पर चर्चा चल रही है कि किमिनल प्रोसीजर कोड की तीन धाराएं 108,109 और 110र को सुनने की पावर एग्जैक्टिव मैजिस्ट्रेट को दे दी जाएं। मै इस का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। लेकिन डिप्टी स्पीकर साहिबा, मेरे बहुत से साथी जिन्होने लीअर कोर्ट के प्रोसीजर को नही देखा है, वे बिना सोचे–समझने ही इस बात पर जोर देते जा रहहे है कि जुडि ायर मैजिस्ट्रेट के बिना इस धाराओं का यूज ठीक तरह से नही होगा। अभी दौलता साहब कह रहे थे कि केसिज की स्पीडी डिस्पीजल के लिए जैसे हम लोग चाहते है यह

रैजील्यू ान लाया गया है, लेकिन वह उसका विरोध कर रहे है। मै डिप्टी स्पीकर साहिबा लोअर कोर्ट मे प्रौक्टिस करता हूं, दौलता साहब, एक दम हाई कोर्ट मे आकर बैठ गए, इसलिए भाायद उनको लोअर कोर्ट के प्रोसीजर का पता नही। आजकल जो जुडि ायल मैजिस्ट्रेट है, उनके पास साथ–साथ सिविल के केसिज भी होते है और इन केसिज को डिसाईड करने मे बहुत टाईम लगता है। मै आपका बताता हूं कि कई कसिज इतने लम्बे चलते है कि सब जज भााम तक ऐवीडैस लिखते–लिखते ही थक जाते है। उनको बहुत काम रहता है। इसलिए जो उन्होने यह बात कही है कि जुडि ायल मैजिस्ट्रेट के बगैर क्विक डिरपोजल नही होगी यह मै समझता हूं कि उन्होने नातजुर्बेकारी की बिनाह पर ऐसा कह दिया है। उन्होने एक बात और कही कि जो एग्जैक्टिव मैजिस्ट्रेट होते है वह ओवराबर्डन्ड रहते है।यह बात मै मानता हूं पिछले दिनों कुछ केसिज एग्जैक्टिव मैजिस्ट्रेट को सौप गए थे और उनमे देरी हुई थी। इस के लिए मै सरकार से प्रार्थना करूंगा कि यदि केसिज ज्यादा हो, तो उनको सुनने के लिए जिला हैडक्वार्टर पर एक वि ोश मैजिस्ट्रेट लगा दिया जाए। मै समझता हूं कि इस प्रकार जितनी यह सिक्योरिटी मैयर्ज के केसिज है, उनका ऐग्जैक्टिव मैजिस्ट्रेट जल्दी फैसला कर सकेंगे जिससे जनता को जो डिले होने से हैरासमैंट होती है, वह नहीं होगी। जनता को इस हैरासमैंट से बचाने के लिए ही यह रैजोल्यू ान लाया गया है। जनता की तकलीफों को देखते हुए सरकार ने ठीक ही समझा कि इन धाराओं की ट्रायल ऐग्जैक्टिव मैजिस्ट्रेटस को

सौंपी जाट और स्टैट गवर्नमैंट को इस ऐक्ट की धारा 478 के तहत ऐसा करने की पावर है कि वह हालात के मुताबिक अगर चाहें तो ऐसा कर लें। यही इस धारा 478 को ऐक्ट में रखने का मकसद था। तो मैं समझता हूं कि इन केसिज की ट्रायल और डिस्पोजल अब जल्दी होगी और कम समय में लोगों के फैसले होंगे। इसलिए मै इस प्रस्ताव की ताईद करता हूं और इसे पास किया जाए क्योंकि यह जनता की हैरासमैंट दूर करने के लिए है।

श्री के0 एन0 गुलाटी (फरीदाबाद): मै इस रैजोल्यू ान के हक में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं, लेकिन इतना जरूर आपकी मार्फत लीडर आफ दी हाउस और होम मिनिस्टर से कहूंगा (व्यवधान) आप तो खामखाह बोलते ही रहेगो और कोई काम ही नही है आपका। तो डिप्टी स्पीकर साहिब मैं यह रिक्वैस्ट करूंगा लीडर आफ दी हाउस और होम मिनिस्टर साहब से कि यह पावर बे ाक ऐग्जैक्टिव मैजिस्ट्रेट कोदी जाए, लेकिन एस0 डी0 ओ0 (सिविल) और एस0 डी0 एम0 की पोस्टम अगर दो आफि ियलज को बांट दी जाए तो सारी बातें इसमें हल हो जाएंगी याानी कि एस0 डी0 एम0 सिर्फ 107 और 151 और इन दफात का काम करें और एस0 डी0 एम0 (सिविल) एक और आफि ियल लगा दिया जाए। इससे किसी को भी गिला नहीं रहेगा। इन भाब्दो के साथ मै इस आफि ियल रैजोल्यू ान की पुरजोर ताईद करता हूं।

चौधरी दल सिंह (जींद): डिप्टी स्पीकर साहिबा, इन तीनों धाराओं, 108,109 और 110 जुडि ियल मैजिस्ट्रेट के परव्यू से लेकर ऐग्जैक्टिव मैजिस्ट्रेट के परव्यू में दिया जा रहाह है। इस बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि ऐसा करना प्रजातन्त्र के लिए सबसे ज्यादा घातक बात है क्योंकि सरकार अपनी ताना ाही को जारी रखने के लिए, अपने विरोधियों को रगड़ने के लिए ओछे हथकंडे इस्तेमाल करने के लिए यह पावर जुडि ियल मैजिस्ट्रेट्स से लेकर उन लोगों के हाथ मे देना चाहती है, जो इन की बातों को मान ले और वह मानते है। जहां तक मै समझता हूं वैसे ऐग्जैक्टिव मैजिस्ट्रेट्स की हालत बहुत बुरी है क्योंकि अगर वह इनकी बात को न माने तो इनसे मरते है, और अगर इनकी बात को माने तो पब्लिक से डरते है। आप देखते है कि मिनिस्टर साहिबान जब दौरा पर जाते है तो इनका स्वागत करने के लिए सिवाए ऐग्जैक्टिव मैजिस्ट्रेटस और दूसरे छोटे कर्मचारीयों के और कोई नही होता।

श्री बनारसी दास गुप्त: जब आप जाते थे, तब भी क्या ऐसा नही होता था?

चौधरी दल सिंह: आप आपनी बात करें इस वक्त आपकी बात चल रही है। आज उनकी हालत यह है कि कभी समाल सेविंग के चक्कर में कभी नसबन्दी के मामला से सुबह से भााम तक बेचारे परे ाान रहते है और मारे–मारे फिरते है। अब आप मै अख्तिया रात देकर उनके हाथ से जुल्म कराना चाहते है।

आप यह सुनकर हैरान होंगे कि तीन महीने पहले जींद मे एक जलूस बिजली की कम सप्लाई के खिलाफ निकाला गया परन्तु बोर्ड के चेयरमैन जो कि यहां बैठे है, ने मुझे इस चीज के लिए गिरफ्तार किया कि मैने ऐक्स0 ई0 एन0 (XEN) के लड़के को उठवा दिया। आप देखे कितनी भार्म की बात है। यह हमारी जबान बन्द करना चाहते है कि जो इनके खिलाफ कहता है और इनकी ताना ाही की पोलपट्टी खोलता है, उसे रगड़ने के लिए उसका मुंह बन्द करने के लिए ऐसे ओछे हयकंर्ड निकाल रहे है वरना कोई वजह नही कि इस किस्म का प्रस्ताव लाया जाए। आज अगर इन्साफ की कोई जगह है तो वह जुडि ियल मैजिस्ट्रेट की अदालत है और अगर यह कचहरी भी खत्म हो गई तो फिर यह कोर्टस खत्म हो जाएंगी और इस दे ा मे आतंकवाद ही रहा जाएगा।यह कहते कि वायलैस होता है, लेकिन मै कहना चाहता हूं कि इस किस्म की पावर लेकर यह वायरलैस तो खुद फैलाना चाहते है। यह अपने को प्रगति ील कहते है लेकिन हरियाणा के लोगों को सारे दे ा में बदनाम कर रहे है और किया है। डिफैक ान्ज यहां से भाुरू हुई, भ्रश्टाचार और रि वत का बाजार यहां पर गरम हुआ और दूसरे प्रांत भी है, जहां की जनता हमारे से एडवांस है, लेकिन उन्होने किसी ने ऐसी बात नही की जुडि ियरी के अख्तियारात एग्जैक्टिव को दे दिए। यह सरकार तो अपने मुखालिफों को दबाना चाहती है और ऐसे अख्तियारात लेकर यहां आंतवाद फैलाना चाहती है। इन्होनें पहले भी रैट कंट्रोल के तहत जुडि ियल मैजिस्ट्रेट्स से अरितयारात छीन

कर एग्जैक्टिव मैजिस्ट्रेट्स को दे दिया ताकि जिस किसी की दुकान मकान खाली कराना हो, तो इ ाारे से करा ले मुझे पता लगा है कि ऐसा करने मे भी इस गवर्नमैंट के नुमाईदो का हाथ था जो आपनी दुकान और मकान खाली कराना चाहते थे। जुडि ियल मजिस्ट्रेट्स तो उनकी बात मानते नही थे इसलिए उन से पावर छीन कर एग्जैक्टिव मैजिस्ट्रेट्स को दे दी, ताकि जिस किसी इनके इ ाारे पर काम हो। डिप्टी स्पीकर साहिबा, आप इस हाउस की करटोडियन है, इसलिए आप इस सरकार को अच्छी राय दें वह ऐसी गलती न करे। जरूरी नही कि यह सदाऐसे ही कायम रहेगे और हकूमत करेगे। उल्ट बात भी हो सकती है, और होगी भी तो फिर बात इनको खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकती है, इसलिए ऐसी बात नही करनी चाहिए जिससे सबको नुक्सान हो (घंटी) तो अब मै इतना कहता हुआ इस प्रस्ताव को पुरजोर मुखालफित करता हूं और इस सरकार को नेक सलाह देता हूं कि वह इसे वापिस ले और ऐसी गलती न करे। वरना बहुत बुरा होगा, अच्छा नही होगा।

चौधरी राम लाल वधवा (करनाल): डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह प्रस्ताव जो हमारै सामने प्रस्तुत हुआ है इस बारे मे मैं यह कहना चाहता हूं कि हम जमहूरियत मे वि वास रखने है और जमहूरियत के तीन प्रकार आधार है लैजिस्लेचर, एग्जैक्टिव और जुडि ियरी और विधान मे हमने ऐसा स्वीकार किया है। मै इस सरकार से कहना चाहता हूं कि भारत की पार्लियामैंट के

अन्दर बहुत अकलमंद लोग बैठे हुए है और उन्होने बड़े सोच–विचार के बाद इन धाराओं के बारे में ऐक्ट में एग्जैक्टिव मैजिस्ट्रेट की बजाए जुडि ियल मैजिस्ट्रेट लपज रखा है। आखिर ऐसा करने के पीछे रीजन क्या था? कोई जबान से कहे या न कहे लेकिन सब जानते है, कि रीजन क्या था और वह यह था कि इन तीन धाराओं, 108,109 और 110 का स्टेट गवर्नमैंट की तरफ से मिसयूज किया जा रहा है और भारीफ आदमियों को बदमा ा बनाने की कोि ा ा की जाती रही है और की गई। केन्द्रीय सरकार ने प्रांतीय सरकारों के बिहेवियर कि देखते हुए एग्जैक्टिव मैजिस्ट्रेट का लपज निकाल कर जुडि ियल मैजिस्ट्रेट का लपज रखना मुनासिब समझा ताकि इन दफात का मिसयूज स्टैट्स की तरफ से न हो। ठीक है कि सैक्सन 478 के तहत इनको पावर दी लेकिन वह किसी खास हालात के अन्दर दी और उसमे भी यह लिखा कि इन कन्सल्टे ान बिद दी हाई कोर्ट। तो मै अर्ज करना चाहता हूं। कि जब हमने प्रजातन्त्र में यह तीन आधार लोकतन्त्र के माने तो हमें उन आधारों का ऐ हतराम करना चाहिए और जनता को इस बात का आ वासन देना चाहिए कि लैजिस्लेचर कानून बनाएगा, एग्जैक्टिव उसे लागू करेगी और जुडि ियर जनता को न्याय देगी और उनके हकूक की हिफाजत करेगी। मै आपके सामने सैक ान 108,109 और 110 के हैडिंग पढ़ता हूं–

Section 108-Securty for good behaviour from persons desseminating seditions matter.

Section 109- Security for good behaviour frome suspected persons.

Section 110- Security for good behaviour from habitual offenders,

डिप्टी स्पीकर साहिब, हरियाणा का पिछला इतिहास यह कहता है कि दफा 107 का जिस तरीके से मिसयूज हरियाणा में किया गया है, इसकी मिसाल सारे कन्टरी में नही मिलती। पिछले दिनों किसान ऐजीटे ान हुआ जिसमें चौधरी ि ाव राम वर्मा, चौधरी देवी लाल तथा सरदार प्रका ा सिंह बादल जैसे लीडरो ने हिस्सा लिया और उन को सैक ान 107 के तहत पकड़ लिया। इस सदन के ये सदस्य यह बताएंगे।

श्री बनारसी दास गुप्तः आप भी तो गए थे (व्यवधान)

चौधरी राम लाल वधवाः मुझे तो 188 के तहत लेकर गए थे। पानीपत में हमारे जनसंघ के सैकेक्टरी महिन्द्र रंजन जिन से दुकाने खाली करवाने के बारे मे झगड़ा हो गया और उनको सैक ान 107 लागू करके अन्दर कर दिया। (ाहहकूमत राय की तरफ से विध्न) मेरी प्रर्थाना यह है कि इस सैक ान के नीचे प्रोसीक्यूटर कौन है? इस सैक ान के तहत बदमा ा आदमियों को पकड़ते है और उसका फैसला करने के लिए जज भी एग्जैक्टिव को ही बनाते है, पकड़कर भी एग्जैक्टिव ले जाएगा। आप बताएं कि यह बात कौन सिद्व करेगा कि यह बदमा ा है या नही। इस अमैडमैंट के मुताबिक तो सरकार ही सिद्व कर देगी

क्यौंकि ऐग्जैक्टिव मैजिस्ट्रेट इनका बैठा हुआ है। इससे तो इनजस्टिस होगा, क्योंकि इसका पुलिटिकली मिसयूज किया जाएगा उस आदमी के विरूद्व जो सरकार के खिलाप खड़ा हो।(घंटी)–

उपाध्यक्षाः आपका टाईम ओवर हो गया है।

चौधरी राम लाल वधवाः डिप्टी स्पीकर साहिबा, मै इतना ही कहना चाहता हूं कि इसका मिसयूज होगा। (घंटी) मै अभी खत्म करता हूं। मै इस से इतना ही कहना चाहता हूं कि इन्होने यह एक नई बात की है आपनी पावर को मेनटेन रखने के लिए। जब सरकार अपनी जनता को राहत नही दे पाती, मंहगाई बढ़ती है, भूख बढ़ती है तो भाासन यही किया करता है कि जनता की आवाज दबाई जाए और जनता की आवाज को दबाने के लिए ऐसे ही कानून पास किया करते है। मै इस रैजोल्यू ान का विरोध करता हूं और यह कह कर बैठता हूं कि इसको पास न किया जाए, लेकिन चुंकि आप बहुमत मे है इसलिए पास करवा ही लेंगे। इस पर मै एक भोयर अर्ज करता हूं–

कितने अरमानो से हम आए थे तेरी महफिल मे,

क्या–क्या वो ख्वाब सजाए थे तेरी महफिल मे,

अब गमे दर्द, ये नजराना लिए जाते है,

हम तो परे ाा तेरी महफिल से हुए जाते है।

श्री गणपत राय–(दादरी अनुसूचित जाति): उपाध्यक्ष महोदय, सदन के समक्ष सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव लाया गया है कि सैक ान 108,109 और 110 को जुडि ियल मैजिस्ट्रेट की पावर कोह ऐग्जैक्टिव मैजिस्ट्रेट को दिया जाए, इसका मै विरोध करने के लिए खड़ा हुआ है। मेरे से पूर्व वक्ता ने जो विरोध पक्ष की तरफ से बोले है, इस विशय मे बहुत कुछ कहा है और मेरे से पूर्व वक्ता ने जो विरोधी पक्ष की तरफ से बोले है, इस विशय मे बहुत कुछ कहा है और मै भी उन के साथ हां मिलाता हूं क्योंकि पार्लियामैंट मे जो किमिनल प्रोसीजर ऐक्ट बना था, उसके बनाने वाले जो लोग है, उन की वुद्वि पर मै सन्देह नहीं करता कि उन्होने इस सैक ान के तहत न्याय पालिका को, जुडि ियल मैजिस्ट्रेट को पावर क्यों दी थी, लेकिन मेरी समझ में नही आ रही कि हरियाणा के अन्दर यह बात क्यों खड़ी हो गई कि इस पावर को जुडि ियल मैजिस्ट्रेट के परव्यू से निकालकर एग्जैक्टिव मैजिस्ट्रेट को दिया जाए। तो उपाध्यक्षा महोदया, मै समझता हूं कि हमे यह सन्दे ा है और हमारा यह सन्देह बिल्कुल ठीक भी लगता है कि सरकार की नीयत साफ नही है क्योंकि जिस प्रकार भाासनतन्त्र आज हरियाणा के अन्दर चल रहा है, उसको देखते हुए हम यह मानने पर मजबूर हो जाते है, कि सरकार चाहती है कि उसके खिलाफ कोई व्यक्ति या कोई वर्ग थोड़ा सा भी ऊपर न उठे उसको दवा दो, उसको कुचल दो कानून के तहत। अगर कोई कानून इस काम से रूकाट डालता है

तो उस कानून की बदल दो और अपने हाथ मे ले लो। उपाध्यक्ष महोदया

उपाध्यक्षाः आपका टाईम हो गया है।

श्री गणपत रायः आप एक मिनट बोल लेने दे।

उपाध्यक्षाः अच्छा, एक मिनट बोल ल।

श्री गणपत रायः मै कह रहा था कि ऐग्जीक्टिव मैजिस्ट्रेट को जैसे पहलेह सदन के कुछ साथियों ने कहा कि उसे तो दूसरे कामों से फुर्सत ही नही होती, सरकार की वजीरों की खातिर तवज्जों मे लगे रहते है अैर उन के ऊपर सब तरह का बोझ लदा होता है। भाहर का, नगर का छोटे से छोटा मसला ऐग्जैक्टिव मैजिस्ट्रेट के पास जाता है और उसका दरवाजा खटखटाना पड़ता है मार्कीट कमेटिया का सारा काम उसके हाथ मे है सफाई का काम, नलका, वगैर सब तरह के झगड़े ऐग्जैक्टिव मैजिस्ट्रेट के पास जाए बिना हल नही होते। उस बेचारे को फुर्सत ही नही मिलती। एग्जैक्टिव मैजिस्ट्रेट की इस हालत को देख कर सोचता हूं कि हरियाणा के अन्दर किस तरह का निजाम चल रहा है? ये सारे हरियाणा के नागरिकों को एक तरह से किमिनल बना रहे है। किसी व्यक्ति पर पुलिस का सन्देह हो तो उसको घर भगा दो, इसका इन्साफ कौन करेगा, वही करेगा? तो उपाध्यक्ष महोदया मै ज्यादा समय न लेकर यही कहूंगा कि मै इस प्रस्ताव का भारी विरोध करता हूं।

राजस्व मंत्री (पंडित चिरंजी लाल भार्मा): डिप्टी स्पीकर साहिबा, आज जो रैजोल्यू ान सदन के सामने है, इस पर ब्यालात का इतहार करते हुए अपोजी ान के आनरेबल मेम्बर को एक अच्छा मौका मिला। हकूमत की नादर ााही और ताना ााही कह कर वे बयान करते है। इसके इलावा और जितने भी ऐडजैक्टिव यूज किए जा सकते थे वे इन्होने हकूमत के खिलाफ इस्तेमाल किए। यह बिल्कुल एक साधारण सा मसला है, बिल्कुल सिम्पल सा रैजोल्यू ान है कि ये जो तीन सैक ान है इसको जुडि ियल मैजिस्ट्रेट के परव्यू से निकाल कर एग्जैक्टिव मजिस्ट्रेट को दिया जाएं। श्री राम लाल जी ने कहा कि मै इसका रीजन जानना चाहता हूं। मै उन से पूछना चाहता हूं कि भारत सरकार के अन्दर, पार्लियामेंट के अन्दर इतने आला दिमाग थे तो पहले इसको एग्जैक्टिव मजिस्ट्रेट के परव्यू से निकाल कर जुडि ियल मजिस्ट्रेट को क्यो पावर दी थी? अब हरियाणा सरकार इसको दोबारा क्यों अमैंड कर रही है यह मै बताना चाहता है। मेरे फाजिल दोस्त ने खुद हवाला दिया सैक ान 478 सी0 आर0 पी0 सी0 का। सैक ान 478 सी0 आर0 पी0 सी0 क्या है इसके तहत इस असैम्बली का मजाज है तरमीम करने का इसमे लिखा है–

If the State Legisature by Resolusion so requies the State Government may, after eonsultatien with Hight Court by Notification direct that-

(a) reference in Sections 108,109 and 110 to a Judicial Magistrate of the First Class shall be construed as referenes to an Executive Magistrate.

(इस समय अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए)

स्पीकर साहब, अगर पुरानी पार्लियामैंट और पुरानी राज्य सभा के दिली दिमाग मे ऐसी चीज होती तो यह प्रोवीजन भी न करते, स्टेट लैजिस्लेचर को यह पावर भी न देते। इस चीज का सहार लेकर बहुत कुछ कहा गया कि हरियाणा मे यह हो रहा है, हरियाणा में वह हो रहा है।

12.00 बजे

स्पीकर साहब, मै बड़े अदब से अपने अपोजी ान के साथियों से पूछना चाहता हूं कि हरियाणा के वजूद मे आने के बाद सैक ान 108,109 और 110 का इस्तेमाल किन मैंबराने अपोजी ान के खिलाफ किया गया है? I would welcome to name a single politcian जिसके खिलाफ सैक ान 108,109 और 110 ऐप्लाई किया गया हो। (विघ्न) पहले से पावर्ज ऐग्जैक्टिव मैजिस्ट्रेटस के पास थी। सिक्योरिटी प्रोसीडिंग्ज 106, से लेकर 117,118 तक आप पढ़ते चले जाएं और इनके बारे मे बड़े अदब से मै यह पूछना चाहता हूं कि जिस हरियाणा सरकार को मूर्ते इल्जाम ठहराया जाता है, नादिर ााही और ताना ााही का और जिस सैक ांज के बारे में आज यह रैजोल्यू ान है, उसने सदि सिंगल इंडीविजुअल के खिलाफ भी इसका प्रयोग किया हो तो

उसका नाम यहां कोट किय जाए। A single induvidual may be quoted. सारे मैबरान, कुछेक को छोड़कर के यहां है। कोई भी बता दे। (विघ्न) अब सवाल यह हो गया कि आगे कि तैयारी है। (विघ्न) You are putting the cart before the horse. मै यह कहता हूं कि पहले ये सैक ान ऐग्जैक्टिव मे थे, फिर जुडि ायरी में किए गए और अब दुबारा ऐग्जैक्टिव में लाने का रैजोल्यू ा है। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि जब ये ऐग्जैक्टिव के अन्दर थे as my Hon. friend quoted that unfetterd powers are being given to Executive (Interruptions)

मै तो एक ऐसी चीज कहूंगा विद ऐ सैन्स आफ रिसपौबिलिटी उस चीज के बारे में जिस चीज के लिए कहा जाए कि सरकार नाजायज इस्तेमाल करेगी कि जब आज से पहले, इस कोड की अमैंडमैंट से पहले 1923 में क्रिमिनल पोसीजर कोड–अमैंड हुआ, फिर 1955 में अमैंड हुआ किसी सिंगल इंडिविजुअल के खिलाफ इस्तेमाल नही किया गया तो क्या अब होगा? आज तक अगर किसी पोलिटीकल परपज के लिए इस्तेमाल किया गया हो तो बताएं।(विघ्न)

स्पीकर साहब, फिर कहा गया कि 107 में बन्द कर देते। 107 का सवाल यह नही है। माननीय सदस्य श्री दौलता जी ने कहा कि अंग्रेजो के जमाने मे भी 107 का इस्तेमाल नही हुआ करता था। उस वक्त तो जिस भाख्स ने अंग्रेजो के खिलाफ बगावत का झंडा बुलन्द किया उसके खिलाफ वे तारीराते हिन्द की

दफा मे जो स्पैसिफिक प्रोबीजन्ज है, जैसे—सैक ान 153 है, 154 है या जो भी है, फौरन ऐप्लाई कर दिया करते थे। वे इन छोटी पावर्ज का इस्तेमाल नही करते थे। 107 तो आलरेडी पार्लियामैंट ने, भारत सरकार ने भी, एग्जैक्टिव मैजिस्ट्रेटस की परव्यू मे ही रखा है। स्पीकर साहब, जितनी स्पीचिज की गई है, आज आनरेबल मैबर्ज अपोजी ान की तरफ से उन सब में 107—151 के बारे में कहा गया।

Uuder Section 151 of Cr. P.C. power has been given to the police officcr to arrest any person when he finds there is immediate appre- hension of breach of peace But that is not the subject under discussion,

One Voice: Breach of peace between whom?

Pandit Chiranji Lal Sharma: Between two individuals-between anybody. The Hoon Member is referring to a particular case (Interruption) The observations of their Lordships of the High Court relate to a particular case. I am not talking of individual cases.

चौधरी चांद राम जी ने हाईकोर्ट के बारे में कहा। क्या इस हाईकोर्ट की आब्जर्वे ान के बाद, विद डयू एपोलोजी टू दी लार्डि ापस 107 के सैक ान में अमैडमैट हुई है? क्या वह एग्जैक्टिव परव्यू से निकाल लिया गया है? यह तो दो और दो चार वाली बात है। स्पीकर साहब, सरकार परर जो इल्जामात लगाए गए है मै तो उनका स्वागत करता हूं वेल्कम करता हूं लेकिन साथ ही चैलेज भी करता हूं बड़े अदब से कि एक मिसाल 108,109 और

110 की बताएं जिससे किसी विरोधी दल के छोटे से छोटे वर्कर को बन्द किया गया है, जो पक्का बदमा ा है। (विघ्न)

श्रीमती चन्द्रवतीः स्पीकर साहब, आन ए प्वांयट आफआर्डर। माना कि कुछ लोगों को कम सुनता होगा लेकिन सब को कम सुनाई नही देता। आवाज तेज है इस लिए जरा ठीक करवा दीजिएगा।

पंडित चिरंजी लाल भार्माः स्पीकर साहब, भगवान ने लेडीज को जबानी आवाज दी है। इसकी कमजोर आवाज होती है। मर्द और वह भी बहादुर मर्द, को भगवान ने तेज आवाज दी है। वह आवाज जनानी नही बन सकती।

श्री मती चन्द्रावतीः आपकी पर्टीकुलर आवाज के लिए मैंनें नही कहा। (विघ्न)

पंडित चिरंजी लाल भार्माः तो स्पीकर साहब, इस सदन को अभी तक यह अख्तियार नहीं है कि वीर को मर्द बना दे और मई को वीर बना दे (विघ्न)

एक सदस्यः सैक्स चेंज हो सकता है।

पंडित चिरंजी लाल भार्मः वह तो मैडिकल आपरे ान करवाना पड़ेगा। स्पीकर साहब, एक चीज और कही गई कि ऐग्जैक्टिव मैजिस्ट्रेटस बुजरा साहिबान के स्वागत मे लगे रहते है, उसकी खातिर तवज्जों मे लगे रहते है। भाायद आनरेबल

मैम्बर्ज अपोजी ान को पता नही कि हमारी सरकार ने गवर्नमैट आफि ियल्ज को स्टैडिंग इंस्ट्र ाक्न्ज दी हुई है, कि जब कोई वजीर जाए और वह किसी अफसर को बुंलाए तो वह आए वरना उसके स्वागत मे आने की आव यकता नही है, except when the Minister visits a particular place for the first time after assuming charge as a Minister. इसलिए कोई एग्जैक्टिव मैजिस्ट्रेट किसी वजीर के स्वागत में नहीं आता। हां, वजीर सरकार है। उसको अधिकार है कि वह किसी अफसर को बुलाए। वह पब्लिक का नुमायंदा है जैसे कि एक एम0 एल0 ए0। एम0 एल0 एज0 ने ही उसे कुर्सी पर बठा दिया है। वजीर के सामने जब पब्लिक की ि ाकायते आती है, पब्लिक के लोगों उसके सामने आते है तो वजीर को इतना अधिकार है, कि वह ऐग्जैक्टिब मैजिस्ट्रेट को, सब डिवीजनल मैजिस्ट्रेट की आने के लिए कहे क्योंकि वे सबडिवीजंज के इन्चार्ज भी होते है, उनके ऐग्जैक्टिव फंक ान्ज भी है, और लोगौं की ि ाकायतों को दूर करने के लिए भी कहें। लेकिन यह कहना कि वे प्राईमैरिली वजीरों का स्वागत करने के लिए, खातरमदारत करने के लिए आते है this is a distortion of facts and a bundle of lies.

Chaudhri Chand Ram: Is the word lies parliamentary?

Pandit Chiranji Lal Sharma: My Hon. friend is very touchy, I withdraw it. It is a distortions and mis-representation of facts-migquoting of facts.

स्पीकर साहब, फिर ये कहते है कि ऐग्जैक्टिव मैजिस्ट्रेट के यहां जुडि ियरी में स्पीडी डिस्पोजल नही होती। स्पीकर साहब, हाथ को आरसी क्या? मैने चौबीस साल बकालत की है और ज्यादा फौजदारी में, वैसे सिविल साईड में भी की है और रेवेन्यू में भी करता हूं। सिविल कोर्टस में आजकल जुडि ियल मैजिस्ट्रेट्स कम सबजज दोनों काम करते है। पांच पांच और छह–छह महीनों की तारिखें दी जाती है आज एक दावा दायर हुआ, दो महिने जवाब दायर के लिए, पन्द्रह दिन के बाद इयूज की तारिख ऐविडैस की तारिख सात महिने के बाद। अगर इन केसिज को इतना लम्बा डाल दिया जाए तो काम नहीं चलेगा। मै मानता हूं कि ऐग्जैक्टिव मैजिस्ट्रेट ओवर–बर्डन्ड है। उनके पास अर्बन रैंट रिस्ट्रिक ान ऐक्ट के तहत भी काम दिया गया और काफी काम उसमें होता है। आनरेब मैंवर्ज की इस ि ाकायत में वजन है। मै भी कई बार बार्ज में गया और यह चीज मेरे नोटिस में आई। इनकी स्पीडी डिसपोजल के लिए हमारी सरकार ने यह फैसला किया हुआ है कि वहां ऐडी ानल ऐग्जैक्टिव मैजिस्ट्रेट्स दे दिए जाएं जहां–जहां खास तौर पर ये अर्बन रैट रिस्ट्रिक ान ऐक्ट के केमिज पैडिंग है, ऐक्युमुलेट हो चुके है ताकि स्पीडी डिस्पोजल हो सके। जिस तरह से विद दी चेंज आफ टाईम, स्पीकर साहब, जितनी दवाई बढ़ी उतने मर्ज बढ़ चुके है, अजीब–अजीब किस्म के मर्ज सुनाई देते है, उसी तरह से मुकदमात का काम भी इतना बढ़ चुका है कि Magistrates, whether on the judical or executive side, are must. अगर हमने

स्पीडी डिस्पोजल करनी है, लोगों ो जस्टिस देना है तो इस ि ाकायत में वजन है दोनों साइडज में, ऐग्जैक्टिव में भी औा जुडि ियरी मै भी। जजिज की जुडि ियल मैजिस्ट्रेट्स और ऐग्र्जक्टिव मैजिस्ट्रेट्स की कमी है, उस काम को पूरा करने के लिए सरकार के विचारधीन यह चीज है कि जल्दी से जल्दी ऐडीि ियल मैजिस्ट्रेट्स के दिए जाए। जहां तक, स्पीकर साहब हाई कोर्ट की इजाजत लेने का सवाल है वह तो आनरेबल होम मिनिस्टर साहब बताएंगे कि हाईकोर्ट की इजाजत लेने का सवाल है वह तो आनरेबल होम मिनिस्टर साहब बताएंगे कि हाईकोर्ट का कंसल्ट कर लिया गया है या नही किया गया है लेकिन मैं इतना कह देना चाहता हूं कि बड़े सोच विचार के बाद यह चीज लाई गई है। इन अल्फाज के साथ मैं बड़े अदव से कहूंगा कि इस रैजोल्यू ान को पास दिया जाए।

गृह मन्त्री (श्री के0 एल0 पोसवाल): स्पीकर साहब मै इसका क्या रिप्लाई दूं, पंडित चिंरजी लाल जी ने काफी कुछ ऐक्सप्लेन कर दिया इसलिए अब मै जरूरत नही समझता कि मै भी बोलू। दूसरे अपोजी ान के भाईयों को वहम है। हम इसको भारीफ आदमी समझते है, अगर ये खूद अपने आप को कुछ और समझते है तो दूसरी बात है। मै गवर्नमैंट की तरफ से यकीन दिलाता हूं कि इसका मिस यूज नहीं होगा। इसलिए इस रैजोल्यू ान को पास किया जाए।

Mr. Speaker: Question is-

THAT WHEREAS according to proisions of sections 108,109 and110 of the Code of Criminal Procedure, 1973 the power to take cognizance of the proceeding relating to breach of peace and security measures vests with the judicial Mangistates of the first class;

AND WHEREAS it appers exedient to the Assembly that in the intorest of the speody disposal of such proceedings it is desirable that the power under the aforesid proviseons should be vested in the Exeutive Magistrates;

NOW THEREFORE, in pursuandce of section 478 of the Code of Criminal proeedure, 1973 this Assemly hereby requirs that the power to dispose of eases under under the provisions of sectons 108,109 and 110 should be vested in the Executive Magistertes and resolver accordingly.

The motion wes carried

बहिर्गमन

चौधरी दल सिंहः यह काला बिल है इसलिए हम वाक्–आउट करते है।

(इस समय चौधरी दल सिंह, चौधरी ि ाव राम वर्मा, चौधरी राम लाल वधवा, श्री गणपत राय और चौधरी पीर चन्द वाक–आउट कर गए)

दी पंजाब इलैक्ट्रीसिटी (ड्यूटी) हरियाणा अमैंडमैट बिल, 1974

सिचांई एवं बिजली मंत्री (श्री बनारसी दास गुप्त): मै पंजाब बिजली (ुल्क) हरियाणा सं ाोधन विधेयक, 1974 पुरःस्थापित करता हूं।

Mr. Speaker: if the House agrees the Resolution regarding disapproval of the punjab Electcity (Duty) Haryana Amendment ordinance, 1974 (Haryana ordinance No.3 of 1974) and the motion that consideration at once be discussed to gether and voted upon separatly.

Voices: Yes.

Chaudhri Ram Lal Wadhwa (Karnal): I beg to move-

That this House disapproves the punjab Electricty (Duty) Haryana Amendment Ordinance, 1974 (Haryana Ordinance No.3 of 1974).

Mr. Speaker: Motion moved-

That this House disapproves the punjab Electricty (Duty) Haryana Amendment Ordinance, 1974 (Haryana Ordinance No.3 of 1974).

श्री बनारसी दास गुप्त: मै प्रस्ताव करता हूं:—

कि पंजांब बिजली (ुल्क) हरियाण सं ाोधन पर तुरन्त विचार किया जाए।

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Panjab Electricity (Duty) Haryana Amendment Bill be taken into consideralion at once.

चौधरी राम लाल वधवा (करनाल): स्पीकर साहब हरियाण सरकार ने एक अध्यादे ा जारी करके बिजली की ड्यूटी के कुछ नए रेट्स मुकर्रर किये है। स्पीकर साहब, ऐस आर्डनेन्स तथा बिल सदन के सामने प्रस्तुत हुआ है। मै सदन का ध्यान इस बिल की और दिलाना चाहता हूं। जैसाकि मै पहले भी कह चुका हूं और मेरी समझ नही आता है कि सरकार की टैक्स बढ़ाने को मनोवृत इतनी तेजी के साथ क्यों बढ़ती चली जा रही है? इसके अन्दर जो अनैक्सचर लगा हुआ है—Extracts from the Punjab Electricity (Duty) Act, 1958

स्पीकर साहब, समय कम है वैसे तो मेरे पास हरियणा इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड की रिपोर्ट है और इसके अन्दर फिगर्ज हुई है। यह जो अनैक्सचर हैस इसके साथ लगा हुआ है। इसमें सन् 1968—69, 1969—70,1970—71,1971—72 के बिजली के रेट्स और ड्यूटी बहुत कम दिये थे लेकिन ये तो उसमें बहुत ज्यादा समय लगेगा। जो अनैक्सचर को सदन के सामने रखने लगूं तो उसमे बहुत समय लगेगा। जो अनैक्सचर साथ लगा हुआ है इसके अन्दर लिखा हुआ है—

3(i) There shall be levied and paid to the State Government on the enegy supplied by the Board to a consumer or a liensee a duty to be called the electricty duty. computed at the follwing rates:-

(i) where the energy is supplied to a domestec consumer-

(a) on the first fifteen units of energy so supplied in a month. at the rate of three naye paise per unit.

(b) on the next twenty-five units of energy so supplied in a month, at the rate of twenty-two naye paise per unit.

(c) on the remaining units, if any, of the energy so supplied in a month at the rate of twenty-eight paise per unit.

अब सैक ान तीन की सब–सैक ान बन जो है उसको अमैड किया जा रहा है। पिछली सैक ान तीन मैने पढ़ी है उसमे पहले 15 यूनिट पर तीन पैसे था और उसके बाद अगले 25 यूनिट पर 22 पैसे प्रति यूनिट थी और उसके बाद 28 पैसे प्रति यूनिट थी। अब इसके पीछे एक बात समझ में आती है जो गरीब आदमी है, जो छोटी आय वाले आदमी है अगर वे घरों के अन्दर बिजली का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उन को बिजली सस्ती मिलनी, चाहिए चाहें कोई मजदूर है, छोटा दुकानदार है, लेबर है, कारखाने मे काम करने वाले है। स्पीकर साहब इन्होनें 15 यूनिट तक तो तीन पैसे और पिफर अगले 25 यूनिट पर 22 पैसे कर दिए लेकिन अब होि ायारी तो बड़ी की गई है नाट ऐक्सीडिंग का भाब्द साथ ऐड कर दिया है लेकिन वास्तविकता यह है कि तीन पैसे से बढ़ाकर अब 28 पैसे पर आने वाले है। क्या यह बढ़ोतरी तीन पैसे से 28 पैसे जस्टीफाईड है? क्या कोई इन्सान यह सोच

सकता है कि गरीब आदमी जहां यह समाजवाद और सो ालिजम की बात करते है इतनी मंहगी बिजली जला सकता है? इस प्रकार से उस पर कुल्हाड़ा चलाना चाहते है। सरकार नहीं चाहती है कि गरीबों के घरों में बिजली के लटू जलें। मेरी समझ में नहीं आता कि यह किस प्रकार का समाजवाद ला रहे है।

श्री अध्यक्षः इससे स्टेटमैंट आफ आब्जैक्ट्स ऐंड रीजन्ज में सिर्फ कमीि र्यल भाब्द लिखा है, डोमैस्टिक कन्जूमर का नहीं।

चौधरी राम लाल वधवाः कमि र्यल डोमस्टिक सब लिखा है।

श्री अध्यक्षः डोमैस्टिक का भाब्द नही है।

Chaudhri Ram Lal Wadhwa: Let me read the Statement of Objects and Reasons:-

In order meet the requirements of financial resources for the mani-fold developments in the State. it was decided to increase the rates of duty on income of about Rs. 1.09 crores to the State exchequer. An Ordinance to this effect was promulgated on 13th April,1974. The proposed measure is being taken to convert the Ordinace into enactment. hence the Bill.

बिजली के ऊपर भी टैक्स बढ़ा दिया गया है। गरीब किसानों की हालत को देखा जाए तो आपको पता लगेगा कि 100 मे से कितनी ऐसे किसान है जिनके पास पर्याप्त खाने को है

जिनके पास पहनने को कपड़ा है और दवादारू करने के लिए पैसा है इस बात का पता तो आप को तब लगेगा, जब आप सर्वे करवाएंगे। मेरे ख्याल के अन्दर वे लोग केवल 5 परसैन्ट ही होंगे। पहले यह डयूटी 3 पैसे पर यूनिट थी उसे पांच पैसे पर यूनिट कर दिया।—(विघ्न) स्पीकर साहब, 31 यूनिट लेकर 80 यूनिट तक जो खर्च करते थे उन से, पहले साढ़े—सतरह पैसे पर यूनिट चार्ज किया जाता था, और अब उसे बढ़ा कर 20 पैसे पर यूनिट कर दिया है और 80 यूनिट से ऊपर जिनकी कन्जम्प ान होगी अनसे पहले 8.62 पैसे पर यूनिट चार्ज किया जाता था और अब उसे 12 पैसे पर यूनिट कर दिया है। तो, स्पीकर साहब, आप के द्वारा मै सरकार से निवेदन करूंग कि गरीब किसानों पर यह टैक्स न लगया जाए, गरीब आदमियों पर यह टैख्स न लगाया जाए। अगर मंत्री महोदय हमें इस बात का आ वासन देंगे तो हम मान जाएंगे कि खेतों पर बिजली के प्रयोग करने पर कोई डयूटी नहीं पडेगी। अध्यक्ष महोदय, जो यह 28 पैसे टैक्स बढ़ाने की बात कर रहे है यह सारा बोझा गरीबों किसानों पर ही पड़ेगा। मुझे समझ नही आता कि एक तो बिजली पर कट लगाई जा रही है और दूसरी तरफ उस पर डयूटी बढ़ाई जा रही है। बिजली लोगों को पूरी नही मिलती इसलिए उनकी खेती का काम पूरा नही होता। हर साल अनाज की पैदावार क्यों घंटी? वह बिजली की कमी के कारण घटी। (घंटी) अध्यक्ष महोदय, मै थोड़ी देर में खत्म करता हूं।

Mr.Speaker: The time schedule has been fixed by the Business Advisory Committee and the hon. Member is a member of the Asvisory Commityee. That Report has been adopted by the House. As such it has become an order of the House.

चौधरी ि ाव राम वर्मा: वह तो ठीक है, बस मै खत्म ही करने जा रहा है। तो इसलिए मै कोई लम्बी–चौड़ी बात नही करता, मै खेती के लिए यह बात करना चाहता हूं कि कम से कम खेती के ऊपर यह बोझा न डाला जाए। बिजली की कमी के कारण पहले ही खेती नुक्सान में जा रही है। अभी–अभी खाद के भाव भी दुगने हो गए है इसलिए खेती पर यह और बोझ न डाला जाए बल्कि इनको आ वासन देना चाहिए कि बिना बिजली के किसी भी किसान का ट्यूबवैल खड़ा नही रहेगा। अगर पैदावार बढ़ेगी तो दे ा के ऊपर से अनाज का संकट दूर होगा। यह जो मंहगाई का देवता–देवता क्यों इसे राक्षस कहना चाहिए–इसको भगाया जा सके। इन भाब्दों के साथ मैं इस बिल का विरोध करते हुए सदन के साथियों से निवेदन कर्ंगा कि इसको ना मंजूर कर दिया जाए।

श्री बनारसी दास गुप्त: अध्यक्ष महोदय

चौधरी चांद राम: स्पीकर साहब, मेरा प्वांयट आफ आर्डर है (विघ्न) मेरा प्वायट आफ आर्डर यह है कि यह एक बिल है और बिल पर बोलने के लिए कोई टाईम लिमिट नही होनी चाहिए। यह हमारे रूल्ज में प्रोवाइडिड है।

Mr. Speaker: Only ten minutes are left, please.

चौधरी ि ाव राम वर्माः स्पीकर साहब, इधर तो कहते है कि बिजनैस नही है और उधर कहते हैं कि टाईम कम है ।(विघ्न)

बैठक के समय में वृद्वि

Mr.Spesker: The time of the House is extended for fifteen minutes. And the hon. Members. should please take two minutes each. Chaudhri peer Chnnd to speak.

One thing more The hon. Member Chaudhri Chand Ram, While speaking on the Resolution today, referred to the which east aspersion on the Chair. I order the expunction of all those remakers.

चौधरी चांद रामः स्पीकर साहब, ऐक्सपर ान नही किया था मैने तो कहा था मुझे बोलने नहीं दिया गया।

Mr.Speaker: No interruption please. I have seen the proceedings. They are before me.

दी पंजाब इलैक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) हरियाणा अमैंडमैंट बिल, 1947 (पुनरारम्भ)

चौधरी पीर चन्द (वरवाला): अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत–बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने मुझे बोलने का टाईम दिया। आज इस सदन में जो टैक्स का बिल आया है यह हरियाणा के ऊपर और उन लोगों के ऊपर जो खेती करते है और जो

गरीब आदमी है उन पर एक बहुत बड़ा उत्यचार है। अध्यक्ष महोदय, मै आपके द्वारा मुख्य मंत्री और मंत्री महोदय ये यह कहना चाहता हूं कि आज हरियाणा के अन्दर बिजली का भार पहले ही है और अब इसमे और भी बढ़ोतरी की जा रही है। आज सारे हरियाणा के अन्दर ऐसे हालात है कि टैक्स

श्री अध्यक्षः यह जनरल डिसक ान नही हो रही है, यह तो अमैडिंग बिल है इस लिए कानून और कायदे के हिसाब से ही बोलिए। जो आप बोल रहे है यह रैलेक्रैन्ट नही है।

चौधरी पीर चन्दः अच्छा जी, तो मै अपने हल्के के एक गांव के मुताल्लिक अर्ज करना चाहता हूं। मेरे हल्के मैं एक देवरा गांव है और उसके अन्दर एक चांदी राम जमीदार का ट्यूवबैल लगा हुआ है।

Mr.Speaker: This has no relevency to the Bill under discussion.

चौधरी पीर चन्दः अच्छा जनाब, बात यह है कि मै कुछ बिल्ज आपकी मेंज पर रखना चाहता हूं जिसके अन्दर काफी से ज्यदा खामियां है। उनके अन्दर यह है कि 26 यूनिट पर भी 11 रूपय, 4 यूनिट पर भी 11 रूपय, 9 यूनिट पर भी 11 रूपय और 2 यूनिट पर भी 11 रूपए, जबकि

Mr. Speaker: Order please.Please try to Speak on the Bill.

चौधरी पीर चन्दः स्पीकर साहब, मै इसी पर ही बोल रहा हूं मेरा मतलब यह है कि 26 यूनिट पर भी

Mr.Speaker: If there is any complaint about these bills, the hon. Member can go to the Minister Concerned and talk to him.

श्री अमर सिंह (बवानी खेडा–अनुसूचित जाति): स्पीकर साहब, आज हाउस के सामने पंजाब बिजली (Iुल्क) हरियाणा सं ाोधन विधेयक, 1974 पे ा है। इसके बारे में बहुत सारे आनरेबल मैबरी ने अपने विचार रखें। मै इस बिल का समर्थन करता हूं क्योंकि कमि र्यल और इंडस्ट्रियल विग से इससे जो फायदा होगा वह अच्छे काम के लिए खर्च होना चाहिए। इसमें जो एम्बीगयूटी है वह सैक ान दी का थर्ड पार्ट है जो इस प्रकार है–

(iii) Where the energy is supplied to any other category of consumers not exceeding fifty percent on the price of energy so supplied in a month.

इसका यह पता नही लगता कि यह किस पर पड़ेगा हालंकि पेज 4 से जाहिर है, जो फाईनैि ायल मैमोरैन्डम है उसमें लिखा है कि अपट् 30 यूनिट 5 पैसे प्रति यूनिट बढ़ाए है, 31 यूनिट से 80 यूनिट तक 20 पैसे प्रति यूनिट बढ़ाए है जिससे 2.5 लाख रूपये की बढ़ौतरी होगी। 80 यूनिट से ऊपर 12 पैसे पर यूनिट बढ़ाए है जिससे 1.5 लाख की बढ़ौतरी होगी लेकिन जहां इडस्ट्रियल सप्लाई की बात है उसमें मै यह अर्ज करना

चाहता हू¯ कि 20 किलो वाट तक कोई इनकीज नही की गई है, इसके बाद 21 से 5000 तक 30 प्रति ात आफ एस0 ओ0 पी0 और इससे 30 लाख की आमदनी होगी। इसके अलावा सैक ान दो का जो पार्ट (i) है वह इस प्रकार है:–

(i) Where the energy is supplied to a domestic consumer, not exceeding twenty-enght paise per unit.

तो डोमैस्टिक यूज के लिए भी इसमें दिया गया है। मै आनरेबल मिनिस्टर साहब से दो क्लैरिफिके ान चाहता हूं, एक तो यह कि ऐग्रीकल्चर पर यह डयूटी नहीं लगनी चाहिए। सैक ान दो मे जो थर्ड पार्ट है उसमें एम्बीगयूटी है वह क्लीयर करनी चाहिए। दूसरे डोमैस्टिक परपज के लिए भी अपटू 20 प्रति ात जो डयूटी बढ़ाने की बात है यह नही होनी चाहिए। लेकिन कमि र्यिल विंग के पास बहुत धन है उनसे तो सरकार को काम चलाने के लिए टैक्स की भाक्ल में लेना ही पड़ेगा। इसके अलावा और कोई चारा नही है क्यौंकि हरियाणा एक छोटी सी स्टेट है और इसके साधन सीमित है। आज लोग जो धन कमा रहे है वे इंडस्ट्रीज लगाकर ही कमा रहे है। अगर उनसे टैक्स की भाक्ल में हम पैसा न लेंगे तो हमारा काम रूक कजाएगा।

13.00 बजे

इसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहता हूं, स्पीकर साहब इंडस्ट्रियल प्रोडक ान और एग्रीकल्चर प्रोडक न दे ा के अन्दर दो ऐसे पहलू है जिन से कि प्राइसिज पर और

हमारी परकैपिटा इनकम पर इफैक्ट पड़ता है। इसलिए अगर इसमें कट होगी तो हमारी प्रोडक ान कम होगी। जैसे पिछले दिनों अखबार में आया था जो बिजली की कट इंडस्ट्री पर लगाई गई उससे 47090 ऐम्प लाईट जो इंडस्ट्रिज में काम करते थे, वे बेकार हो गए और इसी तरह सारे भारत में पांच लाख के करीब कट लगने की वजह से लोग बेकार हुए। इसलिए मै कहूंगा कि जब हम डयूटभ बढ़ा रहे है तो इसके साथ–साथ हमें इस बात की भी गारन्टी देनी चाहिए और हमें उनकी इन योर करना चाहिए कि हम ज्यादा बिजली देंगे और कट नहीं लगाएंगे, बस मैं इतनी ही गुजारि ा करना चाहता हूं।

श्री गणपत राय (दादरी–अनुसूचित जाति): अध्यक्ष महोदय, बिजली बोर्ड का जो अमैंडिंग बिल हमारे सामने आया है इसमें 109 लाख रूपय की डयूटी बढ़ाई गई है और गवर्नमैंट ने उदे य बताया है कि किस लिए बढ़ाई है। स्पीकर साहब, मै समझता हूं कि बिजली बोर्ड हरियाणा के अन्दर वि वास योजना नही बना रहा बल्कि हैरास योजना बना रहा है। इसका सबूत मै आपको थोड़े से भाब्दो मे ही दे देना चाहता हूं कि किस तरह से यह लोगों पर टैक्सिज का बोझ डालकर उस रूपय का दुरूपयोग करते है।

श्री के0 एल0 पोसवाल (गृह मत्री): आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर स्पीकर सहिब माननीय मैबर बिजली बोर्ड को डिस्कस कर रहे है, यह बिल तो गवर्नमैट का है।

Mr.Speaker: This is an amending Bill. Try to speak the within scope of the Bill.

श्री गणपत रायः अध्यक्ष महोदय, मै बिल पर की कह रहा हूं, जिस उदे य के लिए यह पैसा खर्च किया जाना था, वह उदे य पूरा नही किया जाएगा ऐसा होने का संदेह है क्योंकि इसके पीछे के कारनामे ऐसे रहे है जोकि हमारे भाकूक को मजबूत करते है। यह कहते है कि हरियाणा के अन्दर बिजली की भारी विकास योजना द्वारा लोगों को हर गांव के अन्दर बिजली दी है। लेकिन मै निवेदन करना चाहता हूं कि बिजली बढ़ाने का इन्होने कोई उपाय नही किया बल्कि इसकी बजाए बिजली घटाने के उपाय जरूर हुए है। मै इन के अपने दिए हुए फिगर्ज ही आपको पे ा करता हूं–

सन्	1969–70	में	433554
	1970–71	में	433554
	1971–72	में	431030

तो इस जररेटिंग कपैसिटी को आप देखकर अन्दाजा लगा सकते है कि यह ह्रास हो रहा है या विकास हो रहा हैं। लॉसिज इन ट्रासंमि ान के भी मै आपको फिगर्ज बता रहा हूं जो इस प्रकार हैः–

1969–70	में	27246
1970–71	में	34304
1971–72	में	45145

आगे लिखा है:–

"It has been noticed that the percentage of losses in the energy sold during 1970-71 was the in the country".

इनके लौसिज भी हर साल ज्यादा हुए है, तो यह है हमारे बिजली बोर्ड की तरक्की का नमूना जो हरियाणा के अन्दर पे ा किया जा रहा है। हरियाणा के अन्दर यह कह रहे है कि हम तो विकास कर रहे है। मैं पूछना चाहता हूं कि विकास किस बात का हो रहा है, बिजली किसी को मिलती नही, इंडस्ट्री खत्म और सब कुछ बिजली न मिलने की वजह से बन्द पड़ा है, फैक्ट्रीज बन्द होने की वजह से आज लाखों मजदूर वेरोजगार हो कर बैठ गए है और उन की दुरद ाा हो रही है, इसी तरह बिजली न मिलने की वजह से खेती भी तबाह हो रही है, तो फिर तरक्की कहां हुई? अध्यक्ष महोदय, इस सारे पैसे का यह मिसयूज कर रहे है, उस का सदुपयोग तो इन्होने क्या करना है।

मुख्यमंत्री (चौधरी बंसी लाल): स्पीकर साहब, मालूम होता है कि आनरेबल मैंयर में देवी आ गई है।

श्री गणपत रायः स्पीकर साहब, मेरे में ता देवी कभी–कभी आती है, इसमे तो रोज ही रहती है, खैर मेरे में अगर देवी आई हुई वह मानते है तो वह इसका सफाया करके ही छोड़गी। (हंसी) अध्यक्ष महोदय, हमने चीफ मिनिस्टर सहाब पर आरोप लगाया और उन्होने भी आपने भाशण के अन्दर बहुत कुछ कहा। हमने स्पीकर साहब राश्ट्रपति को मैमोरैन्डम पे ाा किया।

Mr. Speaker: Order please.Please try to speak within the scope of the bill

चौधरी चांद रामः स्पीकर साहब, आपने ऐटीसिपेट कैसे कर लिया कि वह क्या कहने जा रहे है?

श्री अध्यक्षः चौधरी चांद राम जी यह जो आप कह रहे है यह क्या एंटीसिपेट करने से कम है? आप त ारीफ रखिए।

श्री गणपत रायः स्पीकर साहब, बिजली बोर्ड का स्पै ाल आडिट हुआ

चौधरी बंसी लालः स्पीकर साहब, ऐसा लगता है बिजली भी आ गई है इन में देवी के साथ–साथ।

श्री गणपत रायः अध्यक्ष महोदय मैं निवेदन कर रहा था कि इनके का आडिट हुआ।

चौधरी बंसी लालः आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर, यह जो वर्ड यूज किया गया है यह अनपार्लियामैंट्री है इसलिए यह ऐक्सपंज होना चाहिए।

Mr. Speaker: Yes, this be expunged.

श्री गणपत रायः तो मैं अर्ज कर रहा था कि इनका स्पै ाल आडिट हुआ और उसको एक साल हो गया है और आज तक इनकी यह हिम्मत नहीं हुई कि उसकी रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखते।

चौधरी बंसी लालः स्पीकर साहब, इसके बारे में मैं पोजी ान कलियर करना चाहता हूं। आनरेबल मैंबर साहब ने कहा कि स्पै ाल ऑडिट हुआ, यह बात ठीक है बोर्ड के चेयरमैन की रिक्वैस्ट पर स्पै ाल ऑडिट हुआ। मै इस हाउस की इनफर्मे ान के लिए बताना चाहता हूं कि जैसे ही उस स्पै ाल ऑडिट की रिपोर्ट आएगी वह इस विधान सभा की पब्लिक अकाऊंट्स कमेटी के पास पे ज्ञ होगी और उसके बाद आन दी फ्लोर आफ दी हाउस सदन में टेबल पर रखी जाएगी और उस पर बकायदा डिस्कसन का मौका भी दिया जाएगा।

श्री गणपत रायः स्पीकर साहबख जो सामान इन्होंने खरीदा था वह गलत खरीदा था।

Mr. Speaker: Is the Hon. Member speaking on the Bill or on the Electricity Board?

श्री गणपत रायः स्पीकर साहब, यह तो मैं एक हवाला दे रहा हूं कि किस तरह बोर्ड का काम हो रहा है। अध्यक्ष महोदय यह 109 लाख रूपया और ले रहे हैं और जो आलरेड़ी पहले ले लिया है उसका तो उपयोग ठीक तरह से किया नहीं, कहीं पर 4.38 लाख रूपए का सामान खरीद कर बेकार रखा हुआ है जिसका कि कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा। इतनी भारी रकम खर्च करके उसका क्या फायदा उठाया जा रहा है।

Mr. Speaker: The Hon. Member should please wind up. He is not speaking on the Bill. I ask him to please try to confine himself on the Bill.

(इस समय चौधरी चांद राम बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री अध्यक्षः चौधरी साहब, आप इस तरह से हाउस की प्रोसीडिंग्ज को इंट्रप्ट न करें। आप किस प्वायंट पर बोलना चाहते हैं ?

चौधरी चांद रामः स्पीकर साहब .....

Mr. Speaker: On which point are you speaking? You are not to interrupt the House in this way.

चौधरी चांद रामः आन ए प्वायंट आफ आर्डर। मेरा प्वायंट आफ आर्डर यह है कि बिजली के उपर डयूटी बढाने का बिल हाउस के सामने है और टैक्स बढाया जा रहा है। टैक्स से जो पैसा आता है उसका सदुपयोग होता है या दुरूपयोग होता है

उस बारे में मैंबर साहब अपने विचार रख रहे है और एक डाकुमैंट जो इस सरकार का ही है और सदन में मैंबर साहिबान को सप्लाई किया गया है उससे पढकर वह बता रहे है कि इतने स्टोर्ज आईडल पडे है और पैसा जाया जा रहा है। क्या मैंबर साहब उस चीज को रैफर कर सकते हैं या नहीं या सिर्फ यही कह सकते है कि डयूटी लगाओ या न लगाओ?

Mr. Speaker: He can refer, but he cannot make it the subject matter of this speech.

श्री गणपत रायः तो मैं अब इतना कह कर कि 109 लाख रूपया जो जनता से एंठा जाएगा उससे लिया जाएगा मैं इसका सख्त विरोध करता हूं।

Mr. Speaker: Hon. Minister concerned please.

चौधरी चांद रामः स्पीकर साहब दो मिनट दे दें आप ने कहा था–विघ्न–

Mr. Speaker: I have called the hon. Minister.

सिंचाई एवं बिजली मंत्री (श्री बनारसी दास गुप्ता): अध्यक्ष महोदय, इस बिल के उपर जो अभी चर्चा चली तो मेरे विपक्षी दल के कुछ साथियों ने कुछ आपति की ओर.....

बैठक का समय में वृद्धि

Mr. Speaker: The time of the House is extended by another ten minutes.

चौधरी चांद राम: ******** (ाोर एवं विघ्न)

Mr. Speaker: You should withdraw these remarks (Interruptions) these remarks are expunged.

चौधरी बंसीलाल: स्पीकर साहब, मेरी आप से रिक्वैस्ट है कि ..... (विघ्न) He should be reprimated. Time and again, he is casting aspirations on the Chair and the House woulud not tolerate it.

चौधरी चांद राम: बहुत अच्छा जी।

Mr. Speaker: If the Hon. Member will go on repeating the same thing, I will think of the action to be taken.

चौधरी चांद राम: **********

Mr. Speaker: No comments please.

These words are also expunged. The hon. Member should not obstruct the business of the House and should not cast aspersions on every point.

चौधरी चांद राम: स्पीकर साहब, मैं एक सबमि ान करना चाहता हूं कि मैं इस हाउस का सीनीयर मैंबर हूं एक जिम्मेदार मैंबर हूं (ाोर) मैं भी इस चेयर पर रहा हूं और –विघ्न–

Mr. Speaker: No submission please.

चौधरी चांद रामः स्पीकर साहब, मैं सबमि ान तो कर सकता हूं मेरी बात तो आप सुने.....

Mr. Speaker: Please resume your seat. The hon. Minister may now please speak.

दी पंजाब इलैक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) हरियाणा अमैडमैट बिल, 1974 (पुनरारम्भ)

श्री बनारसी दास गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि कुछ हमारे सम्मानित सदस्य जो उधर बैठे हे उनको कुछ बोलने की बीमारी है चाहे वह बिल अच्छा हो चाहे उस में जनता की भलाई की बात हो बिना उसे देखे बिना समझे और बिना उसे अच्छी तरह पढे.....

चौधरी चांद रामः आन ए प्वायंट आफ आर्डर। अभी उन्होंने कहा कि अपोजि ान के मैंबरान को बोलने की बीमारी है तो आप इसका क्या मतलब लेंगे? क्या हम यहां पर बोलने के लिए ओर डिस्क ान करने के लिए आते हैं या बैठने के लिए आते हैं।

श्री अध्यक्षः आप ही बताएं कि आप इसका क्या मतलब निकालेंगे (विघ्न) This is no point of order No interruption please.

श्री बनारसी दास गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, अगर इनको बीमारी भाब्द पर आपति हो रही है तो मैं उसे वापिस ले लेता हूं।

मेरे कहने का मतलब यह है कि बिना बिल को देखे और बिना सोचे समझे यहां सिर्फ बोलने के लिए बोल देना कोई अच्छी बात नहीं क्योकि इस सदन का समय बडा मूल्यवान है इसका दुरूपयोग करना अच्छी बात नहीं। मुझे यह बात देखकर अफसोस होता है कि इस तमाम बिल में कहीं कोई इस किस्म का प्रोविजन नहीं कि कृशि के उपर बिजली की डयूटी बढाई जाए लेकिन इसके बावजूद भी कुछ भाई बोलते गए कि किसान गरीब हे किसान के उपर पहले ही बहुत टैक्सों का बोझ है और अब फिर डयूटी बढा दी। मैं यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि पहले बिल को देखने पढने और समझने का कश्ट तो कर लेते कि खेती पर डयूटी बढाई भी जा रही है या नहीं। यह जो बिल अब सदन में प्रस्तुत है इसके द्वारा कृशि पर कोई भी डयूटी नहीं बढाई गई है। (थम्पिंग) तो फिर क्या आव यकता थी इस बिल पर यह बातें कहने को और बोलने की? मेरे कहने का मतलब यह है कि कोई बात तो बोलने वाली हो और इसी लिए ही मैंने इन कुछ भाइयों के बारे में बीमारी का भाब्द इस्तेमाल किया था। चौधरी रामलाल जी ने कहा कि डोमैस्टिक कंजम्प ान पर ऐसा कर दिया। यह ठीक है कि इस बिल में 80 पैसे तक डयूटी बढाए जाने की तजवीज है लेकिन डोमैस्टिक कंजम्प ान के उपर अभी कोई डयूटी बढाई नहीं गई है सरकार केवल इस बारे में अधिकार ही ले रही है। एक बात यहां बार बार कहीं गई चौधरी राम लाल जी ने भी कही चौधरी दल सिंह जी ने भी कही और श्री वर्मा जी ने भी कही कि गरीब पर टैक्स बढाया जा रहा है। लेकिन अध्यक्ष महोदय अगर

आप इस बिल को अच्छी तरह देखेंगे तो इसमें स्पश्ट रूप से लिखा गया है कि जो गरीब है जो लघु उद्योगों के मालिक है उसके उपर यह डयूटी नहीं बढाई गई है। इस बिल के आखिर में जो फाईनैंि ायल मैमोरैन्डम दिया है उसमें आप साफ तौर पर यह देख सकते है कि यह डयूटी न खेती पर बढाई गई और न ही छोटे इंडस्ट्रियल कंजयूमर पर बढाई गई है। इंडस्ट्री में आप देखेंगे कि 20 किलोमीटर तक यूज करने वाले पर कोई डयूटी नहीं बढाई है जो 21 से पांच हजार किलोमीटर तक बिजली इस्तेमाल करता है उनकी भी क्लासिज बना दी है जो 21 से एक हजार किलोवाट तक इस्तेमाल करते हैं उन पर 15 प्रति ात बढाई गई है 1001 से 5000 किलोवाट इस्तेमाल करने वालों पर 40 प्रति ात बढाई गई है और 5001 के उपर इस्तेमाल करने वालों पर 50 प्रति ात बढाई गई है तो आप देख सकते हैं कि यह डयूटी उन लोगों पर बढाई गई है जो इसको सहन कर सकते है। अभी दौलता साहब ने कहा और गुलाब सिंह जी ने भी कहा और ठीक ही कहा कि अगर हम इन क्लासिज और वर्गों के उपर टैक्स नहीं बढाएंगे जो इसे सहन कर सकते हैं और खूब कमाते है तो फिर इस स्टेट का विकास कैसे होगा। अभी यहां पर ि ाकायत की गई कि इंडस्ट्रीज में ले आउट होते है और हजारों मजदूर बेकार हो जाते हें ऐसा किस लिए होता है? इसलिए कि हम उनको पूरी बिजली नहीं दे पाते है और उनको पूरी बिजली देने के लिए हमें बिजली पैदा करने के नए प्रोजैक्टस लगाने पडेंगे जैसे हम फरीदाबाद और पानीपत में थर्मल प्लांटस लगा रहे है।

इसके साथ साथ हम हिमाचल प्रदे ा सरकार से भी बात कर रहे है कि उनको हाइड्रो–प्रोजैक्टस के अन्दर उनके साथ हिस्सेदार बनें और एक ऐसा प्रोजैक्ट वहां पर है जो नथपा झाखडी प्रोजैक्ट के नाम से है और वह एंडवास स्टेज पर है जिसमें हिस्सेदार बनने के लिए हम हिमाचल सरकार से बात कर रहे हैं इस बारे में हमारे अधिकारी वहां गए और हिमाचल प्रदे ा के अफसरों से मिलकर उनके साथ बैठ कर बात भी की और में भी वहां के मिनिस्टर इनचार्ज साहब से इस बारे में बात करने वाला हूं। अगर हमारा उनके साथ एग्रीमेंट हो गया तो उस प्रोजैक्ट में जो एक हजार मेगावाट का है और जिस पर चार सौ करोड रूपये कम से कम खर्च आएगा। हिस्सेदार बन जाएंगे। तो उसमें हिस्सेदार बनने के लिए हमें करोडों रूपए खर्च करने पडेंगे। इसके अलावा हमारे थर्मल प्लांटस जो लग रहे हैं वे भी करोडों रूपए के प्रोजैक्टस हैं तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर हम यह टैक्स न बढाएं और यह डयूटी न बढाई जाए तो किस तरह से ऐसे प्रोजैक्टस लगा सकते हैं। मैं हैरान हूं कि एक तरफ तो ये मांग करते हें कि न टयूबवैल्ज की बिजली पर और न इंडस्ट्री की बिजली पर कोई कट लगे और पूरी स्टेट में सब को पूरी बिजली मिले और दूसरे तरफ कहते हैं कि डयूटी क्यों बढाई जा रही है। वे बताएं कि उनके पास कौनसा ऐसा छू–मंत्र हे और अलादीन का चिराग है बिना टैक्स बढाएं और डयूटी बढाए इन करोंडो रूपए की स्कीमों को अमली जामा पहना कर सबको प्रोजैक्टस बना कर ही दे सकते हें छू–मंत्र के द्वारा नहीं दी जा सकती है और यह

प्रोजैक्ट मामूली प्रोजैक्ट नहीं है उन पर करोडों रूपए खर्च होते हें वह पैसा कहां से आएगा? इसी प्रकार हमारे भाई कहते हैं कि रूपए का दुरूपयोग होता है। श्री गणपत राय ने बडी उंची आवाज के अन्दर फिग्र्ज कोट की कि इतना सामान बेकार पडा हुआ है। इन्होंने कहा 4.38 लाख रूपए का सामान बेकार पडा है। बोलते समय 38 लाख पर ज्यादा जोर देकर सदन को सुना दिया ताकि लोग समझें कि भाई इतने लाख रूपए का सामान पडा है। असलियत यह है कि 4 लाख 38 हजार का सामान उस बिजली बोर्ड का है जिसकी अरबों रूपयो की प्रोपर्टी है करोडों रूपए का जिसका काम चल रहा है जिसके अन्दर स्टोर है कई भााखाएं हैं वहां 4 लाख 38 हजार रूपए का सामान बेकार पडा हो तो कौन सी बडी बात है? अध्यक्ष महोदय जिस घर में 200 रूपए महीने का खर्चा होता है वहां भी 10–20 रूपए का सामान फालतू पडा रहता है इसके अतिरिकत इन्होंने एक ओर फिगर बताई 0.82 लाख रूपए की। यह तो 82 हजार है इन्होंने 82 हजार को 0.82 लाख कह दिया। मेरे भाई इस बात से नाराज होगें अगर मैं यह कह दूं कि उनके कहने का तरीका, लहजा ऐसा है जिससे वे सदन को गलतफहमी में डालना चाहते हैं तो कोई गलत बात नहीं होगी। चौधरी दल सिंह जी ने एक बात कही कि हरियाणा बिजली बोर्ड के अन्दर इतनी कुरप् ान है जितनी हिन्दुस्तान के अन्दर कहीं नहीं है अध्यक्ष महोदय, मैं यह बात मानता हूं कि बिजली बोर्ड के अन्दर कुरप् ान है यह कहना कि इतना ज्यादा है कि इसके मुकाबले में हिन्दुस्तान कहीं नहीं है बिल्कुल गलत बात हैं यह बिल्कुल

गलत–बयानी है और ऐसे बिजली बोर्ड के उपर आरोप है जिसमें तमाम हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा भाानदार काम करके दिखाया। अध्यक्ष महोदय, लैनिन ने एक बात की थी कि यदि दे ा में आर्थिक कांति लाना चाहते है तो गांव– गांव तक बिजली पहुंचा दो। यह काम हरियाणा सरकार ने किया है हरियाणा बिजली बोर्ड ने किया है एक एक गांव में बिजली पहुंचाई हमें बिजली बोर्ड के उपर ओर उसके अधिकारियों पर बडा भारी गर्व है कि उन्होंने हरियाणा में भाानदार काम किया। यह तो डयूटी बढ रही है उन्हीं लोगों पर बढाई है जो बहुत मालदार है बडे बडे इंडस्ट्रीयलिस्ट है जिनका मार्जन आफ प्रोफिट बहुत अच्छा है। हमने एक इलैक्ट्रिक फरनैसिज पर टैरिफ भी बढाया है और डयूटी भी बढाई है जिनको बडा भारी लाभ है लाखों करोडों रूपये का फायदा होता है। गरीब आदमियों के उपर इसका कोई भार नहीं पडेगा, अध्यक्ष महोदय, यह बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं।

चौधरी राम लाल वधवा: स्पीकर साहब, टाईम तो हो गया है।

श्री अध्यक्ष: अभी दो मिनट बाकी हैं।

श्री बनारसी दास गुप्ता: मैं इन भाब्दों के साथ आपसे प्रार्थना करूंगा कि यह डयूटी बिजली के विकास के लिए बढाई गयी है इसलिए इसको पास कर दिया जाए।

Mr. Speaker: Question is_

That this House diaspproves the Punjab Electricity (Duty) Haryana Amendment Ordinance, 1974 (Haryana Ordinance No. 3 of 1974).

The motion was lost.

चौधरी राम लाल वधवा: आन एं प्वायट आफ आर्डर। स्पीकर साहब, आपने कहा आईज हैव इट इससे यह मो ान तो पास हो गई? (ाोर)

चौधरी बंसीलाल: बिजली करवा लो। I say Noes have it आप डिवीजन करवा लें। (Interruptions and Noise).

बैठक के समय में वृद्धि

Mr. Speaker: The time is extended by five minutes.

दी पंजाब इलैक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) हरियाणा अमैडमैट बिल, 1974 (पुनरारम्भ)

श्री बनारसी दास गुप्ता: अध्यक्ष महोदय, हम डिवीजन की मांग करते हैं। (ाोर)

Mr. Speaker: Alright, I again put the motion.

चौधरी राम लाल वधवा: आपने आईज हैव हट कह दिया और वह डिस–अप्रूवल की मो ान पास हो गई ..... (ाोर)

Chaudhri Bansi Lal: We can demand Division as a matter of right. (Interruptions).

Mr. Speaker: I say, it is lost.

चौधरी राम लाल वधवा: आईज हैव हट हो गया।

Mr. Speaker: It can be put again.

चौधरी ि ाव राम वर्मा: आईज हैव हट हो गई ..... (ाोर)

Mr. Speaker: I said Motion is lost.

Chaudhri Bansi Lal: We have a right to demand Division and there can be Division on the floor of the House Division Kara lo. (Interruptions)

चौधरी राम लाल वधवा: आप तो पहले ही ज्यादा हो। जब आपने हां कर दी तो डिविजन की क्या जरूरत है ..... (ाोर)

श्री बनारसी दास गुप्ता: यह हमारा राईट है। अगर वायस–वोट पर किसी को डाउट हो तो कभी भी डिवीजन की मांग कर सकते हैं हम भी कर सकते हैं और आप भी तो कर सकते हैं।

Mr. Speaker: Order please. I said the motion is lost.

चौधरी चांद राम: रूल्ज के अनुसार आप दोबारा इसे कैसे पुट कर सकते है?

Mr. Speaker: What I say is correct.

चौधरी राम लाल वधवा: स्पीकर साहब, मैंने प्वायंट यही रेज किया है कि जैसा आपने फरमाया कि वह लौस्ट होना चाहिए था लेकिन इन्होंने आईज कह दी। यह रिजैक्ट होनी थी लेकिन वह पास हो गई। आपने डिस–अप्रूवल वाली मो ान पास कर दी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: No please. पास या रिजैक्ट वही हे जो जो मैं कहता हूं। (ाोर) No motion is passed unless I say it is passed. No motion is lost, unless I say it is lost.

चौधरी बंसीलाल: स्पीकर साहब, अभी पूछ लो सारा हाउस यहां है... (ाोर)

Mr. Speaker: Order please. I say, It is lost.

चौधरी राम लाल वधवा: रूल्ज के मुताबिक तो यह मो ान पास हो गई है।

Mr. Speaker: Alright, I put it again. कई दफा ऐसा हो जाता है कि आवाज किसी को कम पहुंचती है किसी को ज्यादा।

चौधरी चांद राम: आपने क्या कहा? (व्यवधान)

एक आवाज: यह चीज हो गई है.....

Mr. Speaker: I said, it is lost.

चौधरी बंसीलाल: स्पीकर साहब, मेरी एक सबमि ान है। (Interruptions and Noise) स्पीकर साहब, मेरी एक सबमि ान है। हम एज ए मैटर आफ राईट डिवीजन की मांग कर सकते है। डिवीजन करवा लो, झगडा खत्म हो जाएगा। आप मो ान दोबारा पुट करो। डिवीजन दोबारा करवा लो।

चौधरी चांद राम: यह बात तब कर सकते हैं जब कोई पेटेंट डाअट हो, इस में डाउट की कोई बात ही नहीं है।

Mr. Speaker: Order please. I put the motion again.

Question is-

That this House disapproves the Punjab Electricty (Duty) Haryana Amendment Ordinance, 1974 (Haryana Ordinance No.3 of 1974).

The motion was lost.

बहिर्गमन

चौधरी चांद राम: हम तो वाक–आउट करते हें इस के खिलाफ .... (ाोर)

चौधरी बंसीलाल: वाक–आउट न करेंगे तो तुम्हारे पास इसकी दवा भी क्या है वाक आउट करने वाले कितने हैं, देख लें, पांच है।

(इस समय चौधरी पीर चन्द, श्री गणपतराय, चौधरी चांद राम, चौधरी राम लाल वधवा और चौधरी ि ाव राम वर्मा सदन से वाक–आउट कर गए)।

दी पंजाब इलैक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) हरियाणा अमैडमैट बिल, 1974 (पुनरारम्भ)

Mr. Speaker: Question is-

That this House disapproves the Punjab Electricty (Duty) Haryana Amendment Ordinance, 1974 (Haryana Ordinance No.3 of 1974).

The motion was carried.

Mr. Speaker: The House will not take up the Bill clause by clause.

Clause 2, 3 and 1

Mr. Speaker: Question is-

That clause 2, 3 and 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Fnacting Formula

Mr. Speaker: Question is-

That Enacting Formula be the Enactinig Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is-

That title be the title of the Bill.

The motion was carried.

सिंचाई एवं बिजली मंत्री (श्री बनारसी दास गुप्ता): मैं प्रस्ताव करता हूं–

कि पंजाब बिजली (ाुल्क) हरियाणा सं ाोधन विधेयक पारित किया जाए।

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Punjab Electricty (Duty) Haryana Amendment Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is-

That the Punjab Electricty (Duty) Haryana Amendment Bill be passed.

The motion was carried.

Mr. Speaker: The House stands adjourned till 9.30 AM tomorrow.

***13.29 बजे**

(The Sabha then adjourned till 9.30 AM on Tues, the 11th July, 1974.

अनुबन्ध

नोटः इस प्र न का उतर देर से प्राप्त हुआ है। कृपया इसका अन्तरिम उतर डिवेट के पृश्ट 1 पर देखिए)

Amount for Sewerage Schemes

***797. Ch. Ram Lal Wadhwa**: Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state:-

(a) the total amount allocated to each the Municipal Committees in the State in connection with Sewerage Schemes in the years 1972 and 1973, separately; and

(b) the names of Municipal Committees which have utilized the said amount during the years referred to in part (a) above?

सिंचाई एवं बिजली मंत्री (श्री बनारसी दास गुप्ता):

नगरपालिका का ना		कुल रा ि ा जो दी गई है	
		वर्श 1972 (कलैन्डर वर्श) रा ि ा लाखों में	वर्श 1973 (कलैन्डर वर्श) रा ि ा लाखों में
1	भिवानी	8.33	19.01

2	कैथल	5.80	12.43
3	थानेसर	1.50	7.47
4	गोहाना	—	3.04
5	टोहाना	—	2.89
6	सोनीपत (मंडी ऐरिया)	3.00	3.07
7	हिसार	8.34	3.60
8	एन0 आई0 टी0 फरीदाबाद	15.33	10.00
9	बल्लभगढ	4.50	—
10	बहादुरगढ	3.33	0.45
11	गुडगांवा	6.00	4.41
12	हांसी	3.00	2.60
13	करनाल	4.00	3.84
14	रोहतक	6.00	4.61
15	जींद	2.00	2.30

16	यमुनानगर	3.00	2.40
17	महम	2.00	—
18	झज्जर	2.00	—
19	नूह	1.00	—
20	जगाधरी	3.00	—
21	जुलाना	1.00	—
22	ओल्ड टाउन फरीदाबाद	1.50	—
	जोड	84.63	81.82

(ख) (1) निम्नलिखित 17 नगरपालिकाओं ने उन्हें कलैन्डर वर्श 1972 में दी गई सरकारी अनुदान/ऋण/जीवन बीमा निगम से ऋण की रा ियों में से 67.95 लाख रूपये की रा ि इस विभाग के पास वर्श 1972 में ही जमा करवा दी थी। अतः इस रा ि को वर्श 1972 में ही प्रयोग हुआ माना जावे।

कं सं	नगरपालिका का नाम	सरकारी अनुदान	सरकारी ऋण	जीवन बीमा निगम से	कुल

				ऋण	
1	भिवानी	2.00	—	3.33	5.33
2	कैथल	0.72	—	4.00	4.72
3	थानेसर	0.20	—	1.00	1.20
4	सोनीपत	1.20	—	—	1.20
5	हिसार	—	—	6.34	6.34
6	एन0 आई0 टी0 फरीदाबाद	1.00	1.00	13.33	15.33
7	बल्लभगढ	0.27	0.23	—	0.50
8	बहादुरगढ	—	—	3.33	3.33
9	गुडगांवा	—	—	6.00	6.00
10	हांसी	—	—	3.00	3.00
11	करनाल	—	—	4.00	4.00
12	रोहतक	—	—	6.00	6.00
13	जींद	—	—	2.00	2.00

14	यमुनानगर	—	—	3.00	3.00
15	झज्जर	—	—	2.00	2.00
16	नूह	—	—	1.00	1.00
17	जगाधरी	—	—	3.00	3.00
	जोड	5.39	1.23	61.33	67.95

वर्श 1972 में प्रदान की गई भोश रा ि ा में से 14.53 लाख रूपये 8 नगरपालिकाओं ने 1973 में जमा करवाया था। अतः इसे 1973 में प्रयोग हुआ माना जावे। 2.15 लाख रू0 की रा ि ा दो नगरपालिकाओं, महम व जुलाना ने अभी तक जमा नहीं करवाई है।

(2) निम्नलिखित 9 नगरपालिकाओं ने 1973 वर्श में प्रदान की गई रा ि ायों में से 7.43 लाख रू0 की रा ि ा इस विभाग के पास वर्श 1973 में ही जमा करवा दी थी। अतः इसे वर्श 1973 में ही प्रयोग हुआ माना जावे।

कं सं	नगरपालिका का नाम	सरकारी अनुदान	सरकारी ऋण	जीवन बीमा निगम से ऋण	कुल

1	कैथल	0.70	—	—	0.70
2	थानेसर	1.40	—	—	1.40
3	गोहाना	(0.42)	0.54	—	2.11
4	टोहाना	1.15	0.576	—	0.96
5	गुडगावां	0.384	1.11	—	1.11
6	हांसी	—	0.30	—	0.30
7	करनाल	0.24	—	—	0.24
8	रोहतक	—	0.61	—	0.61
	जोड	4.294	3.136	—	7.43

यद्यपि अनुदान/ऋण/रा ियां वर्श 1973 में ही एलोकेट कर दी गई थी, परन्तु वास्तव में उनका भुगतान मार्च 1974 में ही हुआ था। अतः काफी नगरपालिकाओं 9 उक्त रा ियां (46.98 लाख रू0) वर्श 1973 की बजाए 1974 में ही जमा करवा सकी। 8 नगरपालिकाओं ने 27.41 लाख रूपये की रा ियां अभी तक जमा नहीं करवाई है।